हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 दिसम्बर, 1980

खण्ड 3, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 15 दिसम्बर, 1980

पृश्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)16
नियम 45 के अन्तर्गत मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(1)45
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)47
अध्यक्ष द्वारा घोशणा– (1) पैनल आफ चेयरमैन (2) कमेटी आन पैटी ंज	 (1)57 (1)57
सचिव द्वारा घोशणा – (1) राज्यपाल/राश्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये बिलों संबंधी (2) हिन्दू सकसै ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979	 (1)57 (1)58

पर राश्ट्रपति द्वारा अपनी अनुमति रोकने सम्बंधी	
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– डा0 मंगल सैन द्वारा	(1)58
स्थगन प्रस्ताव	(1)60
ध्यानाकर्शण सूचना– नाथपा झाकडी हाइडल परियोजना की बिजली की तकसीम संबंधी	(1)60
वाक आउट	(1)60
ध्यानाकर्शण सूचना (पुनरारम्भ)	(1)62
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1)65
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– श्री बलदेव तायल द्वारा	(1)69
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भ)	(1)7071
वाक आउट	(1)72
प्रिविलेज कमेटी की प्रारम्भिक रिपोर्ट पे ा करना तथा उस पर अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिये समय बढाने	(1)73

संबंधी	
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(1)73
सदन की मेज पर पुनः रखे गये कागज पत्र	(1)73
वर्श 1980–81 के सप्लीमैंटरी एस्टीमैंटस (दूसरी कि त) पे ा करना	(1)73
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह) द्वारा	(1)76
एस्टीमेटस कमेटी की वर्श 1980–81 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस (दूसरी कि त) पर रिपोर्ट पे ा करना	(1)78
बिल्ज (इन्ट्रोडयूस्ड, सदन की अनुमति से)– 1. दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) फिफ्थ अमैंडमैंट बिल, 1980	(1)79
वाक आउट	(1)80
बिल्ज (इन्ट्रोडयूस्ट) (पुनरारम्भ) (2) दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1980	(1)81
(3) दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ	(1)81

चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल, 1980	
(4) दि पंजाब विलेज कामन लैंडज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1980	(1)82
बिल्ज– (1) दि महर्शि दया नन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(1)82
(2) दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(1)93
(3) दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(1)97

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 15 दिसम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में मध्यान्होपरान्त 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब भाोक प्रस्ताव होगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान के बाद हमारे बीच से कुछ स्वतन्त्रता सेनानी तथा समाजसेवी विदा हो गए हैं मैं आपकी इजाजत से हाउस के सामने भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन श्री लंका के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर जोन कोटले वाला के 2 अक्तूबर 1980 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

सर जोन कोटलेवाला का जन्म 4 अप्रैल, 1897 को हुआ, उन्होंनें अपनी ि ाक्षा कैम्ब्रिज और कोलम्बों में प्राप्त की। वह 1931 में राज्य परिशद के लिये चुने गये। उन्होंने यूनाइटिड नै ानल पार्टी की स्थापना में योगदान दिया और 1958 तक इस

पाटी के अध्यक्ष रहें उन्होंने कृशि, दूरसंचार, परिवहन और लोक निम्रण मंत्री के रूप में कार्य किया। 1954 से 1956 तक वह श्री लंका के प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री रहे।

यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता है।

यह सदन भूतपवू केन्द्री रेलवे मंत्री और कनार्टक के भूतर्पूव मुख्य मंत्री श्री के0 हनुमन्तैया के पहली दिसम्बर 1980 को हुए दुःखद निधन पर हार्दिक भाोक प्रकट करता है।

श्री हनुमन्तैया का जन्म फरवरी 1908 में हुआ। उन्होंने 1930 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पूना लॉ कालेज, बम्बई यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री प्राप्त करने के प चात उन्हौंने 1933 में वकालत भाुरू कर दी। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने पर उन्हें 7 बार जेल की यातनाएं सहनी पडीं।

वह 1940 के बाद मैसूर असैम्बली के लिए तीन बार निर्वाचित हुए। उन्होंने 1944 से 1949 तक असैम्बली में कांग्रेस दल का नेतृत्व किया। वह 1948 में भारत की संविधान सभा के लिये चुने गए और 1950 से 1952 तक मैसूर प्रदे ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1952 से 1956 तक उन्होंने मैसूर राज्य के मुख्य मंत्री के पद का दायित्व निभाया। वह 1957 में मैसूर असैम्बली के लिए पुनः चुने गए। श्री हनुमन्तैया 1962 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे ओर 1967 से 1970 तक प्र ाासन सुधार कमी ान

के चेयरमैन रहे। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में उन्होंने 1970–71 में कानून और समाज कल्याण मंत्री तथा 1971–72 में रेलवे मंत्री के रूप में कार्य किया। वह पंजाब प्र ाासन सुधार कमी ान के अध्यक्ष और स्वराज्य पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख सांसद एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन उडीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सदाि ाव त्रिपाठी के 9 सितम्बर, 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री सदाि ाव त्रिपाठी का जन्म 21 अप्रैल 1910 को उडीसा में गांव नवरंगपुर में हुआ। उन्होंने आरम्भ में स्कूल के अध्यापक के रूप में कार्य किया। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में उन्हौंने रूचि ली। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण वह एक वर्श के लिए जेल भेजे गए। उनको 1942 से 1945 तक 3 वर्श के बाद नजरबन्द किया गया। वह 1937 से 1971 तक उडीसा विधान सभा के सदस्य रहे। श्री त्रिपाठी 1948 से 1956 और 1961 से 1965 तक राजस्व मंत्री और 1966–67 में उडीसा के मुख्य मंत्री रहे। उन्हें भूमि सुधार कार्यों में गहरी दिलचस्पी थी और राज्य में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में उनका अग्रणी स्थान था।

उनके निधन से दे ा एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और सक्रिय समाज सुधारक की सेवाओं से वंचित हो गया है। हय सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद सदस्य श्री दिनेन भट्टाचार्य के 14 जुलाई, 1980 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री दिनेन भट्टाचार्य का जन्म 12 दिसम्बर, 1915 को हुआ। उनकी ि ाक्षा सेरमपुर कालेज और कलकता संस्कृत कालेज में हुई। उन्होंने ट्रेड यूनियन आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया। वह सैंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियनों की कार्यकारिणी समिति के सदस्य और पि चमी बंगाल यूनिट के उप प्रधान थे।

श्री भट्टा चार्य सेरमपुर नगरपालिका के 10 वर्श से भी अधिक समय तक कमि नर रहे। उन्होंने अखिल भारतीय रबड टायर श्रमिक संघ के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाया। वह तीसरी, पांचवीं, छठी तथा सातवीं लोक सभा के सदस्य रहें सातवीं लोक सभा के लिए वह सेरमपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये। वह लोकसभा के सी0पी0आई0 (एम0) दल के उप नेता थे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के दुःखद निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद सदस्य श्री मिश्रयार खान के 12 सितम्बर 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री मिश्रयार खान एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा वर्श 1923, 1926 और 1938 में जेल की यातनाएं सहीं। वह भूतपूर्व रामपुर रियायतय की परिशद और विधान सभा के सदस्य थे और 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदे ा विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1980 के मध्यावधि चुनावों में उत्तर प्रदे ा के बरेली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गऐ।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

यह सदन राज्य सभा के सदस्य श्री वेनीगल सत्यनारायण के 20 अक्तूबर 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं।

श्री सत्यनारायण का जन्म आन्ध्र प्रदे ा के कृश्णा जिले में 1918 में हुआ। उन्होंने 1941 तथा 1942 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोडो आन्दोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढाई बीच में छोड दी। उन्होनें अढाई वर्श की जेल यातना सही। उनका संबंध विभिन्न सहकारी संगठनों के साथ रहा। वह 1958 से 1970

तक आंध्र प्रदे ा विधान परिशद के सदस्य रहे। उन्हौंने अप्रैल 1967 से जून 1969 तक मंत्री पद पर कार्य किया। वह राज्य सभा के लिए पहले अप्रैल 1970 में तथा बाद में अप्रैल 1976 में पुनः चुने गए। श्री सत्यनारायण एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतन्त्रता तथा संसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदनार प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूपर्व संसद सदस्य श्री माधो राम भार्मा के 15 अगस्त 1980 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री माधो राम भार्मा का जन्म 23 अप्रैल 1913 को पानीपत में हुआ। उनकी ि ाक्षा पानीपत व दिल्ली में हुई। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और 1941 में नौ मास के लिए कारावास में रहे। पुनः 1942 में उन्हें नौ मास की जेल की सजा हुई। उन्होंने 15 वर्श तक नगर कांग्रेस समिति, पानीपत के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाया। वह 1952अ से 1954 तक पंजाब विधान परिसद के सदस्य रहे तथा 1952 में पंजाब प्रदे ा कांग्रेस समिति के महासचिव बने।

श्री भार्मा 1958 से 1964 तक राज्य सभा के सदस्य रहे

और 1967 से 1977 के दौरान करनाल निर्वाचन क्षेत्र से चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

उनके निधन से दे ा एक स्वतन्त्रता सेनानी एवं अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता हैं

यह सदन भूतपूर्व सदस्य श्री वी0 भांर गिरि के 19 जुलाई 1980 को हुए असामयिक दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री वी0 भांकर गिरी भारत के भूतपूर्व राश्ट्रपति श्री वी0वी0 गिरी के सुपुत्र थे। उनको जन्म उड़ीसा के बहरामपुर स्थान पर 9 अगस्त 1930 को हुआ। उन्होंने इंगलैंड से मैकेनिकल इंजीनियर की योग्यता प्राप्त की और वहां पर औद्योगिक प्र ाासन का अध्ययन करने के बाद 1951 में स्वदे ा लौट आए। उन्होंने अपने पिता से दे ाभक्ति की प्रेरणा प्राप्त की और छुटपन से ही उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में और बाद में श्रम आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया। श्री भांकर गिरी ने वर्श 1951 में कलकत्ता के पास मोटर फैक्टरी में इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया। इसके प चात उन्होंने अपने पिता श्री गिरी के राश्ट्रपति काल में अवैतनिक निजी सचिव के दायित्व को निभाया। वह जापान जाने वाले भारतीय ि ाश्ट मण्डल के उप नेता थे। वर्श 1971 से 1977

तक की अवधि में वह मध्य प्रदे ा के तमोह निर्वाचन क्षेत्र से लौकसभा के सदस्य रहे। श्री भांकर गिरि फिल्म निदे ाक, निर्माता और पट कथा लेखक भी थे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख श्रम नेता और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व विधान श्री हकूमत राय भााह के 13 अगस्त 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री हकूमत राय का जन्म 19 अप्रैल 1919 को हुआ। वह 1960 में मार्केट कमेटी, पानीपत के सदस्य चुने गये। वर्श 1965 से 1968 तक उन्होंने मार्केट कमेटी, पानीपत के चेयरमैन पद का दायित्व निभाया। वह विभिन्न संस्थाओं के सदस्य रहे। पानीपत सहकारी चीनी मिल में उन्होंने 3 वर्श तक निदे ाक के पद पर कार्य किया।

श्री हकूमत राय वर्श 1972 में हरियाणा विधान सभा के लिए पानीपत निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए।

उनके निधन से दे ा ने एक प्रमुख समाज सेवक और स्थानीय नेता खो दिया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन पंजाब हाई कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधी ा श्री ए0एन0 भण्डारी के 12 नवम्बर 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री ए0एन0 भण्डारी का जन्म 21 नवम्बर 1899 को हुआ। विदे ा में वि ाि श्ट भौक्षणिक योग्यता लेने के बाद उन्होंने अक्तूबर 1924 में इंडियन सिविल सर्विस में प्रवे ा किया। वह 1929 से 1932 के दौरान गुजरात, स्यालकोट और करनाल से डिप्टी कमि नर रहे और सन 1933 से 1939 की अवधि में मोण्टगोमरी एवं दिल्ली के सै ान जज रहे। वह 1944 से 1947 तक अविभाजित पंजाब हाईकोर्ट, लाहौर और 1947 से 1952 तक पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट के जज थे। सन 1952 में वह पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधी ा नियुक्त हुए और 1959 में इस पद से सेवा निवृत हुए।

उनके निधन से दे ा ने एक प्रमुख न्यायविद खो दिया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति श्री सूरजभान के 28 अगस्त 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्सक्त करता है।

श्री सूरजभान का जन्म पहली नवम्बर 1904 को हुआ। उनकी ि ाक्षा पंजाब तथा लन्दन में हुई उन्हौंने अपना जीवन

कार्य लाहौर के डी0ए0वी0 स्कूल में अध्यापक के रूप में भुरू किया और 1926 से 1942 तक इसी स्कूल के प्राचार्य रहे। वह भारत सरकार के सहायक ि ाक्षा सलाहकार थे। तथा 1949 से 1962 तक केन्द्रीय ि ाक्षा संस्थान, भारत सकरार के संस्थापक प्राचार्य रहे। पहली अप्रैल 1961 को वह कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और इस पद पर 30 जून 1965 तक रहे। उन्होंने जुलाई 1965 से जून 1974 तक पंजाब वि वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। वह पंजाब वि वविद्यालय सैनट के 25 वर्श से अधिक समय तक और इसकी सिंडीकेट के 20 वर्श तक सदस्य रहे।

श्री सूजरभान 1954 से 1966 तक पंजाब विधान परिशद के लिए स्नातकों के प्रति निधि के रूप में चुने गये। वह 1970 में भारत और श्रीलंका के अन्तर वि वविद्यालय बोर्ड अध्यक्ष बने। उन्हें ि ाक्षा के क्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए 1971 में पदम भूशण से अलंकृत किया गया। वह बहुत सी ि ाक्षा सम्बंधी पुस्तकों के लेखक थे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख ि ाक्षा भाास्त्री की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व विधायक श्री मांगू राम के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री मांगू राम प्रमुख हरिजन नेता थे। उन्होंने जीवन भर हरिजनों के उद्धार के लिए कार्य किया। 1940 में वह अमेरिका चले गये। वहां से लौटने पर उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, वि ोशकर हरिजनों के जीवन स्तर को उन्नत करने का कार्य आरम्भ किया।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख हरिजन नेता और दलित वर्ग के समर्थक से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता हैं

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व विधायक श्री अमर सिंह दोसांझ के 22 जुलाई 1980 को हुए निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री दोसांझ का जन्म जालन्धर जिले के गांव दोसांझ कलां में हुआ। उन्होनें सिंह सभा आन्दोलन में हिस्सा लेकर राजनीति में प्रवे ा किया। वह ि ारोमणी गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए और बाद में इसी कमेटी के जनरल सैक्रेटरी बने। वह ि ारोमणि अकाली दल के भी जनरल सैक्रेटरी चुने गए। उन्होंने पंजाबी सूबा आन्दोलन में भाग लिया और इस कारण गिरफ्तार हुए। वर्श 1967 में वह कांग्रेस टिकट पर पंजाब विधान सभा के लिए फिलौर क्षेत्र से चुने गएं उन्होंने 1949 में अमृतसर से उर्दू में दैनिक पत्र 'अजीत' निकाला, उसके बाद इसका पंजाबी संस्करण भी भाुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृति और धर्म पर

कई लेख लिखे। वह एक अच्छे वक्ता और योग्य पत्रकार थे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख पत्रकार और अच्छे वक्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी श्री हरदित्त सिंह भट्टल के 20 जुलाई 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री भट्टल ने 1919 में अकाली आन्दोलन मे ंभाग लिया, बाद में वह कम्युनिस्ट पार्टी के आन्दोलन से संबंधित रहे, जिसके कारण उन्हें कई बार भूमिगत होना पडा। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल की योतनाएं सही। वह मलेर कोटला, हिसार, जीन्द, संगरूर, फरीदकोट और अम्बाला की जेलों में रहे। वर्श 1923 में वह जैतो मोर्चा में सम्मिलित हुए, जिसके कारण उन्हें 25 वर्श के लिए दे ा निकाला मिला तथा उनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। वह 1954 से 1957 तक पैप्सू विधानसभा के सदस्य रहे।

उनके निधन से दे ा एक सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी और श्रद्धावाना कम्युनिस्ट नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन प्रमुख भाायर एवं गीतकार साहिर लुधियानवी के 25 अक्तूबर 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री अब्दुल हई साहिर का जन्म 1921 में लुधियाना में हुआ। वह दे ा के विभाजन से पूर्व लाहौर से प्रकाि ात होने वाली पत्रिका 'अदब–ए–लतीफ' के सम्पादक बने। बाद में वह बम्बई में आ गए और उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखने भाुरू किये। पिछले तीस वर्शों में भारतीय फिल्मों के लिए उन का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृश्ट कृतियों के लिए पद्मश्री दिया गया था।

साहिर को तलखीयां और परछाइयां नामक उर्दू काव्य संग्रेहों के लिए बहुत ख्याति मिलीं। इन संग्रहों का अन्य भारतीय भाशाओं और कुछ विदे ाी भाशाओं में भी अनुवाद हुआ है। उन्हें कई साहित्यिक पुरस्कारों से सु ाोभित किया गया।

उनके निधन सेदे ा एक प्रमुख एवं लोकप्रिय कवि और गीतकार से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन पा र्व गायक श्री मोहम्मद रफी के 31 जुलाई 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा दु:ख प्रकट करता है।

श्री मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसम्बर 1924 को अमृतसर जिले के कोटला सुलतान सिंह नामक स्थान पर हुआ।

उन्होंने 16 वर्श की अल्पायु में ही अपना जीवन गायक के रूप में भाुरू कर दिया। सन 1943 में वह आका ावाणी, बम्बई के कलाकार बने। बाद में उन्होंने फिल्मों के लिए गाना भाुरू किया और पिछले तीस वर्शों में उनकी मधुर आवाज ने लाखों लोगों को मुग्ध किया है। हिन्दुस्तानी संगीत की सेवा के लिए उन्हें पदमश्री दिया गया।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख गायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, प्रोफैसर जे0के0 मेहता, जो इलाहाबाद यूनिवसिर्टी में प्रोफैसर थे तथा वि व विख्यात अर्थ भाास्त्री थे, उनका नाम भी भाोक प्रस्ताव में भाामिल कर लिया जाए। (ाोर)

चौधरी संत कंवरः कालांवाली में जो मरे हैं उनका नाम भी भाोक प्रस्ताव में भाामिल होना चाहिए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, स्वामी आदित्यवे ा जी ने जो नाम सजैस्ट किया है, उसे भी भाोक प्रस्ताव में भाामिल कर लिया जाए।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः फिर तो कालांवाली में जो लोग मरे हैं, उन सबाक नाम इसमें ऐड करवा लो। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, भाोक प्रस्ताव के समय इस तरह की बातें भाोभा नहीं देतीं। स्वामी जी ने जो नाम सजैस्ट किया है उसे भाोक प्रस्ताव में भाामिल कर लिया जाएगा।

चौधरी राम लाल वधवाः .....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded which has been said without my permission.

श्री मूल चन्द जैन (संभालका): स्पीकर साहब, लीडर आफ दि हाउस ने 16 महानुभावों, 15 अपने दे ा के और एक पड़ौसी दे ा, श्री लंका, के बारे में एक भाोक प्रस्ताव पे ा किया और स्वामी आदित्यवे ा जी के सुझाव प0र इसमें एक नाम और ऐड किया गया। इन सब महानुभावों के स्वर्गवास होने पर जो भाोक प्रस्ताव पे ा हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। स्पीकर साहब, मैंने इन महानुभावों की एक लिस्ट बनाने की कोि ा ा की है। इनमें से आधे के करीब ऐसे महानुभाव हैं जो अपने युग में, अपनी नौजवानी में बडे भारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। पहले तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लिया बाद में गांधी जी की रहनुमाई में जो भारत छोडो आन्दोलन चला उसमें हिस्सा लिया। मेरे हिसार से ऐसे व्यक्ति हैं श्री हनुमन्तैया, श्री मिश्रयार खान, श्री सत्यनारायण, श्री माधो राम भार्मा और श्री हरदित्त सिंह भट्टल लेकिन हो सकता है कोई और भी हों। इन सभी महानुभावों ने दे ा की आजादी के लिए बडी भारी कुर्बानी की। मैं इनके स्वर्गवास होने पर अपने और अपनी पार्टी को इस

भाोक प्रस्ताव में भाामिल करता हूं। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं होगा और रूलिंग पार्टी के साथी भी महसूस नहीं करेंगे कि यह बात उन पर ही लागू होती है, हमारे पर भी लागू होती है, सभी पर लागू होती है। उस टाईम पर यानी सन 1947 से पहले हमारे दे ा के स्वतंत्रता सेनानी बिना किसी गर्ज के दे ा के लिए काम करते थे। उस टाईम पर चाहे कोई सत्याग्रह चला या जो सन 1942–44 की कुइट इंडिया मूवमैंट चली, वे उसमें बिना किसी गर्ज से भाामिल हुए थे। नेतागणों के सामने कभी यह प्र न नहीं था कि चार या छः वर्श के बाद हमारा दे ा आजाद होगा तो फिर हम असैम्बली या पार्लियामैंट के इलैक ान लडेंगे। उस टाईम पर बिना किसी लालच के उन्होंने दे ा की स्वतंत्रता की लडाई के लिये काम किया। भगवान का भाुक्र है कि उनके जीवन में ही दे ा आजाद हुआ और आज उनके निधन पर हम इस हाउस में भाोक प्रस्ताप पास कर रहे हैं। आज हम उनके जीवन से सबक लें और हम भी दे ा प्यारे की बेगर्ज सेवा करें।

स्पीकर साहब, इनमें से मेरा कुछ दोस्तें से निजी संबंध भी रहा है। जब हरियाणा और पंजाब एक थे उस टाईम पर कामरेड रामकि ान जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उनके समय में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमी ान बना था, उसका चेयरमैन श्री हनुमन्तैया साहब को बनाया गया था। मुझे याद है कि मैं उस कमी ान के सामने गवाह के रूप में पे ा हुआ था। अपनी एवीडैंस में मैंने उनको कहा था कि आप एडमिनिस्ट्रैटिव रिफार्म

क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे या क्या सिफारि ा करेंगे लेकिन आप इतना तो कर दें कि जो अंग्रेजों के टाईम का एडमिनिस्ट्रे ान है वह तो बरकरार रहे। उन्होंने जो रिपोर्ट गवर्नमैंट को दी वह तो भाायद किसी अलमारी मे ही रखी हुई होगी, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ।

इसके बाद मैं श्री माधो राम भार्मा का खासतौर पर जिक्र करना चाहता हूं। इनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध गुजरात जेल में रहा और कुइट इंडिया मूवमैंट में मुल्तान जेल में हम इकट्ठे रहे हैं। एक बार इत्तफाक से वे बीमार हो गये। वहां पर मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिला। वे बहुत बडे इन्सान थे। वे पानीपत के एक बहुत बडे अच्छे खानदान से सम्बंध रखने वाले थे लेकिन किसी भी चीज की परवाह न करते हुए वे आजादी के आन्दोलन में कूद पडे। जब वे बीमार हो गये तो मैंने उनसे कहा कि पंडित माधो राम जी आप घर वालों को लिख दो कि मैं जेल में बीमार चल रहा हूं। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मैं घर पर कुछ नहीं लिखूंगा। यहां जेल में जो कुछ खुराब या दवाई दी जा रही है उसी से ठीक होना होगा तो हो जाऊंगा। जब दे ा आजाद हो गया तो वे लैजिस्लेटिव कौंसिल के, राज्य सभा के और दो बार पार्लियामैंट के मैम्बर रहे। 15 अगस्त 1980 को उनका स्वर्गवास हो गया। मुझे निजी तौर पर उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी करनाल में हम दोनों को एक साथ काम करने का भी अवसर मिला। उन्होंने

सन 1967 में पार्लियामैंट के लिये इलैक ान लडा। उससे पहले सन 1946 में, 1952 में और 1957–62 में हम इकट्ठे काम करते रहे। उनके साथ इतने लम्बे अर्से तक रहने के कारण मुझे उनके निधन पर अत्यन्त भाोक है।

श्री हकूमत राय भााह को भी मैं निजी तौर पर जानता हूं। वे बहुत ही आला किस्म के इंसान थे। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि उनकी जबान में कितनी मधुरता थी। जो आदमी उनके सम्पर्क में रहा है, वह उससे अछूता नहीं रहा होगा। उनकी जबान में बहुत ही ज्यादा मिठास थी इस प्रस्ताव में स्वर्गवासी कलाकारों के नाम भी हैं। साहिर लुधियानवी और मोहम्मद रफी दोनों ही बडे अच्छे भाायर और गीतकार थे। यहां पर कोई यह कहे कि कलाकारों के नाम लाने की क्या आव यकता थी ? यह ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि उनको इस फहरिस्त में रखना बडा जरूरी था। इनमें भाायर भी हैं और लेखक भी हैं। लीडर आफ दी हाउस ने हवाला दिया है कि तलखीयां और परछाइयां नामक उर्दू काव्य संग्रहों के लिये साहिर साहब को बहुत ख्याति मिली। इनका तर्जुमा न केवल हिन्दुस्तानी भाशाओं में हुआ बल्कि कई विदे ाी भाशाओं में भी हुआ। ऐसे महान कलाकार हमारे बीच से चले गये हैं जिनके लिये कुदरती तौर पर हमें अफसोस है। जहां तक मोहम्मद रफी का ताल्लुक है, उनका नाम तो जो लोग सिनेमा देखते हैं उन सभी को पता हैं मैं तो कभी सिनेमा नहीं देखता, भाायद जिन्दगी में दो चार बार ही देखने का अवसर मिला

हो। वे प्ले बैक सिंगर रहे हैं। उनके गाने दूसरे दे ाों में गये। विदे ाों में भी उनका नाम है। ऐसे ऊंचे कलाकारों का जिक्र करना कोई गलत बात नहीं है। श्री मांगू राम हरिजन नेता के रूप में जाने जाते थे। वे पंजाब के अंदर एम0एल0ए0 रहे। वे हरिजनों की भलाई के लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेते रहे हैं। उनके निधन पर भी बहुत अफसोस है। श्री मेहता साहब का स्वामी जी ने नाम बताया है। उस नाम को भी चीफ मिनिस्टर साहब ने भाामिल कर लिया है। उनके निधन पर भी अफसोस है। हमारे दोस्तों ने कालांवाली कांड के मृतकों का भी जिक्र किया। उनका नाम इस लिस्ट में आना तो मु कल है लेकिन यह ऐसी दुर्घटना है जिसके बारे में एडजर्नमैंट मो ान और काल अटैं ान नोटिस दिये गये हैं। स्पीकर साहब, उस वक्त आपसे टाईम लेंगे और आ ाा है कि उस वक्त आप इजाजत दें गे। हम नहीं चाहते कि इस समय उनके बारे में कुछ कहा जाये। लेकिन जो कुछ वहां हुआ है या जो लोग मरे हैं यह बहुत ही दर्दनाक बात है।

श्री अध्यक्षः दे ा में ऐसी बहुत सी दुर्घटनायें होती हैं। इसके बारे में सभी को अफसोस है लेकिन इस मौके पर उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है।

श्री मूल चन्द जैनः मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि जब कोई काल अटैं ान मो ान या ऐडजर्नमैंट मो ान आयेगी तो उस टाईम पर इसके विशय में बोलूंगा। इन भाब्दों के साथ जो प्रस्ताव लीडर आफ दी हाउस की तरफ से पे ा हुआ है मैं उसका

समर्थन करता हूं। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से कहता हूं कि इस भाोक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाये और सभी के परिवारों को अलग अलग भाोक प्रस्ताव भेजा जाये।

डा0 मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की और से सदन में भाोक प्रस्ताव पे ा किया गया है। 16 नामों की सूची पहले ही थी लेकिन उसमें एक नाम एक सदस्य महोदय के कहने पर और जोड दिया गया है। अच्छा होता कि उनके विशय में भी यहां पर विस्तार से बता दिया गया होता। मुख्य मंत्री महोदय उनके जीवन के विशय में परिचय दे देते तो सदन के माध्यम से सारे दे ा और प्रदे ा को मालूम हो जाता। इस प्रस्ताव में 17 महानुभावों के नाम हैं। प्रथा के अनुसार सभा के सत्रावसान के प चात जो लोग अपने दे ा में या अन्य दे ाों में दिवंगत हो जाते हैं। उनका उल्लेख यहां पर औपचारिकता के रूप में किया जाता है जैसा कि आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पडौसी राज्य लंका के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर जोन कोटलेवाला का नाम है। मैं उनके निधन पर भाोक प्रकट करता हूं। स्पीकर साहब, इसमें दस लोग ऐसे हैं जो राजनैतिक हैं यानि राजनीति से जिनका संबंध रहा है चाहे वे केन्द्र में मन्त्री रहे या प्रदे ा के मुख्य मंत्री रहे हैं। इनमें से कुछ राज्य सभा और लोक सभा के सदस्य भी रहे हैं। इसमें न्यायाधी ा और ि ाक्षा भाास्त्री को भी भाामिल किया गया है। यह भी अच्छा किया है कि दो प्रतिभा ाली कवियों को भी भाामिल किया गया है। उन लोगों के

प्रति भी भाोक प्रकट करके कर्त्तव्य को पूरा किया है। स्पीकर साहब, यहां पर पहले ही कहा जा चुका है कि श्री हनुमन्तैया जी को ज्वायंट पंजाब के टाईम पर प्र ाासन सुधार समिति का चेयरमैन बनाया गया था। बडी योग्यता से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट कहां तक अमल में आई इसको प्रभु जाने। उनकी खुद की अकलियत में कोई कसर नहीं थी। इसी प्रकार से वामपंथी सांसद का यहां पर उल्लेख किया जाना, जिनका सारा जीवन श्रमिकों को प्रेरणा देने के लिये बीता है, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से हमारे प्रदे ा में जो एम0एल0एज0 रहे हैं, उनको भी नाम इसमें लिखा है। स्पीकर साहब, पंजाब और कुरूक्षेत्र वि वविद्यालयों में उपकुलपति के पद पर आसीन रहने वाले स्वर्गीय श्री सूरजभान का नाम भी इस भाोक प्रस्ताव में भाामिल है। श्री सूरजभान के जीवन के बारे में, मैं यहां पर वि ो ा तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ि ाक्षा के क्षेत्र में बहुत बडा काम किया है। वह पब्लिके ान के क्षेत्र में बडे लौकप्रिय व्यक्ति थे। वे डी0ए0वी0 स्कूल के प्राचार्य भी रहे जैसा कि इस भाोक प्रस्ताव में जिक्र है। स्पीकर साहब, वे डी0ए0वी0 स्कूल के ही प्राचार्य नहीं हैं बल्कि वे डी0ए0वी0 कालेज के भी प्राचार्य बडी देर तक रहे। स्पीकर साहब, उनमें किसी काम को करने के लिए बडा भारी वि वास था। जहां तक ि ाक्षा के क्षेत्र का सम्बंध है, इस क्षेत्र में तो वे बहुत ही अगुवा रहे हैं। उन्होंने डी0ए0वी0 कालेज की मैनजिंग कमेटी की अध्यक्षता भी स्वीकार की। वे अपने कार्य को पूरा करने में दिन

रात लगे रहते थे। मुझे उनके बारे में व्यक्तिगत अनुभव है। जब कभी मैंने अपने किसी डिग्री कालेज के बारे में उनसे सहयोग लेना चाहा था तो उन्होंने मुझे हर प्रकार से मार्गद र्न किया। ि ाक्षा के काम में वे बडी रूचि रखते थे। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बडा उल्लेखनीय कार्य किया है और बडा भरी योगदान उनका रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री हरदित्त सिंह भट्टल का नाम भी इस भाोक प्रस्ताव सूची में सम्मिलित है। वे पैप्सू विधानसभा में भी मैम्बर रहे हैं और पंजाब विधान सभा के भी मैम्बर रहे हैं। श्री पोसवाल साहब को भी याद होगा कि जब सन 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हो गया था। उस बीच में ये 1962–66 तक चुन करके आये थे। इस अवधि के दौरान वे संगरूर से चुन कर आये थे। उनके राजनीतिक विचार वामपंथी थे। परन्तु जहां तक उनके जीवन का सम्बंध है, उनका जीवन बडा सादा रहा है। उनके इस सादा जीवन के लियें जितनी भी प्र ांसा की जाये कम है। अध्यक्ष महोदय, श्री अमर सिंह जी का भी यहां पर जिक्र है। वे अकाली दल के महामंत्री भी थे। वे इस युग में पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वालों में अद्वितीय ही थें उनको बोलना अपनी अलग ही किस्म का था। वे बडे अच्छे वक्ता थे।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से इन दिवंगत महानुभावों की सूचि में हमारे आदरणीय श्री ए0एन0 भण्डारी, भूतपूर्व न्यायाधी ा का नाम भी है। श्री भण्डारी करनाल के अंदर डिप्टी

कमि नर के पद भी रहे हैं। वे अविभाजित पंजाब हाई कोर्ट में जज भी रहे। बाद में जब पंजाब अलग बना तो उसके भी वे चीफ जस्टिस रहे हैं। स्पीकर साहब, उनके निर्णय ऐसे हैं जो कि बहुत समय तक याद रहने वाले हैं और कभी भुलाये नहीं जा सकते।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से साहिर लुधियानवी का भी नाम हे। उनकी कविताएं और उनके गीत बडे ही आनन्द देने वाले हैं। रफी साहब की आवाज बडी मधुर आवाज थी। रफी साहब के बारे में जो बात मैं कहना चाहता हूं भाायद उसकी तायल साहब भी तारीफ करते लेकिन इस समय यहां पर जिक्र करना ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, इतने अच्छे भाायर का अकस्मात निधन हो गया है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यह प्रभु की लीला है जो भी इस संसार में आता है उसे एक दिन अव य ही इस संसार से जाना होता है। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से हकूमत राय भााह का भी नाम इन भाोक प्रस्तावों में भाामिल है। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। स्पीकर साहब, कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि कालांवाली में जो घटना घटी है और उनके अंदर जो व्यक्ति मर गए हैं, उनका भी नाम इस सूची में होना चाहिए। लेकिन मैं इस समय इन महानुभावों के प्रति जो संवदेना प्रकट की जा रही है, उसकी खूबसूरती बिगाडना नहीं चाहता। खूबसूरती बिगाडने का सवाल ही नहीं है। कालांवाली में लोग असली भाराब लेने के लिऐ गये थे लेकिन वे मर गए। स्पीकर साहब, मैंने एडजर्नमैंट मो ान दी हुई है जब वह हाउस के सामने आयेगी

उस समय सारी दासतां मैं सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि स्पीकर साहब, आप उस समय उन व्यक्तियों के प्रति भी संवेदना प्रकट करने की अनुमति इस हाउस के अंदर देंगे। स्पीकर साहब, जो भाोक प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने हाउस के सम्मुख रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से रिकवैस्ट करता हूं कि समय पहली ही काफी हो चुका है। इसलिये मैं कम से कम समय लेकर अपने विचार प्रकट करें क्योंकि अभी बहुत से मैम्बर साहेबान ने बोलना है।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, जिन 16 दिवंगत आत्माओं के प्रति मुख्य मंत्री महोदय ने भाोक प्रस्ताव आज सदन के सामने रखा है और एक 17वें दिवंगत के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये स्वामी आदित्यवे ा जी के कहने पर इस सूची में जिनका नाम जोडा गया है। उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि भेंट करने के लिये मैं अपनी तरफ से और अपने दल के साथियों की तरफ से इस सदन में खडी हुई हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि उन सभी दिवंगत के प्रति तो होगी ही लेकिन कुछेक महान आत्माओं का उल्लेख मैं अव य करना चाहूंगी। स्पीकर साहब, समय के अभाव के बारे में आपने पहले ही बता दिया है। इसलिये इसको मद्देनजर रखते हुए मैं केवल 2–4 विभूतियों का ही जिक्र करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं श्री माधोराम भार्मा जो हरियाणा के ही थे और

बहुत बडे सांसद थे, उनके बारे में जो उल्लेख किया गया है, का जिक्र करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निजी सम्पर्क पं0 माधोराम भार्मा से रहा है। एक बुर्जुग के नाते मैं उनको सम्मान करती थी। लेकिन एक बात और कहूंगी कि अगर किसी को उनके साथ मिलने का मौका मिला हो तो उसको मालूम होगा कि उनका जीवन एक बडा प्रेरणादायक जीवन था। आज उनके जाने से इस भाहर को और हरियाणा प्रदे ा को जो हानि हो रही है, उसकी पूर्ति की जानी असंभव है। इसलिये आज उनके निधन से बडी निजी हानि का आभास हमें हो रहा है। इसके बाद श्री हकूमत राय भााह जो पानीपत की ही विभूति रही है, का जिक्र करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, राजनीति के कारण मेरे उनसे कैसे ही सम्बंध रहे हों और राजनीति के क्षेत्र में भले ही वे मेरे विरोधी रहे हों, लेकिन एक बात उनके बारे में निि चत है कि जो स्थानीय लोकप्रियता उन्होंनें हासिल की उसके बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता। पानीपत के भाहरियों ने जो स्नेह उन्हें दिया वह अपने आप में जिन्दगी की एक बहुत बडी अनुभूति है और सबसे बडी पूंजी है। वह पूंजी लेकर वे इस प्रदे ा से गए हैं। मैं उनके प्रति भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। इसके बाद श्री ए0एन0 भण्डारी जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्टके भूतपूर्व मुख्य न्यायाधी ा रहे हैं, का भी उल्लेख करना चाहूंगी। वे डिप्टी कमि नर भी रहे, जिस का जिक्र डा0 साहब ने किया है। मैं तो उन्हें डिप्टी कमि नर के तौर पर नहीं जानती लेकिन एक भूतपूर्व न्यायाधी ा के नाते से जब कभी हमारी वकील बिरादरी

इकट्ठी बैठा करती थी और पुराने न्यायाधी ाों को जिक्र होता था तो उसके अंदर श्री ए0एन0 भण्डारी का उल्लेख अव य आया करता था। मुझे कभी भी मौका नहीं मिला कि मैं उनके कोर्ट में खडी होकर उन्हें एक न्यायाधी ा के रूप में देख सकती। लेकिन मेरा सम्बन्ध उनके परिवार से, उनकी पत्नी से और बच्चों से रहा है जिनकी फरीदाबाद में फैक्ट्री है। श्री ए0एन0 भण्डारी बेहद प्रतिश्ठित परिवार से संबंध रखने वाले थे। स्पीकर साहब, एक खु ाी की बात यह भी है कि उनके सारे परिवार ने उनकी आनबान को अभी तक बनाया हुआ है। इसक बाद अध्यक्ष महोदय, श्री सूरजभान जी का जिक्र भी यहां पर आया है। वे लाला सूरजभान के नाम से जाने जाते थे। वे 1965 से 1974 तक पंजाब वि वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। यह संयोग है कि 1970 से लेकर 1973 तक मैं उसी वि वविद्यालय में एक छात्र के रूप में रहकर ला ि ाक्षा प्राप्त कर रही थी। उस समय वे उस यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर थे। छात्राों की गतिविधियों मे ंभाग लेने के कारण मेरा उनसे बडा निजी सम्पर्क रहा है। बहुत से मोके ऐसी भी आये जबकि आपस में हमारी तकरारें हुई और इन मौकों पर हमने कभी कभी उनकी मुखालफत भी की। लेकिन एक दृश्टिकोण उनका नि ि चत तौर पर छात्राों के प्रति था और जिस ढंग से वे स्थिति का सामना किया करते थे और स्थिति को समझते थे उसी एक अच्छे प्र ाासक की छाप उन्होंने मेरे मन पर छोडी हुई है। अध्यक्ष महोदय, एक बात का जिक्र इसमें नहीं किया गया बाकी सारे कारनामों का जिक्र किया हुआ है। जिस समय उनका निधन

हुआ उस समय भी वे सारी डी0ए0वी0 मैनेजिंग बाडी के प्रेजिडैंट थे। वे बहुत बडे आर्य समाजी थे और डी0ए0वी0 मैनेजिंग बाडी के पूरी की पूरी आर्गेनाईजे ान के उस समय अध्यक्ष थे सिज समय उनका निधन हुआ। वाकई ही उनकी मृत्यु से एक बहुत बडे अनुभवी ि ाक्षा भाास्त्री और कु ाल प्र ाासक को हमने खो दिया। अध्यक्ष महोदय, यहां पर साहिर लुधियानवी जी का भी जिक्र आया है। लेकिन एक बात मैं उनके बारे में जरूर कहूंगी कि जो भी लोग भाायरी के बारे में थोडी बहुत जानकारी रखते हैं वे उनको बडे इंकलाबी भाायर के तौर पर जानते होंगे। अध्यक्ष महोदय, भाायद आपको भी भाायरी से या उनकी जबान से कभी थोडा बहुत लगाव रहा हो। उर्दू जबान के भाारी पहले ई क और मोहब्बत की भाायरी के लिए ही जानी जाती थी। भाायद साहिर साहब की एक ऐसे आदमी आये जिन्होंने यह कह कर कि "भूख और प्यास की मातमी दुनिया ई क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है।" उन्होंने एक इंकलाब उर्दू भाायरी में लाया था। इस प्रकार से उन्होंने उर्दू भाायरी को एक नया मोड़ दिया। इस तरह का नया मोड देने वाले इस भाायर के प्रति मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। मोहम्मद रफी का जिक्र भी यहां पर आया है वह पा र्व गायक के तौर पर आये थे। श्री मूल चन्द जैन जी सिनेमा से उन्हें जोड रहे थे लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि केवल मात्र सिनेमा के लिये ही वे गीत नहीं गाते थे। वे हिन्दुस्तान के हर आदमी के लिये जिसका मन भावुक है, जिसके मन में कभी भी कोई सैन्सेटिव चीज को पकड़ने के लिये कोई भी भावुकता है,

उसके लिये मोहम्मद रफी एक बडे अमिट व्यक्ति रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, उनके सबसे ज्यादा गाने रिकार्ड हुए हैं। लोग यह कहते हैं कि गाने गाने का रिकार्ड लता मंगे ाकर ने स्थापित किया है और उसके लिये सबसे ज्यादा गाने रिकार्ड हुए हैं लेकिन मैं यह कहती हूं कि नहीं, मुहम्मद रफी के सबसे ज्यादा गाने रिकार्ड हुए हैं। जैसे साहिर लुधियानवी को लोग जानते हैं और भूल नहीं पायेंगे मोहम्मद रफी को तो उसके गीत "तुम मुझे कभी भुला न पाओगे, जब भी सुनोगे गीत मेरे, मन्द मन्द मुस्कराओगे" की वजह से भी नहीं भूल पायेंगें। जब भी कोई रेडियो पर गाना चलेगा, चाहे वह दो या अधिक गायकों द्वारा गाया गया हो या सिंगल मोहम्मद रफी द्वारा, मोहम्मद रफी हमे ाा हमे ाा के लिये अमिट रहेंगे। मैं इसके अलावा भी एक और नाम इसमें एड करवाना चाहती हूं जो कि इसी फील्ड से सम्बंधित है वह है बेगर अख्तर का। अगर किसी ने मोहम्मद रफी को सुना होगता तो उसने बेगम अख्तर को भी जरूर सुना होगा वह भी गजब की अदाकारा रही हैं।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): वह तो पिछली बार हो चुका है। (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अगर पहले हो चुका है फिर तो ठीक है लेकिन अगर नहीं हुआ है तो इसमें एड अव य कर लें। फिर भी मैं यह रिकवैस्ट करूंगी कि वह इस बात को चैक करवा लें और इसलिये न कहें कि मैं इसे जोडऩे के लिये कह रही हूं

इसलिये ऐसा कह कर टाल दें कि यह तो हो चुका है। अन्त में मैं अपनी और अपने साथियों की ओर से इस प्रस्ताव की ताइद करते हुए उन दिवंगत साथियों और नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जो हमसे बिछुड गये हैं।

श्री कन्हेया लाल पोसवाल (छछरौली): स्पीकर साहब, जो ये हस्तियां हमें हमे ाा के लिये छोड कर चली गयी हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिये खडा हुआ हूं। मैं उन तमाम महान हस्तियों को जो हमारे दरम्यान इस समय नहीं हैं, अपनी व अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खास तौर पर श्री माधो राम जी, भाई हकूमत राय भााह, साहिर लुधियानवी और मोहम्मद रफी जी को। जो मेरे दोस्त, मेहरबान या कुछ वाकिफ रहे हैं मैं उनके बारे में केवल दो एक भाब्द कह कर ही बैठ जाऊंगा क्योंकि टाईम कम है। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि मोहम्मद रफी साहब को लोग सिंगर के तौर पर जानते हैं लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे एक बेहतरीन बाप भी थे, एक बेहतरीन भाई भी थे। यही बात साहिर लुधियानवी पर भी लागू होती है। .... साहिर लुधियानवी के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि वे एक ऐसे भाक्स थे जो अकेले इस दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को पालते थे। भाायद बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि उन्होंनै अपने एक गरीब दोस्त को जो कि कैंसर का मरीज था, अपना पेट काट कर भूखों रह कर अपने खर्चे पर उसका इलाज करवाया। अमेरिका तक के इलाज का खर्चा

उन्होंने अपनी जेब से किया। वे इतने बेहतरीन दोस्त और रहम दिल व्यक्ति थे। श्री माधो राम के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि नीचे के लोगों को ऊपर उठते हुए देख कर वे बहुत खु ा होते थे। उनमें एक हिम्मत थी जो वे दूसरों को देने की कोि ा ा किया करते थे। मैं अन्त में इन सब महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, हाउस में स्वर्गवासी महानुभावों के बारे में जो भाोक प्रस्ताव तथा विचार रखे गये हैं, मैं उनके साथ अपने आपको भाामिल करता हूं।

सर जौन कोटलेवाला हमारे पडौसी दे ा श्री लंका के प्रधान मंत्री रहे। उन्होंने अपने दे ा की बहुत सेवा की तथा उसकी प्रोग्रैस और प्रौसपैरिटी के लिये बडी कुर्बानी की। मैं इस महान व्यक्ति के निधन पर भाोक प्रकट करने में हाउस के मैम्बर्ज साहेबान के साथ हूं।

श्री के0 हनुमन्तैया एक माने हुए पार्लियामैंटेरियन थे और उन्होंने कई बडे पदों पर कार्य करते हुए दे ा की सेवा की। वे सैंटर और पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म कमी ान के चेयरमैन भी रहे।

श्री माधो राम भार्मा ने हमारी स्टेट को लोक सभा में करनाल कांस्टीच्यूऐंसी से रिप्रेजैंट किया। इससे पहले वे पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल तथा राज्य सभा के भी मैम्बर रहे।

श्री हकूमत राय भााह हमारे प्रान्त के एक बडे काबिल और मैच्योर लैजिस्लेटर थे। उनके दाह संस्कार के वक्त मुझे भी पानीपत जाने का मौका मिला। वहां गरीब और अमीर लोग, छोटे और बडे पदों पर काम करने वाले स्त्री व पुरूश बडी संख्या में इकट्ठे हुए थे। इससे पता चलता है कि वे अपने इलाके में बडे लोकप्रिय थे।

श्री ए0एन0 भण्डारी, पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। उन्होंने पार्टी ान के बाद ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट की डिवैल्पमैंट और उसके स्टैंडर्ड को ऊंचा करने में काबिले तारीफ काम किया।

श्री सूरजभान पंजाब और कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटीज के कई सालों तक वाईस चांसलर रहे। वे हमारे दे ा के एक माने हुए एजुके ानिस्ट थे। उन्होंने कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है, को बिल्ड और डिवैल्प करने के लिये जो कार्य किया, वह हमे ाा याद रहेगा।

सर्वश्री मांगू राम, अमर सिंह दोसांझ और हरदित्त सिंह भट्टल हमारे पडौसी राज्य पंजाब के लीडिंग लैजिस्लेटरज थे।

साहिर लुधियानवी और मोहम्मद रफी ने फिल्मी दुनिया में बतौर पोईट और प्ले बक सिंगर दे ा और विदे ा में बहुत नाम कमाया। इनका नाम संगीत प्रेमियों में हमे ाा रो ान रहेगा।

इन सब नेताओं और महान व्यक्तियों के स्वर्गवास से

हमारे दे ा को बहुत नुक्सान हुआ है। मैं इस हाउस की डभ्प फिलीग्ंज को भाोक जदा परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से रिक्वैट करूंगा कि इन डिपार्टिड लीडर्ज के प्रति होमेज पे करने के लिये खडे होकर दो मिनट मौन धारण करें।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

House Jobs in Medical College, Hospital, Rohtak

***1785. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the Department wise total number of senior and junior House Jobs, separately in Medical College, Hospital, Rohtak as on 31-7-1980;

(b) whether there is any proposal unde consideration of the Government to increase the number of House Jobs referred to above equal to the number of seats for M.B.B.S. students in Medical College, Rohtak; if so, the time by which these are likely to be increased/implemented; and

(c) if the reply to part (b) in negative, the extent to which the aforesaid House Jobs are likely to be increased

during the year 1980-81 ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जूनियर हाउ जाब्ज – 46

सीनियर हाउस जाब्ज– 49

विभागवार संख्या की सूचि सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जूनियर तथा सीनियर हाउस जाब्ज की संख्या में वृद्धि के मामले पर मैडिकल कालेज, रोहतक की हस्पताल कौंसिल द्वारा हाल ही में विचार किया गया है। इस कौंसिल ने 22 अतिरिक्त हाउस जाब्ज (12 सीनियर तथा 10 जूनियर) सृजन करने की सिफारि ा की है। कौंसिल की सिफारि ों मैडिकल कालेज के विचाराधीन हैं।

सूची

दिनांक 31–7–1980 को सीनियर तथा जूनियर हाउस जाब्ज का विभागवार विवरण :–

क्र0 सं0	विभाग का नाम	सीनियर हाउस जाब्ज की	जूनियर हाउस जाब्ज की

		संख्या	संख्या
1	जनरल मैडिसीन	8	8
2	जनरल सर्जरी	8	8
3	न्यूरा सर्जरी	1	1
4	पीडियाटिक सर्जरी	1	1
5	बर्न यूनिट	1	
6	आर्थोपेडिक	3	3
7	पैरा प्लैजिक	1	1
8	ई0एन0टी0	1	1
9	नेत्र विभाग	4	4
10	टरकोमा प्रोग्राम	2	2
11	रैडियोलोजी	1	1
12	पीडियाटिक्स	3	3
13	प्रसूति एवं स्त्री रोग	4	4

14	पोस्ट मार्टम प्रोग्राम	1	
15	मनोरोग विभाग	3	2
16	क्षय एवं छाती रोग	1	1
17	चेतना भून्य विभाग	4	4
18	स्किन एण्ड वी0डी0	1	1
19	दन्त	1	1
	कुल	49	46

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल 46 जूनियर हाउस जाब्ज हैं यह जो सीनियर हाउस जॉब्ज होती हैं, यह 6 महीने के बाद जूनियर से सीनियर बनते हैं। मैडिकल कालेज में तकरीबन 115 सीटें हैं। कहने का मतलब यह है कि लगभग सौ सवा सौ डाक्टर्ज यहां से बनकर निकलते हैं जबकि सीटें उनके लिये आधे से भी कम हैं।

श्री अध्यक्षः आप सुझाव न दीजिए, आप सवाल पूछिए।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः सवाल ही पूछ रहा हूं जी।

उन्होंने यह कहा है कि इन सीट्स को बढाने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नही ंहै। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि अगर उनके पास जूनियर एक्सट्रा जूनियर, या आनरेरी हाउस जाब्ज बढाने के लिये कोई प्रस्ताव आयेगा तो क्या वे उसे मानने के लिये तैयार होंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने आंकडें जरा ठीक से नहीं दिये। टोटल हाउस जाब्ज जूनियर और सीनियर मिलाकर 95 हैं। 2 और हाउस जाब्ज के लिये मैडिकल कालेज की कौंसिल ने रिकमैंड किया है जो कि अभी मैडीकल कालेज के विचाराधीन है। कुल सीटें 115 हैं 22 जो रिकमैंड की हुई हैं उनको मिलाकर सिर्फ दो हाउस जाब्ज की कमी है। बाकी जितना स्टाफ होना चाहिए, वह पूरा हैं

Sh. Surender Singh: Speaker, Sirl, may I know the principles laid down to fix the number of posts of House jobs in the Medical College, Rohtak ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसका नार्म मैडिकल कौंसिल आफ इंडिया तय करती है। इस समय मैडीकल में 1074 बिस्तरे हैं और दस बिस्तरों के साथ एक हाउस जाब होता है। छः महीने की ट्रैनिंग जूनियर हाउस जाब की होती है और उसके बाद छः महीने की ट्रेनिंग सीनियर हाउस जाब की होती है। मैडीकल कालेज में 117 की संख्या होनी चाहिए लेनिक इस वक्त 115 की संख्या है। दो की कमी है। इस कमी को पूरा कर दिया

जाएगा।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान आज जो सवाल हैं वे बहुत ही अच्छे हैं लेकिन वे आखिर में हैं। मैं आप सबसे रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि आप सप्लीमैंटरी कम करें जिससे कि सब सवालों के जवाब आ जाएं। मैंने पिछली दफा लोकसभा में बैठ कर सै ान देखा था, वहां पर प्रथा यह है कि किसी भी सवाल पर दो या तीन से ज्यादा सप्लीमैन्टरी अलाउ नहीं की जाती हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल पर दस मिनट तक बहस होती रहती है। अगर आप चाहेंगे तो वही प्रथा रख ली जायेगी लेकिन अगर कम से कम सप्लीमैंटरी पूछें तो अच्छा रहेगा।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः अभी मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि जूनियर से सीनियर बनते हैं। स्पीकर साहब, जूनियर से सीनियर तो छः महीने के बाद बनते हैं। अगर सौ लडके पास होते हैं तो सौ के सौ पहले जूनियर लगते हैं लेकिन आपके पास केवल 46 जबा हैं कम से कम 70 परसैंट तो आप जूनियर जाब हाउस लगाओ। इनमें जूनियर, एक्सट्रा जूनियर और आनरेरी एक्सट्रा जूनियर आप लगाएं पंजाब में भी यही प्रथा है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बात पहले ही स्पश्ट कर दी है। मैंने पहले बताया है कि जितने हाउस जाब चाहिएं उससे केवल दो कम हैं और वह कमी हम पूरी कर देंगे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एम0बी0बी0एस0 करने के

बाद कुछ डाक्टर्ज चले जाते हैं। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः सवाल के जवाब में बताया गया है कि 46 जूनियर हाउस जौब हैं और 49 सीनियर हाउस जौब हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमैंट में हाउस जौब पूरे हैं या कम हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सारी डिटेल दी हुई है कि जूनियर हाउस जौब कहां हैं और सीनियर जाउस जौब कहां हैं। जवाब में सब कुछ लिखा है। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बता दिया है कि 95 पोस्टस भरी हुई हैं और बाईस के लिये मैडीकल कालेज की कौंसिल ने रिकमैन्ड किया है और यह मामला मैडीकल कालेज में कंसिडर हो रहा है। इस तरह से 117 हो जाती हैं। (व्यवधान)

Quantity of Wax, Paper and Steel received in the State

***1805. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total quantity of wax, paper and steel received in the State during the years 1979-80 and 1980-81 (to-date) together with the names and addresses of persons/institutions to whom the above mentioned commodities have been allocated during the same period separately; and

(b) the total number of cases of misutilisation of commodities referred to in part (a) above to date, and the

names of persons/institutions involved in them together with the action taken against them, separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

क्र0	माल का नाम		1979–80	1980–81
(क)	1	मोम	684 मी0 टन	696 मी0टन
	2	कागज	1296.443 मी0 टन	1195 मी0 टन
	3	लोहा तथा इस्पात	37515 मी0 टन	14739 मी0 टन

वर्श 1979–80 तथा 1980–81 (आज तक) जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को उपरोक्त माल दिया गया था उनके नाम और पते की सूचना एकत्रित करने एवं प्रस्तुत करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा असके मुकाबले में लाभ उतना नहीं होगा।

(ख) मोम–2, कागज–3, लोहा तथा इस्पात– 96

2. व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम जिन्होंने माल का दुरूपयोग किया था उसकी सूचियां अनैक्चर 1, 2 तथा 3 पर उपलब्ध है।

3. मैटीरियल के दुरूपयोग करने वाली इकाईयों का आगामी कोटा बन्द कर दिया गया है।

एनैक्स चर–1

वर्श 1979 तथा 1980 में पैराफिन मोम का दुरूपयोग करने वाली इकाईयों की सूची–

1. मैसर्ज दयामा मोमबत्ती उद्योग, गांव तथा डाकघर बचोड़, जिला महेन्द्रगढ़।

2. मैसर्ज फकीर चन्द पवन कुमार, मोमबत्ती मैनुफैकचररज, जींद।

एनैक्स चर–2

इकाईयों की सूचि जिन का कागज का कोटा वर्श 1979 तथा वर्श 1980 में बन्द किया गया–

क्रमांक	इकाई का नाम पता साहित
1	मैसर्ज बोबी इण्टरपराईज
2	मैसर्ज मोहरा इण्डस्ट्रीज, मनेसर (गुड़गांव)
3	मैसर्ज जनता पेपर मनवरटिंग इण्डस्ट्रीयल कारपोरे ान, डी0एल0एफ0 कालोनी, रोहतक

एनैक्स चर–3	
स्टील की इकाईयां जिनका कोटा वर्श 1979–80 तथा 1980–81 में बन्द किया गया–	
करनाल	
	मैसर्ज
1	भारदा इन्जीनियरिंग वर्कस, गांव बल्ला, तहसील करनाल
2	इलाईड स्टील फर्नीचर, गांव व डाकखाना सालवान, तहसील करनाल
3	जबल इन्जीनियरिंग वर्कस, गांव तैरोरी (करनाल)
रोहतक	
4	जसपाल एग्रो इण्डस्ट्रीज, गांव बलयाना (रोहतक)
5	हरियाणा स्टील इण्डस्ट्रीज, गांव भलोट (रोहतक)
6	अजीत एग्रो इण्डस्ट्रीज, गांव खेडी साद (रोहतक)
7	अग्रवाल एग्रो इम्पलीमैंटस वर्कस, मदिना (रोहतक)
8	हरिअन्त इण्डस्ट्रीज, तेज कालोनी (रोहतक)
9	अमर इण्जीनियरिंग वर्कस, हिसार रोड़, (रोहतक)

10	कुताना फर्नीचर एण्ड स्पोंर्ट्स इण्डस्ट्रीज पी0सी0आई0सी0 (रोहतक)
11	राजा इंजीनियरिंग वर्कस, हिसार रोड (रोहतक)
12	आर0बी0 इण्डस्ट्रीज, गोहाना रोड, (रोहतक)
13	भारद्वाज एग्रो इण्डस्ट्रीज, गांव माताहेल (रोहतक)
14	बनवारी लाल एण्ड सन्ज, काठ मण्डी (रोहतक)
15	किसान एग्रो एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज, सांपला (रोहतक)
16	पी0के0 इण्डस्ट्रीज, गांव खरवार (रोहतक)
17	सावन इम्पलीमैंट्स, गांव डिगल (रोहतक)
18	रविन्द्रा इण्डस्ट्रीज, काठ मण्डी, (रोहतक)
19	सुन्दर टीन फैक्ट्री, सरकुलर रोड, (रोहतक)
20	किसान एग्रो इण्डस्ट्रीज, हिसार रोड रोहतक
21	भगवान एग्रो इण्डस्ट्रीज, गांव छूछकवास (रोहतक)
22	बाबरवाल इण्डस्ट्रीज, गांव सुनारी कलां (रोहतक)
23	भाटिया स्टील इण्डस्ट्रीज,सोनीपत रोड (रोहतक)
24	ि ाव स्टील इण्डस्ट्रीज, गांव असथल बोहर (रोहतक)

25	वि ाल एग्रो एण्ड स्टील फैबरीकेटर, गांव बाहु अकबरपुर (रोहतक)
26	किसान ग्राम उद्योग, गांव बाहु अकबरपुर (रोहतक)
27	जैन एग्रीकल्चर एण्ड मैटल प्रोडक्टस, सरकुलर रोड़, (रोहतक)
28	जनता एग्रो एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज, सांपला (रोहतक)
29	कृशि इण्डस्ट्रीज वर्कस, बस स्टैंड सांपला (रोहतक)
30	सांपला एग्रो इम्पलीमैंटस पी0सी0आई0एस0लि0 सांपला (रोहतक)
31	वि वकर्मा इंजीनियरिंग एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज, सांपला (रोहतक)
32	अमर इण्डस्ट्रीज, भिवानी रोड (रोहतक)
33	दुर्गा ट्रंक हाऊस, गुहाना रोड़, (रोहतक)
34	वि वकर्मा इंजीनियरिंग वर्कस, गांव गुगाहेड़ी (रोहतक)
35	लक्ष्मी स्टील वर्कस, गांव फरमाना (रोहतक)
36	वि वकर्मा स्टील इण्डस्ट्रीज, गांव लाखन माजरा (रोहतक)
सिरसा	

37	नेहरू ट्रंक एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, गांव खैरम (सिरसा)
38	भारत स्टील इण्डस्ट्रीज, गांव रामनगरिया (सिरसा)
39	रेनु एग्रो इण्डस्ट्रीज,गांव गोबिन्दपुरा (सिरसा)
हिसार	
40	नवीन स्टील वर्कस, नजदीक जाट कालेज, हिसार
41	किसान औजार इण्डस्ट्रीज, भूना (हिसार)
सोनीपत	
42	आर्य इंजीनियरिंग एण्ड रिपेयरिंग वर्कशाप, गुहाना मण्डी (सोनीपत)
43	वि वमार्का एग्रीकल्चर वर्कस, गांव बियानपुर, (सोनीपत)
44	इम्पैक्स आयरन इण्डस्ट्रीज गांव व डाकखाना लैहरारा जिला (सोनीपत)
45	ललित आयन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, गांव फिरोजपुर बांगर, (सोनीपत)
46	अरोड़ा ट्रंक हाउस, गली घसीटा पीछे हिन्दु कालिज (सोनीपत)
47	जै स्टील फैबरीकेटरज, गांव भातन जफराबाद, डाकखाना

	मेहरा, (सोनीपत)
48	गनौर स्टील फैबरीकेटरज, खुबरू रोड, गनौर, (सोनीपत)
49	राके ा फैबरीकेटरज गांव रोठी, तहसील व जिला (सोनीपत)
50	ि ाव एग्रीकल्चर इम्पलीमैंटस स्टील फैबरीकेटरज, गांव फरमाना, (सोनीपत)
51	एस0एस0 एग्रीकल्चर एण्ड इंजीनियरिंग वर्कस, जी0टी0 रोड बेरी, (सोनीपत)
52	हरियाणा स्टील ड्रम एण्ड बोकसिज, गुहाना रोड, (सोनीपत)
53	ि ाव एग्रीकल्चर एण्ड इंजीनियरिंग वर्कस, जी0टी0 रोड मूरथल, (सोनीपत)
54	लाल स्टील प्रोडक्टस गांव व डाकखाना बुडाना, (सोनीपत)
55	कृश्णा स्टील फैबरीकेटरज एण्ड एग्रीकल्चर इम्पलीमैंटस गांव जैहरी (सोनीपत)
56	अलफा इण्स्ट्रीज, सोनीपत 39 माडल टाऊन, सोनीपत
गुड़गावां	

57	पंचल इंजीनियरिंग वकस, फरूखनगर, गुड़गांवा
बहादुरगढ़	
58	अग्रवाल स्टील इण्डस्ट्रीज, बहादुरगढ़।
59	नै ानल स्टील इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, बहादुरगढ़।
60	एस0एस0 इण्टरपराईजिज, गांव गोयला कलां, बहादुरगढ़।
61	रामा ट्रंक इण्डस्ट्रीज, गांव छारा, बहादुरगढ़।
62	पंचल उद्योग, गांव दुलेरा, बहादुरगढ़।
63	यादव फैबरीके ान, गांव नया गांव, बहादुरगढ़।
64	मदन इंजीनियरिंग वर्कस एम0आई0ई0, बहादुरगढ़।
फरीदाबाद	
65	ऐवल स्केल इण्डस्ट्रीज, मथुरा रोड, फरीदाबाद,
66	माइक्रो म ीन टूल्ज, 31–सी, डी0एल0एफ0 इण्डस्ट्रीज एस्टेट, फरीदाबाद,
67	एलमकटूल्ज (इण्डिया) प्राईवेट लि0 फरीदाबाद,
68	टिटोन इंजीनियरिग कम्पनी, पै0 नं0 191, सैक्टर 24, फरीदाबाद,

69	अ ाोका इण्डस्ट्रीज, 12/4 मथुरा रोड़, फरीदाबाद,
70	आर0के0 इण्डस्ट्रीज कारपोरे ान 12/4 मथुरा रोड़, फरीदाबाद,
71	स्टील पायनरस 12/4 मथुरा रोड़, फरीदाबाद,
72	रैकन फास्टनरज प्राईवेट लि0, 138, डी0एल0एफ0 फरीदाबाद,
73	राजिन्द्र इण्डस्ट्रीज, 1/9 डी0एल0एफ0, फरीदाबाद,
74	गंगा इंजीनियरिंग वर्कस 12/2 मथुरा रोड़, फरीदाबाद,
75	जैम मैटल वर्कस प्राईवेट लि0 11/7 मथुरा रोड़, फरीदाबाद,
76	आनन्द पाल स्टील 12/1 मथुरा रोड़, फरीदाबाद,
77	राजधानी सेल्ज कारपोरे ान 12/1 मथुरा रोड़, फरीदाबाद,
78	भीला स्टील 23/5 मथुरा रोड़, फरीदाबाद,
79	एपलायन्स मैनुफैकचरिंग कम्पनी 4, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, फरीदाबाद,
80	चैमपियन इंजीनियरिंग, 25, सैक्टर 24, फरीदाबाद,

81	ि ाव इण्ड0 390, सैक्टर 24, फरीदाबाद,
82	अमर इंजीनियरिंग एण्ड फैबीरके ान 5, सैक्टर 24, फरीदाबाद,
83	ऐवन माईक्रो परसिजन वर्कस, 5—सी/21 फरीदाबाद,
84	डी0पी0 इण्डट्रीज, 5सी/88, फरीदाबाद
85	हरियाणा रूरल इण्टरप्राईसिज गांव बसेला, फरीदाबाद
86	सुरजीत सिंह एण्ड सन्ज, पलवल
87	हिन्दुस्तान फार्म म ीनरी एण्ड इलाईड इंडस्ट्रीज, पलवल
88	जी0एस0 इण्डट्रीज, 23/7, मथुरा रोड़, फरीदाबाद
89	एस0सी0 म ीन टूल्ज, गांव नागल फरीदाबाद
90	एस0के0 इण्टरप्राईसिज, नई कालोनी, फरीदाबाद
91	एग्रो इंजीनियरिंग प्रोडक्टस, 16/5, मथुरा रोड़, फरीदाबाद
92	माईक्रो मैट स्टील एण्ड डाईकास्टिंग, लिंक रोड, फरीदाबाद
93	नै ानल इंजीनियरिंग कारपोरे ान, लिंक रोड़, फरीदाबाद

94	विक्टोरिया टूल्ज एण्ड इंजीनियरिंग 46, सैक्टर 25, फरीदाबाद
95	हरि ा इण्डस्ट्रीज, पटेल भवन, अजरोडा, फरीदाबाद
जीन्द	
96	जमींदारा इंजीनियरिंग वर्कस, गांव उचाना मण्डी, जीन्द

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह कहा है कि उनके नाम औरपते की सूचना एकत्रित करने एवं प्रस्तुत करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उसका उतना लाभ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, लाभ तो क्वै चन करने वाले ने देखना है। जिन्होंने घपला किया है उनके नाम तो दिए ही नहीं गए हैं जब नाम ही नहीं दिये गये तो क्वै चन पूछने का मुद्दा ही खत्म हो जाता है। जब इन्होंने नाम ही नहीं बताया तो जो घपला किया गया है उसका पता कैसे चलेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगर आपने किसी खास नाम के बारे में पूछना था तो वह आपको पूछ लेना चाहिए था। मैं इस बात को सहमत हूं कि सारे नामों के बारे इन्फर्मे ान देना मु कल है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः अगर सारे नाम आते तो आपको पता लग जाता कि कितना घपला है। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये घपले इनके टाईम के हैं जिनको हमने पकडा है। मैंने पिछली दफा भी बताया था और कल मैं फिर बताऊंगा कि चौधरी राम लाल और डा0 मंगल सैन के वक्त में कितने घपले हुए हैं। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः मैं मुख्य मंत्री का चैलेन्ज ऐक्सैप्ट करता हूं। ये उन घपलों की लिस्ट दे दें और वह मामला प्रिविलीज कमेटी को दे दिया जाए। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, 1979 और 1980 इन दो सालों में ..... (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः मैं चौधरी भजन लाल का चैलेन्ज ऐक्सैपट करता हूं। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, 1979 और 1980 इन दो सालों में हमने मोम और कागज का कोई कोटा नहीं दिया। अगर एक दो को दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। वरना हमने मोम और कागज का कोई कोटा नहीं दियां

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैं चौधरी भजन लाल का चैलेन्ज ऐक्सैप्ट करता हूं (व्यवधान)

Mr. Speaker: There should be no challenges and cross allegations during the Question Hour. (Interruptions)

Dr. Mangal Sein: Speaker, Sir..... (Interruptsions)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आन ए प्वाएंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेने ान।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, I will give you time for personal explanation after the Question Hour.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने मोम और कागज का कोई कोटा नहीं दिया। स्टील के बारे में इन्होंने कहा .....

चौधरी भजन लालः मैंने स्टील के बारे में नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ कागज और मोक की बात कही है।

15.00 बजे।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, यह सरकार के हित की बात थी कि वह लिस्ट दे देती लेकिन इन्होंने वह लिस्ट नहीं दी। लोग इसका नतीजा क्या निकालेंगे। मेरा सवाल तो केवल इतना ही था कि जब 1979–80 में इन्होंने मोम और कागज का कोई कोटा नहीं दिया है तो ..... (ाोर)

श्री अध्यक्षः बाबू जी, आप एक मिनट बैठिये, मैं इस बारे में आपको एक रूलिंग पढ़ कर सुना देता हूं।

I would invite the attention of the hon. Members to page No. 504 of the authorititative book "Practice and Procedure of Indian Parliament by S.s. More", wherein it is stated-

"In replying to a question, the Government stated that the expense and labour involved in the collection of information required was such that it would not be justified or commensurate with the results to be achieved, where upon a member asked, if after a question had been admitted, it was open to the Government to give such an answer." But the President ruled:

"With regard to the point of order raised. I think, it is quite within the competence of the Government to say that the labour involved in collecting certain information is such that it would not be justified or commensurate with the result ...."

आवाजें: इसका फैसला किसने करना है ?

श्री अध्यक्ष: मैने तो रूलिंग पढ कर सुनाई है। अगर वे जवाब नहीं देते तो It is for the Speaker to decide whether the reply of the Government is justified or not. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इन्होंने चैलेन्ज दिया है और हमने उसको स्वीकार किया है, यह मामला इम्पार्टेन्ट है तो आपको इस मामले की व्यक्तिगत रूप से इंकवायरी करनी चाहिये। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये साहेबान, लीडर आफ दि हाउस ने अपनी स्टेटमैंट में यह कहा कि 1979 और 80 में इन्होंने कागज और मोम वगैरह के कोई कोटे नहीं दिये हैं। (ाोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, एक आध को छोड कर अगर किसी का लाइसेन्स कैंसिल हो गया हो तो उसकी जगह पर कोई दिया गया होगा। (ाोर) हमने नये सिरे से किसी को कोई कोटा नहीं दिया है, बिल्कुल बन्द कर दिये हैं।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, इनके कहने के मुताबिक इन्होंने मोम और कागज का कोटा किसी को नहीं दिया। आयरन एण्ड स्टील के कोटों की लिस्ट ही हमें दे देते, वह भी इन्होंने नहीं दी। (ाोर)

Mr. Speaker: This is up to me to see and decide. The Government is quite right in saying that the efforts involved in collecting and furnishing the information regarding names will not be commensurate with the results to be achieved.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह था कि 1979–80 में मोम, कागज और स्टील के कोटे की जो मात्रा थी, वह 1980–81 में काफी कम हो गई थी जैसे कागज तो 100 मीट्रिक टन कम हो गया और दूसरे स्टील वगैरह में भी काफी कमी हुई– (विघ्न)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह जो हमने आंकडें दिये हैं, ये दो तिमाही के आंकडें हैं (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, ...

Mr. Speaker: You are speaking withoug my

permission. Nothing will be recorded unless I allow the hon. Members to speak.

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि यह सूचना इकट्ठी करने में काफी समय और परिश्रम लगेगा। क्या यह आंकडें हरियाणा के 12 जिलों के डी0आई0ओज0 से ही इकट्ठे करने थे या इनको कलैक्ट करने का कोई और भी सोर्स है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह कोई एक आध नाम नहीं है। हजारों की तादाद में नाम हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि इन आंकडों को इकट्ठा करने में कितनी लेबर लगनी थी ? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए साहेबान, इस वक्त हमारे दे ा में कागज की भी काफी कमी है। अगर किसी खास केस के बारे में आप जानना चाहते हैं और गवर्नमैंट को इन्फर्मे ान सप्लाई करना मु ि कल न हो लेकिन सारे केसिज के बारे में, जैसे गवर्नमैंट ने कहा है कि इन्फर्मे ान कलैक्ट करने में जितना समय तथा लेबर लगेगी उतना फायदा होने वाला नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूं।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, अगर वे स्पश्ट लिख देते कि "निल" तो ठीक था। वे तो कहते हैं कि नहीं दिया

और साथ कह रहे हैं कि पहले वक्त के दिये हुए हैं। (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, यह मामला बडा सीरियस है। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इन आंकडों को इक्ठा करने में काफी समय लगेगा। साथ में इन्होंने यह भी कहा कि एक आध छोड़ कर जो कि चेन्ज किये हैं, उनके अलावा कोई नया कोटा नहीं दिया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो चेन्ज करके इन्होंने कोटा दिया है, उन्हीं की लिस्ट हमें दे देते तो ठीक था।

श्री अध्यक्षः देखिए, वह लिस्ट तो अगर मांगी जाती, तभी देते। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, इससे आगे हमने पूछा है कि मिसयूटीलाइजे ान के कितने केसिज हैं जो कि पैंडिंग पडे हु ए हैं और इन्होंने हमें उन यूनिटस की लिस्ट दे दी है जिनके कोटे स्टाप कर दिए गये हैं मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने केसिज मिसयूटीलाइजे ान के हैं जो कि पैंडिंग पडे हुए हैं और उनमें इन्क्वायरी हो रही है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो कोटे गलत दिये हुए थे, वह हमने कैंसिल किये हैं। ऐसे 33 केसिज रोहतक के हैं, 15 सोनीपत के हैं और 31 केसिज फरीदाबाद के हैं जिनका कोटा हमने बन्द किया है। अभी कुछ इंकवायरी चल भी रही है जो उस इंकवायरी में दोशीस साबित होगा, उसके खिलाफ अव य

एक ान लिया जाएगा। जिन लोगों को इन्होंने गलत कोटे दे रखे थे, उनके खिलाफ भी एक ान होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। (विघ्न) स्पीकर साहब, इनकी मन ा तो मुझे ऐसी लगती है कि सरकार आगे इंकवायरी बंद कर दे और जितने कोटे इन्होंने गलत लोगों को दे रखे हैं, वे लोग बच जाएं। लेकिन जिस किसी के खिलाफ कोई गलत बात पाई गयी उसे माफ नहीं किया जाएगा।

Subsidy on Pesticides and Other Agricultural Inputs

***1786. Ch. Har Swarup Bura:** Will the Minister for Agriculture be pleased to stae whether there is any proposal under consideration of Government to give subsidy on presticides, fertilizers and other agricultural inputs to the farmers in the State; if so, the details of the amount of subsidy in each case, separately ?

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh): Yes. A staement is laid on the Table of House.

Statement

There are a number of continuing and new schemes for the grant of subsidy on the pesticides, fertilizers and other agricultural inputs for providing incentive to the farmers in the State for increased Agricultural Production. These are given by the Government of India and the State Government respectively and are listed below -

1. Old/continuing Schemes:

(a) State Plan				
Sr. No.	Name of the Scheme	Amount of subsidy sanctioned for 1980-81 (in lakhs)	Amount of subsidy sanctioned for 1981-82 (in lakhs)	Pattern of Subsidy
1.	Scheme for Distribution of Certified Seeds of Wheat, Paddy, Gram, Bajra ect.	45.40	36.90	1. Subsidy on paddy seed at the rate of Rs. 25/- per Qyl. for 20000 qtls.
				2. Subsidy on Wheat seed at the rate of Rs. 20/- per Qyl. for 10000 qtls.
				3. Subsidy on Hybrid Bajra seed at the rate of Rs. 200/- per Qyl. for 8000 qtls.
				4. Subsidy on Hbrid Bajra seed HST at the rate of Rs. 50/- per Qyl. for 1000 qtls.
				5. Subsidy on Barseen seed at the rate of Rs. 100/- per Qyl. for 200 qtls.
				6. Subsidy on Basmati seed at the rate of Rs.

				50/- per Qyl. for 400 qtls.
				7. Subsidy on Groundnut seed at the rate of Rs. 100/- per Qyl. for 500 qtls.
				8. Subsidy on Moong T.L. seed at the rate of Rs. 100/- per Qyl. for 2000 qtls.
				9. Subsidy on Cotton T.L. seed at the rate of Rs. 100/- per Qyl. for 1000 qtls.
2.	Scheme for subsidy on phosphatic Fertilizers	15.00	10.00	The rate of subsidy is 20% and is meant for Gram Crop for the districts of Faridabad, Hissar, Sirsa, Bhiwani, Gurgaon and Mohindergarh.
3.	Popularisation of Bajra Nurseries & subsidy on Toria Seed.	2.00 Conversted (Approx) to Central Sponsored Scheme 2.20 (approx.)		Subsidy on transplation for paddy nursery at the rate of Rs. 100/- per hect.. for 2000 hects.
				2. Subsidy on Toria seed at the rate of Rs. 150/- per Qyl. for 500 qtls. During 81-82 converted to 100% Centrally Sponsored Scheme.

4.	Scheme for Intensification of Green Manuring programme in Haryana	5.00	5.00	The rate of sbusidy is 25% and on the cost of 10000 qtls. Dhancha seed at the rate of Rs. 200/- per qtl.
5.	Scheme for subsidising the cost of Aerial Spray on cash Crop.	45.78	50.00	Under this scheme high cost of aerial spraying operation on the crops like cotton, Sugarcane Mustard etc. is subsidised so as to give relief to the farmers.
6.	Scheme for Integrated pests, diseases, weed Control & to provide 20% subsidy on paddy crop.	18.00	20.00	Under this scheme Govt. is providing 20% subsidy on Weedicides so as to give relief to the farmers.
7.	Scheme for Reclamation of Saline Alkali Soils in Haryana	40.00	30.00	Under this scheme, the subsidy is given to the farmers on Gyhsum inputs for Reclamation of Alkali Soils at the rate of 50% to the farmers having land more than 3 hects.
8.	Scheme for subsidy on land levelling	2.00 (proposed)	10.00	Cost of 50% at the rate of 25% subsidy for land in Haryana.

	in Haryana.			
9.	Scheme for Development of Sugar Cane in Haryana (State Scheme)	1.39		cost of demonstration of plot at the rate of 100/- per hect. for 139 hects.
10.	Strengthening of Sugar Cane Development Scheme (State Scheme)	4.45		1. Subsidy on Seed Nurseries at the rate of Rs. 500/- per hect. for 400 hects.
				2. Subsidy on ratoon development at the rate of Rs. 1000/- per hect. for 200 hects.
				3. Grant for Zonal trails at the rate of Rs. 1000/- per hect. for 5 hects.
				4. Transporation subsidy at the rate of Re. 1/- per qtl. for 40000/- qtls.
(b) Centrally Sponsored Scheme on Sharing basis.				
Sr. No.	Name of the Scheme	Amount of subsidy sanctioned for 1980-81 (in lakhs)	Amount of subsidy sanctioned for 1981-82 (in lakhs)	Pattern of Subsidy
1.	Scheme for Weed control	68.00	60.00	The high cost of Weed icides is being subsidised

	on Wheat Crop (Sharing basis)			at the rate of 25% by the Central & State Govts. on equal sharing basis.
2.	Scheme for Eradication of pyrilla & Bollwarms on Sugar cane (Sharing basis)	5.00	2.00	Under this scheme cost of operational charges for aerial spraying against Sugarcane pyrilla is being subsidised by State & Central Govts. on equal sharing basis at the rate of Rs. 7/- per hect.
3.	Scheme for Development of Oil Seeds Programme (Centrally Sponsored)	5.61	22.56	1. Subsidy on improved seeds at the rate of Rs. 30/- per qtl.
				2. 50% subsidy on plant protection, Chemicals at the rate of Rs. 27/50 per hect. on aerial operation.
4.	Scheme for the Development of pulses programme (Centrally Sponsored)	31.00	35.75	1. Subsidy at the rate of Rs. 150/- per hect. on certified seeds on pulses.
				2. Subsidy at the rate of Rs. 25/- per hetct. on plant protection chemicals (50:50)

5.	Scheme for Maximising (I.C.D.P.) Hissar Distt.	21.00	33.85	1. Subsidy at the rate of Rs. 200/ per hect. for the demonstration of equipment/new inputs.
				2. Operation charges at the rate of Rs. 25/- per hect.
6.	Scheme for the Pesticides on Sugarcane Development Centrally Sponsored Scheme.	11.50		Subsidy on pesticides viz. B.H.C. 10% dust, Malathion 50% B.C. etc. for the use on Sugarcane crop at the rate of 50% to the farmers.
7.	Scheme for Improvement of Existing Storage, structures at farmers level.	40.00	44.00	Under this scheme the farmers are provided inputs viz., polythene sheet M.S. Box Outletinlet set at the rate of Rs. 200/- for the construction of Scientific storage structure at farmers level. (100% Centrally Sponsored)
(C) New Schemes proposed for 1981-82 for inclusion in the New Schedule of Expenditure.				
Sr. No.	Name of the Scheme	Amount of subsidy sanctioned for 1980-81 (in lakhs)	Amount of subsidy sanctioned for 1981-82 (in lakhs)	Pattern of Subsidy

1.	Scheme for Rodent control in the fieds.	6.00	4.00	100% subsidy on rodenticides.
2.	Scheme for package Programme on Mango and Ber.		0.75	1. Subsidy on plant materials at the rate of Rs. 25/- subject to maximum of Rs. 100 per plant and subject to maximum of Rs. 1000/- to a farm.
				2. Cost of Demonstration under high density plantation of Mango and Ber.
				3. Cost of Demonstration for rejuvenation.
3.	Scheme ofr Vegetable production Marketing Project around Delhi.		3.90	1. 25% subsidy on plant prot. chemicals subject to Rs. 50/- per hect.
				2. 25% subsidy on P.P. equipment Rs. 100/- per farmer.
				3. 25% subsidy on fruit plants subject to Re. 1/- per plant.
				4. Subsidy on Hont. tools subject to the condition

				of Rs. 50/- per hect.
4.	Scheme for community Paddy Nursery Scheme, (Centrally Sponsored)		5.60	Subsidy on inputs cost raising Nursery.
5.	Scheme for Pilot Project for Reclamation of Saline Soil/Drainage of Water logged acreas in Haryana.		7.5	Subsidy Works of Reclamation of Saline Soil including land levelling smoothing/shaping and bunding etc.
6.	Integrated Sugarcane Development Scheme for the year 1981-82.		15.55	(i) Subsidy on Seed Nurseries at the rate of Rs. 500/- per hect. for 600 hect.
				(ii) Subsidy for ratoon Development programme at the rate of nRs. 1000/- per hect. for 1200 hect.
				(iii) Grant for Zonal trials at the rate of Rs. 1000/- per hect. for 5 hect.
				(iv) Transportation subsidy at the rate of Re 1/- per qutl. for 50000

				qutls.

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसे जवाब में बताया है कि व्हीट सीड पर 20 प्रति ात सबसिडी दी जा रही है। आज कल की हालत को देखते हुए यह सबसिडी बहुत कम है तो क्या इसको बढा कर 50 प्रति ात करने की कोई प्रोपोजल है ?

सरदार तारा सिंहः जी नहीं। असल में सरकार सिर्फ फर्टिलाइजर पैर ही सबसिडी नहीं देती है बल्कि एग्रीकल्चर में लगभग 30 आइटमों पर सबसिडी दे रही हैं।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, यह जो लैंड लैवलिंग की कोर्पोरे ान है यह जिप्सम डालने का काम भी करती है। पहले जिप्सम का एक बैग 2.60 रू0 में मिलता था लेकिन अब 8.85 रू0 में मिलता है। इसके साथ साथ पहले इस पर 83 प्रति ात सबसिडी मिलती थी और अब 50 प्रति ात मिलती है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह सरकार एंटी किसान सरकार है ?

सरदार तारा सिंहः यह बात गलत है। यह सरकार एंटी किसान नहीं बल्कि प्रो किसान सरकार है। यह बात ठीक है कि जिप्सम पर सबसिडी थोडी कम की है। (ोम भोम की आवाजें) लेकिन वह भी हरियाणा सरकार ने कम नहीं की, हरियाणा सरकार तो उतनी ही दे रही है लेकिन जब सैंटर में चौधरी चरण सिंह की

सरकार आई थी, तब कम की गई थी। (ाोर)

चौधरी हुकम सिंहः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि खाद पर 20 प्रति ात सबसिडी दी जा रही है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कीट ना ाक दवाईयों और किसान खाद पर भी सबसिडी देंगे ?

सरदार तारा सिंहः मैम्बर साहब, जवाब पढ कर देखें इसमें सब कुछ क्लियर दिया हुआ है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कृशि विभाग से ताल्लुक रखता है चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब तमाम सरकार के जिम्मेदार हैं, इसलिये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो सबसिडी एग्रीकल्चर मैं किसान को देते हैं, वह सरकार को कितनी बर्दा त करनी पडती है और जो इंडस्टरी में देते हैं, जिसका फायदा सिर्फ चन्द आदमियों को होता है, वह कितनी बर्दा त करनी पडती है ?

श्री अध्यक्षः इसके लिये अलग से नोटिस चाहिए। (ाोर) मैम्बर साहेबान, मैं आपसे रिकवैस्ट करूंगा कि सप्लीमैंटरी सवाल से संबंधित ही होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि चौधरी सुरेन्द्र सिंह का सवाल बहुत बढ़िया सवाल था लेकिन मुख्य मंत्री जी या कोई और मिनिस्टर के पास हर एक इनफर्मे ान जेब में नहीं होती कि एग्रीकल्चर में कितनी सबसिडी दी है और इंडस्ट्री में कितनी दी है। भाायद मुख्य मंत्री जी को इस बारे में पता भी

हो लेकिन इस सवाल का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है। ऐसे सवाल करने से तो वक्त ही जाया होता है।

Rape and Murder of a Girl

***1800. Sh. Raghu Nath Goyal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is in the notice of the Government that some persons of village Uchana Khurd killed a 17 years old girl Birmati in that village after raping her during the month of July, 1980;

(b) if so, whether any case has been resistered against the accused persons together with the names thereof; and

(c) the stage at which the said case is at present ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां माह अप्रैल, 1980 में श्रीमती बीरमती निवासी गांव उचाना खुर्द के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी।

(ख) इस सम्बंध में दोशी सुजाना, भी ा पाल, करम सिंह और मंगल जाट निवासी उचाना खुर्द के विरूद्ध मुकद्दमा नं0 83 तिथि 16–6–80 धाराधीन 302/34/201/376/506 भ0द0स0 थाना उचाना में दर्ज किया गया है।

(ग) इस मुकद्दमा का चालान तिथि 6–8–80 को

दोशियों के विरूद्ध न्यायालय में दिया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है। क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में मंगल जाट पढा है जबकि जवाब में केवल मंगल जाट लिखा हुआ है। इन्होंने मेरे ऊपर आक्षेप किया है, मैं आपकी प्रोटैक ान चाहता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः इस बारे में मैं एक रिमार्क जरूर करूंगा कि अगर किसी मुलजिम का नाम जवाब में आता है तो उसके नाम के साथ उसकी कौम देने की जरूरत नहीं है।

Dr. Mangal Sein: It is un-becoming of a Chief Minister to add the word ..... with the word 'Mangal'.

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जो एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है उसमें कौमियत लिखी जाती है और उसी की नकल हमने दी है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होंने जान बूझकर 'मंगल' के साथ ..... लगाया है। You just see, Sir, how the Chief Minister is behaving in the House ?

चौधरी भजन लालः हजारों मंगल सैन हो सकते हैं और हजारों भजन लाल हो सकते हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः जो सवाल का जवाब दिया हुआ है उसमें यह क्लीयर लिखा हुआ है कि सुजाना भाी ापाल, करम सिंह और

मंगल जाट दोशी पाए गए। अगर मुख्य मंत्री जी से स्लिप आफ टंग में कुछ और कहा गया तो वह रिकार्ड पर नहीं आएगा। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, ...

डा0 मंगल सैनः ..... (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः ..... (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो मेरी इजाजत के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, जो आपने हाउस में आबजर्वे ान दी है ..... (ाोर)

श्री अध्यक्षः लीडर आफ दि अपोजी ान बोलने के लिए खडे हुए हैं और आप लोग पीछे से भाोर मचा रहे हैं। यह आप आपस में फैसला कर लीजिए कि पहले किसको बोलना है ? (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैं रूल कोट करना चाहता हूं। (ाोर)

Mr. Speaker: Wadhwa Sahib, please sit down. I will not allow any quotation of rules on my ruling. (Interruptions)

Ch. Ram Lal Wadhwa: Speaker, Sir.....

Mr. Speaker: Wadhwa Sahib, please sit down. I have given ruling that nothing will be recorded which has been said without my permission.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, आपने इस सवाल के बारे में जो आबजर्वे ान दी है कि इस सवाल के उत्तर में सरकार को किसी बिरादरी का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैं समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। इस बारे में मैं भी सरकार को बताना चाहता हूं कि जब वोटर लिस्ट बनाई जाती है तो उसके लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया का हुकम है कि उस लिस्ट में किसी बिरादरी का नाम न लिखा जाए। इसी तरह से जो जमाबंदी या रेवेन्यू रिकार्ड बगैरह है उसमें से भी बिरादरी का नाम कतई तौर पर उडा दिया है। (ाोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, मैं बोल रहा हूं और ये लोग मुझे इंट्रप्ट कर रहे हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः नो इन्ट्र ंज प्लीज।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरी मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि वे खुद भी ऐसा न करें और अपने एडमिनिस्ट्रे ान को भी ये वार्निग देंगे कि इस प्रकार की बातें हाउस में नहीं होने चाहिए। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जैन साहब ने कहा कि वोटर लिस्ट में बिरादरी का नाम नहीं लिखा जाता। वोटर लिस्ट का कुछ और मतलब होता है और जो मुकद्दमें के केस होते हैं, उनका कुछ और मतलब होता है। यदि किसी आदमी के

खिलाफ अदालत में 302 का मुकद्दमा दायर होता है तो उसके बाप का नाम, दादे का नाम और उसकी बिरादरी का नाम लिखा जाता है। यह इसलिए लिखा जाता है ताकि उस नाम का आदमी किसी दूसरी बिरादरी से गिरफ्त में न आ जाए। सवाल के जवाब में जो दिया गया है यह सारा एफ0आई0आर0 में दर्ज हैं। (ाोर एवं विघ्न)

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के जवाब के पार्ट 'ए' में मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अप्रैल 1980 में श्रीमती बीरमती के साथ बलात्कार किया गया था और पार्ट बी में दिया है कि इस केस में जो भी आदमी दोशी पाए गए थे उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करवाया गया है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि .... (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: It will not be recorded. साहेबान, जहां तक लैजिस्लेचर का संबंध है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जूनियर मैम्बर हूं और यह मेरी पहली टर्म हैं। आप साहेबान में से काफी ऐसे मैम्बर्ज हैं जो काफी सीनियर हैं। मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि हाउस में जो डिस्क ान हो रही है उसका स्तर थोडा ऊंचा रखें। (ाोर)

विरोध पक्ष की ओर से आवाजेंः स्पीकर साहब, इनको भी कहें। (ाोर)

Mr. Speaker: I am requesting everybody.

श्री भले रामः स्पीकर साहब, जो बलात्कार की घटना जींद में घटी है। ऐसी घटनाओं से सारे हरियाणा प्रान्त में एक साल के अन्दर 137 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसे डिस अलाउ किया जाता है।

श्री रघु नाथ गोयलः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी है क्या इस घटना में कोई राजनीतिक आदमी या सरकारी आफिसर इनवाल्व है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस मामले में जो भी आदमी दोशी पाया गया है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और चालान अदालत में दिया जा चुका है और वह वहां विचारधीन है।

Seizure of Charas, Opium and Ganja in the State

***1801. Ch. Bhag Mal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the quantity of charas, opium and ganja seized at various places in the State by conducting raids during the

period form 1st July, 1980 to-date;

(b) the names of persons from whom the contrabands mentioned in part (a) above were seized; and

(c) the names of persons out of those mentioned in part (a) above who were punished by the courts together with the details of punishment given in each case ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 1–7–80 से 30–11–80 तक 22.300 किलो ग्राम चरस और 7.600 किलो ग्राम गांजा आबकारी एक्अ के अधीन हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर पकडी गई है। उसी समय के दौरान 1 क्विंटल 92.813 किलो ग्राम अफीम हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर छापे मार कर पकडी गई है।

(ख तथा ग) जिन व्यक्तियों से अवैध वस्तुएं पकडी गई थीं उनकी संख्या 434 है। इनके विरूद्ध मुकद्दमें विभिन्न स्थितियों में अनुसंधानाधीन हैं तथा न्यायालय में विचाराधीन हैं और अब तक 72 व्यक्तियों को सजा हो चुकी है। दोशी व्यक्तियों के नाम तथा उनकी सजा का विवरण देना जो हर एक केस से सम्बन्धित है, से समय व परिश्रम के तुल्य कोई वि ोश लाभ नहीं होगा।

चौधरी भाग मलः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा है कि कुल 434 आदमियों के पास अवैध वस्तुए पकडी गईं और उनमें से 72 आदमियों को सजा हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता

हूं कि इन 72 आदमियों के नामों की एक लिस्ट बनाकर क्यों नहीं यह लिस्ट इतनी लम्बी चौडी भी नहीं थी ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि इस मामले में कुल 434 आदमी पकडे गए थे जिनमें से 72 आदमियों को सजा हो चुकी है।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि इस मामले में जिला सिरसा की कालांवाली मंडी में भी लोग पकडे गऐ हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस मामले में जहां जहां भी लोग पकडे गए हैं उसका जिलाबार ब्यौरा इस प्रकार है :–

जिला	चरस किलो	ग्राम	अफीम किलो	ग्राम
अम्बाला	4	00	29	00
कुरूक्षेत्र	0	145	16	481
करनाल	4	358	20	288
जीन्द	2	345	32	765
हिसार	0	935	14	265

नारनौल	1	735	8	231
भिवानी	3	530	9	858
सिरसा	0	00	0	600
रोहतक	2	338	26	720
सोनीपत	2	126	0	515
गुड़गांवा	0	418	2	245
फरीदाबाद	0	370	1	845

श्री जयनारायण वर्मा: क्या मुख्य मंत्री बताने का कश्ट करेंगे कि ये जो अफीम, चरस और गांजा आदि पकडे गए, इसमें तस्करी का मामलाभी इनवालव्ड था; यदि हां, तो क्या तस्करी करने वालों के सरबराओं में कोई पोलिटीकल आदमी भी भाामिल थे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह तस्करी का ही तो मामला है यही कारण है कि जिस किसी ने गलत काम किया उसे पकडा गया और उन सबके खिलाफ केस दर्ज किए गए।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्र न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ चुका है। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम कैसे लूं ? जो अफीम खाते हैं वही नाम बता सकते हैं।

चौधरी संत कंवरः क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि हरियाणा के किसी सरकारी दफतर से या किसी कार्पोरे ान के चेयरमैन के आफिस से भी कभी अफीम पकडी गई ?

चौधरी भजन लालः जी नहीं।

Licences for Fire Arms

***1802 Dr. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names of persons to whom the licences for Pistols, Guns and other weapons were issued during the calendar years 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 & 1980, separately in tehsils Fatehabad, and Hissar in district Hissar and in district Sirsa, separately; and

(b) whether the Government has received any complaint that the licence has been issued to any person of doubtful character or to a person whose history sheet is being maintained ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) इस अवधि में 3483 व्यक्तियों को ये लाईसैंस दिए गए हैं। प्रत्येक वर्श में हिसार जिला में तहसील हिसार तथा

फतेहाबाद और सिरसा जिला में दिए गए लाईसैंसों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्श	तहसील हिसार	तहसील फतेहाबाद	जिला सिरसा
1975	73	10	99
1976	57	7	70
1977	137	50	147
1978	149	96	301
1979	408	299	356
1980	487	522	215
कुल जोड़	1311	984	1188

लाईसैंसधारियों के नामों आदि का विवरण देने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे कोई वि ोश लाभ न होगा।

(ख) सरकार को कोई ऐसी ि ाकायत प्राप्त नहीं हुई है।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि सन 1975 में तहसील हिसार में 73, तहसील फतेहाबाद

में 10 और जिला सिरसा में 99 लाईसैंस दिए गये थे लेकिन सन 1980 में तहसील हिसार में 487, तहसहील फतेहाबाद में 522 और जिला सिरसा में 215 लाईसैंस दिए गए। क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि इतनी बडी संख्या में लाईसैंस देने का क्या कारण है ? क्या वहां बदअमनी हो गई है जिसकी वजह से इतने लाईसैंस देने पडे ?

Arms

***1802 Dr. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names of persons to whom the licences for Pistols, Guns and other weapons were issued during the calendar years 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 & 1980, separately in tehsils Fatehabad, and Hissar in district Hissar and in district Sirsa, separately; and

(b) whether the Government has received any complaint that the licence has been issued to any person of doubtful character or to a person whose history sheet is being maintained ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि लाईसैंस गवर्नमैंअ के लैवल पर इ ाू नहीं होते बल्कि नीचे के लैवल पर डिप्टी कमि नर्ज या एस0डी0एम्ज0 इन्हें इ ाू करते हैं। (विघ्न) बहुत से केसिज में एस0डी0एम0 इ ाू करता है और कुछ केसिज में डी0सी0 इ ाू करता है। अध्यक्ष महोदय, लोगौं में जागृति आई है। बहुत से किसान आजकल खेतों में रहना पसन्द

करते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उन लोगों ने लाईसैंस लिए हैं।

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, आजकल कानून बदला हुआ है। Every person is entitled to get a license until and unless there is something against him.

कामरेड भांकर लाल: क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के जिला गंगानगर और हरियाणा के साथ लगते पंजाब के इलाके के लोगों को सिरसा और हिसार के फर्जी वा ि न्दे बना कर लाईसैंस दिए गए हैं ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। कामरेड भांकर लाल जी के नोटिस में अगर ऐसी कोइ बात है तो वे सरकार के नोटिस में लाएं, सरकार उसकी जांच करवाएगी और कसूरवार आदमियों के खिलाफ सख्त से सख्त ऐक ान लेगी।

श्री भाम ेर सिंह: क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि गवर्नमैंट आफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमैंटस को इसी वर्श एक सरकुलर जारी किया है कि असले के कम से कम लाईसैंस दिए जाएं। अगर किया है तो उस पर क्या अमल हुआ ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भाम ेर सिंह जी की बात ठीक है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों दे ा में काफी साम्प्रदायिक दंगे हुए। उसकी वजह से भारत सरकार ने एक

सरकुलर भेजा है जिसमें कहा गया है कि लाईसैंस देते समय पूरी छानबीन की जाए और बिल्कुल ठीक आदमी को लाईसैंस दिया जाए।

चौधरी राम लाल वधवाः यह सरकुलर कब आया ?

चौधरी भजन लालः कोई एक डेढ महीना पहले।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि लाईसैंसधारियों के नाम बताने में जो कसरत करनी पडेगी उसके मुकाबले में उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन क्या उनकी जानकारी में है कि बस्ता अलफ के बदमा ा, नामी डकैतों को भी लाईसैंस दिए गए हैं ?

चौधरी भजन लालः सरकार के नोटिस में ऐसी बात नहीं है। डाक्टर साहब अगर ऐसी कोई इन्फर्मे ान देंगे तो उसकी सरकार जांच करवाएगी और ऐसे गलत आदमियों के पास असला किसी हालत में नहीं रहने दिया जाएगा।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने वर्श 1975, 76, 77, 78, 79 और 80 की जो फिग्गर्ज दी हैं उनसे बिल्कुल स्पश्ट तौर पर यह जाहिर है कि इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद लाईसैंसों की मात्रा तहसील हिसार और फतेहाबाद में कोई 10–20 परसैंट नहीं बढी बल्कि तीन चार सौ परसैंट बढी है और सिरसा जिले में बिल्कुल कम हो गई हैं क्या ये बताएंगे कि इसका क्या कारण है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मूल चन्द जैन जी को एक बात तो यह पता होनी चाहिए कि लाईसैंस इ ा करने से सरकार को इन्कम होती है और सरकार के घर से जाता कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है जैसा मैंने पहले अर्ज किया, किसान लोग खेतों में रहने लग गए हैं इसलिए उनहोंने अपनी सेफ्टी के लिए लाईसैंस लिए हैं। यह बात गलत है कि ज्यादा लाईसैंस दिए जाने की वजह से क्राईम बढ गए हैं। इनको पता होना चाहिए कि क्राईम करने वाला लाईसैंस की बन्दूक से क्राईम नहीं करता वह तो नाजायज पिस्तौल से क्राईम करता है।

Vehicles with the Health Department

***1803 Smt. Dr. Kamla Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of different types of vehicles stand allotted to the Directorof Health Services and to the various Primary Health Centres and Civil Hospitals at present in the State, separately;

(b) the number of different types of vehicles out of those referred to in part (a) above lying idle at various places together with date since when those are lying as such; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to make use of the vehicles referred to in part (b) above ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) सूची, जिसमें इस समय विभिन्न प्रकार के वाहन, निदे ाक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सिविल हस्पतालों को दिए गए हैं, का विवरण एनैक चर–1 पर है।

(ख) भाून्य।

(ग) लागू नहीं होता।

एनैक चर–1

मेक तथा टाईप	निदे ाक स्वास्थ्य सेवाएं	प्राािमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सिविल/सामान्य हस्पताल
एम्बैस्डर	1	32	
जीप		56	
स्टैण्डर्ड–20		1	1
कुल	1	89	1

श्री सुरेन्द्र सिंह: क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने का कश्ट करेंगे कि जब बहिन कमला इस महकमे की इन्चार्ज थीं उस समय का विहकल्ज का भट्ठा बैठा हुआ है या उनके बाद का बैठा हुआ है ? (हंसी)

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी के पास कई महकमें हैं, जिनमें स्वास्थ्य भी है लेकिन इनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि हैल्थ डिपार्टमैंट की गाड़ियों का जो भट्ठा बैठा है या जाम हुई हैं ये बंसी लाल जी के टाईम से ही बैठा हुआ है ? (हंसी)

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मूल चन्द जैनः चीफ मिनिस्टर साहब, ने सवाल के पार्ट ऐ के जवाब में बताया है कि प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज के पास 32 गाडियां हैं। लेकिन डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज के पास कितनी गाडियां हैं यह कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए उनके बारे में भी तो उनको बताना चाहिए था क्योंकि सवाल में यह पूछा गया है कि डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज और प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज के पास कितनी कितनी गाडियां हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बहिन कमला वर्मा ने जो सवाल पूछा है उसका मैंने जवाब दिया हैं उन्होंने पूछा था कि डायरैक्टर हैलि सर्विसिज के पास कितनी गाडियां हैं, उसका मैंनें उत्तर दिया था कि एक बार है। जहां तक हैडक्वार्टर का ताल्लुक है, यहां पर 18 गाडियां हैं।

श्रीमती डा0 कमला वर्माः मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि यहां एम्बूलैन्सिज की कितनी तादाद है, क्योंकि उनमें से कोई भी काम नहीं करती है।

चौधरी भजन लालः कुल 279 गाडियां हैं जिनमें 130 जीप हैं, 67 वैन्ज हैं, 72 कारें हैं, 14 मिनी बसें हैं, 6 ट्रैक और जहां तक ऐम्बूलैंस का ताल्लुक है वह सरकार की कोई नहीं होती। वे सभी रैडक्रास की होती हैं। कुल 30 ऐम्बूलैंस रैडक्रास की हैं। आप तो हैल्थ मिनिस्टर रही हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए कि ऐम्बूलैंस सरकार की नहीं होती।

श्री मूल चन्द जैनः चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि कुल 89 गाडियां प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज के पास हैं और एक गाडी सिविल हस्पताल के पास है। यह जवाब कौन सा है ?

चौधरी भजन लालः इन्होंने डायरैक्टर साहब के बारे में पूछा था वह मैंने बता दिया कि उनके पास कितनी गाडियां हैं। टोटल गाडियां इन्होंने नहीं पूछी थीं। अब जो टोटल गाडियां बतायी हैं वे तो उनके सप्लीमैंटरी के जवाब में बतायी हैं जहां तक ऐम्बूलैन्सिज का संबंधे है, वे हमें रैडक्रास से मिलती हैं।

Defence Colony at Rohtak

***1815 Capt. Mange Ram:** Will the Minister for Local Goverment be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up a Defence Colony at Rohtak and allot residential plots to the serving personnel or Ex servicemen of the Armed Forces there;

(b) if so, the rates fixed for the said plots by the

Government and the time by which the said Colony is likely to be set up;

(c) whether it is a fact that the rates referred to in part (b) above are higher than those fixed for the plots to be allotted to the personnel or Armed Forces in other towns in the State; and

(d) if reply to part (c) above be in the affirmative, the reasons for the disparity in the rates of the plots and whether the Government intends to remove this disparity ?

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed):

(a) At present there is no proposal to establish a Defence Colony at Rohtak.

(b) Question does not. arise.

(c) Question does not. arise.

(d) Question does not. arise.

श्री अध्यक्षः रोहतक में डिफैंस कालोनी की चर्चा तो बहुत है।

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, चर्चा तो इनके सवाल से बन रही है। हुड्डा ने जितनी भी जमीन एक्वायर की थी वह सारी ही यूनिवर्सिटी ने ली है। हुड्डा ने कोई भी जमीन नहीं बेची है।

चौधरी गंगा रामः अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि

जो जमीन एक्वायर की थी वह यूनिवर्सिटी ने ले ली है। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के बारे में फैसला हो गया है कि जहां पर यूनिवर्सिटी है, वहीं पर रहेगी। जो जमीन एक्वायर की गई थी वह खाली पडी है। मुख्य मंत्री महोदन ये अ योरेंस दी थी कि डिफैंस कालोनी उसी जमीन पर बनेगी इसलिए इस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

चौधरी खुर ीद अहमदः चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अ योरैंस दी है वह बिल्कुल दुरूस्त है लेकिन जो सवाल बनाया गया है वह दुरूस्त नहीं है।

श्री फतेह चन्द विजः क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि रोहतक के अलावा स्टेट में कहीं भी अन्य जगह पर डिफैंस कालोनी बनाने की योजना है ?

Mr. Speaker: Vij Sahib, this question is regarding Defence Colony at Rohtak.

I also want to say one thing that lakhs of rupeess have been recieved from the serving soldiers and ex servicemen for the Rohtak defence colony. Is it correct or not ?

चौधरी खुर ीद अहमदः जो भी पैसा लिया है वह राज्य सैनिक बोड ने लिया है। हुड्डा ने कोई पैसा नहीं लिया।

डा0 मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग जब ब्रिगेडियर रणसिंह के पास हुआ

करता था तो उन्होंने कई बार सदन में और बाहर भी इस बात की घोशणा की थी कि वहां पर डिफैंस कालोनी बनेगी, क्या मंत्री महोदय उस घोशणा को इम्पलीमैंट करेंगे ?

चौधरी खुर शीद अहमदः अगर कोई घोशणा ऐसी है तो जब भी कोई जमीन एक्वायर करेंगे तो डिफैंस कालोनी कमे लिए इस पुरानी घोशणा को मद्देनजर रखेंगे। जहां पर भी हमने कालोनियां बनायी हैं, डिफैंस कालोनी के लिए एक सैक्टर जरूर रखा है। इसलिए अब वहां पर कोई कालोनी नहीं बन रही है।

कैप्टन मांगे रामः स्पीकर साहब, गुड़गांवा, हिसार और चण्डीगढ में सभी जगहों पर डिफैंस कालोनियां बनी हुई हैं। रोहतक जिले में सबसे ज्यादा सैनिक हैं। लोगों का पांच सौ और हजारौं रूपया जमा किया हुआ है। हमने चौधरी देवी लाल जी के टाईम पर भी मैमोरेन्डम दिया था कि एक्स सर्विसमैन यहां पर बहुत हैं इसलिए यहां पर कोलोनी बननी चाहिए। जहां तक रेटस का फर्क है, उसको भी मान लिया है। जो बढे हुए रेटस थे, उनको भी मंजूर कर लिया है। इसलिए सरकार से गुजारि ा है कि रोहतक जिले के साथ इन्साफ किया जाये और वहां पर सैनिकों के लिए कालोनी बनायी जानी चाहिए।

चौधरी खुर शीद अहमदः कैप्टन मांगे राम जी ने रोहतक के लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया है। जब भी अरबन अस्टेट में कोई जमीन एक्वायर करके कालोनी बनायी जायेगी तो

इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

Mr. Speaker: The Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Opening of General Hospitals at Tehsils Level in the State

***1833. Swami Adityavesh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of tehsils where there are no Government General Hospitals in the State; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open General Civil Hospitals in the tehsils as referred to in part (a) above; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 6

(ख) ऊपर क भाग में लिखे 6 तहसील स्तर नगरों में से दो तहसील स्तर नगरों में सामान्य हस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय है। यदि धन उपलब्ध हुआ तो इन स्थानों पर पंचवर्शीय योजना 1980–85 के अन्त तक हस्पताल स्थापित कर दिये जायेंगे।

Printing of State Government Wall Calenders

***1832 Sh. Hira Nand Arya:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-as to how many times the wall celendars were got printed by the State Government during the period from 1-1-79 to date and the total expenditure incurred thereon, separately ?

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): तीन बार।

1. रूपये 35497.55 पैसे।

2. रूपये 33438.98 पैसे।

3. रूपये 35791.34 पैसे।

Un-Employment Allowance

***1828. Sh. Ran Singh Maan:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to give unemployemnt allowance to those unemployed persons who are registered in different Employment Exchanges in the State for the last three years and did not get any employemnt so far ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): नहीं।

Embezzlement of Bags of Government Wheat

***1862 Sh. Lehri Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-whether any F.I.R. regarding exbezzlement of

85 bags of (Government) wheat was regisgered at the Asandh Police Station (District Karnal) during the month of June, 1980; if so, the names of the officers/officials involved together with the action taken against them ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): ऐसा कोई केस मास जून 1980 के दौरान दर्ज नहीं हुआ। फिर भी तिथि 16—7—80 को मुकद्दमा नं0 183 धारा 409, भा0द0सं0 थाना असन्ध, जिला करनाल में दर्ज हुआ। इस मुकद्दमा में सर्वश्री कि ान सिंह वालिया, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, चूनी लाल, निरीक्षक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, असन्ध और अन्य पांच गेर सरकारी व्यक्ति दोशी थे। सर्व श्री कि ान सिंह और चूनी लाल को दिनांक 16—7—80 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें नौकरी से भी मुअत्तल किया गया।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

B.Ed., J.B.T. and S.S. Masters working on Regular/Adhoc/Temporary Basis in the State

390. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise total number of B.Ed., J.B.T. and S.S. Masters working in the schools on regular/adhoc/temporary basis at prsent, separately; and

(b) the names of teachers/teachresses as referred to in part (a) above, transferred from one school to another school more than twice during the years 1979-80 and 1980-81

(to-date), separately together with the names of aforesaid tezhcers/teachresses whose transfer orders were cancelled more than twice during the same period, separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जिलावार बी0एड0, एस0एस0 तथा जे0बी0टी0 अध्यापक जो इस समय विद्यालयों मे नियमित/तदर्थ तथा अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं, की संख्या इस प्रकार है :–

जिला	नियमित आधार पर कार्यरत बी0एड0 तथा एस0एस0 की संख्या	तदर्थ तथा अस्थाई आधार पर कार्यरत बी0एड0 तथा एस0एस0 की संख्या	नियमित आधार पर कार्यरत जे0बी0टी0 की संख्या	तदर्थ तथा अस्थायी आधार पर कार्यरत जे0बी0टी0 की संख्या
अम्बाला	1020	90	3041	16
भिवानी	724	124	1982	188
फरीदाबाद	704	40	2892	64
गुड़गांव	635	91	1982	60
हिसार	852	178	2628	224
जीन्द	590	102	2025	20
करनाल	857	133	2993	25
कुरूक्षेत्र	671	82	2232	245

नारनौल	775	142	2454	116
रोहतक	1501	153	3932	
सिरसा	321	87	923	409
सोनीपत	683	96	2530	
जोड	9333	1318	29614	1367

(ख) इस सूचना को एकत्रित करने व संकलित करने में जो समय व श्रम लगेगा उसकी तुलना में लाभ अधिक नहीं होगा।

Rape Case in the State

391. Sh. Bhale Ram: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of rape cases registered in the State during the period from 1st April, 1979 to-date; and

(b) the total number out of those referred to in part (a) above pertaining to scheduled castes women ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 137 (1–4–79 से 30–11–80 तक)

(ख) 22 (1–4–79 से 30–11–80 तक)

Adult Education Centres in the State

392. Sh. Bhale Ram: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise total number of Adult Education Centres opened in the State during the period from 1st April, 1978 to date separetely; and

(b) the total number of Adult Education Centres opened in Gohana tehsil during the period referred to above, separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) राज्य में 1 अप्रैल 1978 से 3312 प्रौढ़ ि ाक्षा केन्द्र खोले जा चुके हैं जिनको जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्रम सं0	जिले का नाम	खोले गए केन्द्रों की संख्या
1	अम्बाला	300
2	भिवानी	300
3	फरीदाबाद	158
4	गुड़गांव	276
5	जीन्द	296
6	हिसार	264
7	करनाल	299

8	कुरूक्षेत्र	300
9	नारनौल	245
10	सिरसा	283
11	रोहतक	300
12	सोनीपत	291
	कुल	3312

(ख) भाून्य।

Selection of Clerks through S.S.S. Board

393. Sh. Bhale Ram: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of persons selected as clerks by the Haryana Subordinate Services Board during the period from 1st January, 1980 to date; and

(b) the total number of persons out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Caste and Backward Classes ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 2007

(ख) इन 2007 उम्मीदवारों में से 220 उम्मीदवार अनुसूचित जातियों तथा 92 उम्मीदवार पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं।

Land Affected/Loss Suffered due to Floods in Gohana Tehsil

394. Sh. Bhale Ram: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the total acreage of land in the Gohana tehsil affected by the recent floods;

(b) the number of houses damaged and total value of the loss caused to the owners of the houses;

(c) the number of persons killed/disabled together with the number of animals milch or otherwise killed due to the floods referred to above; and(d) the number of persons who have been compensated for the loss mentioned in part (b) and (c) above, togetherwith the amount of compensation paid to the affected persons and the percentage of the loss compensated so far ?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) 58367 एकड़।

(ख) 519 मकान (304 पूर्णरूप में तथा 215 मकानों को आंि ाक रूप में हानि हुई है) इनकी अनुमानित हानि 464510/– रूप्ये है।

(ग) भून्य।

(घ) 300/– रूपये प्रति मकान की दर से 15000/– रूपये की रा ि ा की अनुदान उपरोक्त ख में वर्णित 50 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। (ग) बारे प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Wheat sold through Government Distribution System in the State

396. Ch. Sant Kanwar: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-the total quantity of wheat sold to the consumers through the Government distribution system in the State during the year 1979-80 togetherwith the rate per quintal thereof ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर): 36180 टंज गेहूं 137/– रूपये प्रति क्विंटल की दर पर।

Relief to the Flood Affected People of Hassangarh Constituency

396. Ch. Sant Kanwar: Will the Minister for Revenue be pleased to state-whether any relief was given by the Government in the shape of fodder, foodfgrains, quilts, blankets and medicines to the flood affected people of Hassangarh Constituency during the period from June, 1977 to June, 1979; if so, the quantity thereof in each case togetherwith the amount spent by the Government on each item mentioned above ?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): जी हां, विवरण नीचे

दिया है :–

क्र0	सहायता का विवरण	मात्रा (क्विंटल)	मूल्य (रूपये)
1	चारा	35251	528765
2	अनाज 1. आटा	445.60	49060
	2. दाल	103.90	31200
3	रजाईयां	34	1360
4	कम्बल	400	20000
5	दवाईयां		
	1. एलोपैथिक		194555
	2. आयुर्वैदिक		9690

Unemployed Persons Registered with the Employment Exchanges in the State

398. Ch. Sant Kanwar: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-the number of unemployed persons registered witht the various Employment

Exchanges in the State as on 1st November, 1980 ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Mehar Singh Rathi): The total number of persons registered with various Employment Exchanges in the State as on 1st November, 1980 is 360680. The figures in respect of each Employment Exchange are given below :-

Sr. No.	Name of Exchange	No. of applicants registered with the Employment Exchanges as on 1-11-1980
1	Ambala	27907
2	Kalka	9231
3	Yamuna Nagar	11649
4	Kurukshetra	12930
5	Kaithal	8530
6	Kurukshetra (University Employment Information & Guidance Bureau)	515
7	Karnal	30240
8	Panipat	13341

9	Rohtak	25052
10	Rothak (University Employment Information & Guidance Bureau)	1105
11	Bahadurgarh	6068
12	Jhajjar	9803
13	Sonepat	13955
14	Jind	15376
15	Bhiwani	12969
16	Charkhi Dadri	7029
17	Gurgaon	17355
18	Faridabad	19904
19	Palwal	9924
20	Narnaul	7176
21	Rewari	10648
22	Hissar	16446
23	Hissar (University Employment Information & Guidance Bureau)	627

24	Hansi	7364
25	Sirsa	8731
26	Loharu	1423
27	Ferozepur Jhirka	3225
28	Gohana	6892
29	Dharuhera	1055
30	Raipur Rani	2997
31	Mohindergarh	5389
32	Narwana	6386
33	Nuh	2712
34	Ganaur	3478
35	Tosham	2070
36	Sadhaura	1274
37	Tohana	2226
38	Naraingarh	2898
39	Dabwali	2367
40	Fatehabad	5050
41	Ballabgarh	6085
42	Gulha Chika	1278

	Total	360680

Electricity Available to Haryana State from Nathpa Jhakri

399. Ch. Sant Kanwar: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-the estimated month wise quantum of Electriciy likely to be made available to Haryana in a year after the completion of Nathpa Jhakri Project ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): नाथपा झाकड़ी जलीय विद्युत योजना के पूरा होने पर हरियाणा को मिलने वाली विद्युत की मिकदार का मासिक ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

मास	प्राप्त होने वाली विद्युत (दस लाख यूनिटों में)
अप्रैल	92.441
मई	219.247
जून	271.728
जुलाई	271.728

अगस्त	271.728
सितम्बर	242.957
अक्तूबर	126.274
नवम्बर	86.846
दिसम्बर	63.670
जनवरी	53.546
फरवरी	55.145
मार्च	53.812

Ministerial Staff in the Office of Director of Technical Education Department

401. Sh. Harphul Singh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state-the number of permanent post of minsterial staff i.e. Superintendent, Head Assistant, Assistant and Clerk existing in the office of Director of Technical Education at present against which confirmation of employees is still pending and the time by which the confirmations are likely to be made ?

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:–

क्र0 सं0	पद का नाम	स्थाई पदों की कुल संख्या	स्थाई कर्मचारियों की संख्या	पदों की संख्या जिनके विरूद्ध पुश्टियां लम्बित हैं
1	अधीक्षक	1	1	
2	मुख्य सहायक	1	1	
3	सहायक	10		10
4	लिपिक	12	10	2

(ख) सहायकों की वरिश्ठता निर्धारण सम्बंधी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा जैसे ही निर्णय होगा, उपयुक्त सहायक/लिपिक स्थाई कर दिये जायेंगे।

दस पदों में से एक पद राज्य सरकार के आदे । दिनांक 13.6.1980 द्वारा स्थाई किया गया है।

12 पदों में से 2 पद राज्य सरकार के आदे । दिनांक 13.6.1980 द्वारा स्थाई किया गया है।

Moral and Spiritual Values in Schools

407. Sh. Mool Chand Jain: Will the Chief Minister be pleased to state-whether the Committee appointed by the Government for considering the introduction of moral and spiritual values in School and College curricula has finalised its report; if not, the reasons therefor ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जी नहीं, समिति ने विद्यालयों के लिये नैतिक एवं धार्मिक ि ाक्षा के पाठयक्रम का प्रारूप तैयार कर लिया है, परन्तु यह उचित समझा गया है कि उत्तर प्रदे ा सरकार द्वारा लागू किये गये इस विशय के पाठयक्रम के साथ उक्त प्रारूप की तुलना कर ली जाये। सूचना प्राप्त हो गई है तथा समिति अपनी सिफारि ाों को यथा समय अन्तिम रूप दे देगी।

महाविद्यालयों के लिये सरकार की ओर से किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। कालेजों के लिये पाठयक्रमों का निर्माण वि वविद्यालयौं की समितियां जैसे ऐकैडिमिक कौंसिल और वि ोश अध्ययन बोर्डों के अधीन है और यह कार्य उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है। फिर भी राजय के वि वविद्यालयों को कहा गया है कि वे अपने से सम्बन्धित कालेजों में नैतिक ि ाक्षा के लिये प्रतिदिन एक पीरियड की व्यवस्था करने की संभावना पर विचार करैं।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने एक भाार्ट नोटिस क्वै चन दिया था लेकिन उसको टेक अप नहीं किया गया। मैं आपको ध्यान रूल 54 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें

लिखा है–

"54. (1) A question relating to a matter of public importance may be asked wi th shorter notice than fifteen clear days and if the Speaker is of opinion that the question is of an urgent character he may direct that an enquiry may be made from the Minsiter concerned if he is in a position to reply and, if so, on what date."

इसलिये स्पीकर साहब, मैंने कालांवाली के बारे में जो भाार्ट क्वै चन दिया हुआ है क्या वह भाार्ट नोटिस क्वै चन आज अभी लिया जा रहा है या कल या परसों लिया जायेगा ?

राज्य सरकार के आदे ा दिनांक 13.6.1980 द्वारा स्थाई किया गया है।

Mr. Speaker: I do not remember exactly whether I have admitted that as a short notice question or not. If you come to my Chamber, I will check it up.

चौधरी राम लाल वधवा: मेरे पास इन्टीमे ान है एडमिट हो गया है।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बिना जो बोला गया है उसे रिकार्ड न किया जाये।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

(1) पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के अधीन मैं नीचे लिखे हुए मैम्बर साहेबान को पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिये नोमिनेट करता हूं :–

1. श्री के0एल0 पोसवाल,

2. श्री राम कि ान बैरागी,

3. श्री हीरा नन्द आर्य, तथा

4. श्री सुरेन्द्र सिंह (तो ाम)

(2) कमेटी आन पैटी ान्ज

श्री अध्यक्षः साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 286(1) के अधीन मैं नीचे लिखे मैम्बर्ज आन पैटी ान्ज में कार्य करने के लिये नोमिनेट करता हूं :–

1. कंवर विजय पाल सिंह (डिप्टी स्पीकर) एक्स औफि ियों चेयरमैन।

2. श्री हीरा नन्द आर्य

3. श्री फतेह चन्द विज

4. स्वामी आदित्य वे ा

5. चौधरी भाकरूल्ला।

सचिव द्वारा घोशणा–

(1) राज्यपाल/राश्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बंधी

सचिवः मैं उन बिलों को द ार्ाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने पिछले जुलाई 1980 में हुए सै ान के दौरान पास किये थे तथा जिन पर राज्यपाल/राश्ट्रपति महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं:–

स्टेटमैंट

1	The Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, 1980.
2	The Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendement Bill, 1980.
3	The Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1980
4	The Haryana Canal and Drainage (Amendment) Bill, 1980.
5	The Haryana Celling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1980
6	The Haryana Legislative Assembly Speakers Pension and Medical Facilities (Retrospective Enforcement) Bill, 1980
7	The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members)

	Second Amendment Bill, 1980
8	The Haryana Legislative Assembly (Allowance and Pension of Members) Fourth Amendment Bill, 1980
9	The Punjab Agricultural Produce Market (Haryana Second Amendment and Validation) Bill, 1980
10	The Haryana Boar of School Education (Amendment) Bill, 1980
11	The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1980
12	The Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Second Amendment) Bill, 1980
13	The Haryana Appropriation No. 4 Bill, 1980
14	The Punjab Courts (Haryana Second Amendment) Bill, 1980

(2) हिन्दू सैक्सै ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979 पर राश्ट्रपति द्वारा अपनी अनुमति रोकने संबंधी

सचिवः मुझे सदन का सूचित करता है कि राश्ट्रपति महोदय ने हिन्दु उत्तराधिकार (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक 1979 पर जो कि हरियाणा विधान सभा द्वारा 25 सितम्बर 1979 को पास किया गया था, अपनी अनुमति रोक ली है।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

डा0 मंगल सैन द्वारा

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं पर्सनलज एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, I would make one request to you. While giving your personal explanation, please confine your self to personal explanation and do not give counter challenges or level allegations against anybody.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपने मुझे पर्सनल एक्सप्लेने ान देने और विचार प्रकट करने की इजाजत दी है, मैं कोई भी गलत भाब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपकी दोनों बातों को मानता हूं और स्वीकार करता हूं। चौधरी भजन लाल जी ने कहा है कि वर्श 1979–80 में मैंने गलत ढंग से कोटे दिये थे। पिछली बार भी मैंने सदन में यह बात कही थी कि इस मामले पर सदन की एक कमेटी बैठा दी जाये। अतः मेरी प्रार्थना है कि यदि मेरी बात जो मैंने उस समय कही थी, ठीक न हो तो चौधरी भजन लाल जी को दण्ड दिया जाये और यदि मैं गलत हूं तो मुझे दण्ड दिया जाये। मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैंने इनको यह कहा था कि इन्होंने गलत कोटे दिये थे। जिन महानुभावों को इन्होंने गलत कोटे दिये थे उनके नाम भी मैंने

पिछले सै ान के दौरान हाउस में रखे थे। यदि ये नहीं मानते हैं तो मैं कल फिर उन सभी महानुभावों की सूचित इस हाउस के सामने पे ा कर सकता हूं। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, जो ये बात कह रहे हैं, इस मामले पर तो पिछले सै ान में डिस्क ान हो चुकी है। (ाोर)

Ch. Ram Lal Wadhva: Speaker Sahib, I want to speak on personal expalanation.

Mr. Speaker: No, please. No occassion has arisen for you to give any personal explanation. (Interruptions)

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। .....

Mr. Speaker: Nothing will be recoreded

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने अपना एडजर्नमैंट मो ान आपको 10 तारीख का दिया हुआ है। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप मेरी भी तो बात सुन लीजिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप मेरे पास मेरे चैम्बर में आ जायें मैं आपको बता दूंगा। (ाोर)

स्थगन प्रस्ताव

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, I submitted an adjournment motion .....

Mr. Speaker: I will just explain. I have received 6 adjournment motions. First and third adjournment motions are from Sarvshri Mangal Sein and Verenmder Singh, respectively regarding selling/consumption of poisonous liquor by the liquor vendros in Kalanwali and its adjoining villages and towns, resulting in several deaths and blindness and these have been referred to the Government for their comments. I have asked the Government to give their comments by today. As soon as I receive the comments of the Government, I will give my decision on these tow adjournment montions .....

Sh. Mool Chand Jain: Speaker Sahib .....

Mr. Speaker: Babu ji, let me finish first.

Second adjournment motion is from Sh. Verender Singh regarding resentment against beating and lathi charge on the students by the police at Hissar on 27-11-80. I have disallowed this adjournment motion.

As regards the fourth adjournment motion, which is from Shri Verender Singh regarding construction of Thein Dam on River Ravi and unilateral execution of Dam by the Punjab State, I have allowed this adjournment motion but have converted it into a Call Attention Notice which will be taken on 17th December, 1980.

The fifthe adjounrment motion has been received from Shri Verender Singh, which pertains to an agreement

regarding sharing of electricity of nathpa Jhakri Hydel Project between the States of Haryana, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. I have allowed this adjournment motion and converted it into a Call Attention Motion, which will be taken up along with Call Attention Motion No 1, which is also on the same subject, today.

The sixth adjournment motion is from Shri Satvir Singh Malik regarding enhancement of sugarcane price, which I have admitted but converted into a Call Attention motion and the same will be taken up on 18-12-1980, if the House meets on that day.

ध्यानाकर्शण सूचना–

नाथपा झाकड़ी हाईडल परियोजना की बिजली की तकसीम सम्बंधी

श्री अध्यक्षः मुझे आनरेबल मैम्बर्ज श्री रामलाल वधवा व श्री वीरेन्द्र सिंह की तरफ से नाथपा झाकड़ी हाईडल परियोजना से प्राप्त होने वाली बिजली की तकसीम के सम्बंध में एक काल अटैन ान मो ान प्राप्त हुई है। मैं इसे मंजूर करता हूं। अब आनरेबल मैम्बर अपना नोटिस पढें। (ाोर)

चौधरी गंगा रामः मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर) गन्ने की प्राईस अव य बढनी चाहिए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप किस बात पर प्वायंट आफ आर्डर कर रहे हैं ? (ाोर) Please quote the rule under which you want to raise your point.

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, रोहतक और सोनीपत की गन्ने की मिलें बन्द पडी है। इस गन्ने (गन्ने के गोले लहराते हुए) का भाव सरकार को बढाना चाहिए। (ाोर) गन्ने का मूल्य 35/– रूपये प्रति क्विंटल डिकलेयर किया जाये वरना सरकार को चलने नहीं दिया जायेगा। (ाोर एवं व्यवधान)

1600 बजे।

श्री अध्यक्षः जहां तक भाूगर केन प्राईस का ताल्लुक है, ऐसा लगता है कि आप बडे एजिटेटिड फील कर रहे हैं। इसलिये मैंने सतबीर सिंह मलिक साहब का काल अटैन ान मो ान एडमिट कर रखा है और दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि अगर गन्ना लाना ही है तो असली गन्ना लाओ, नकली गन्ना क्यों लाए हो ? (व्यवधान व भाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य इस तरह से हाउस में गन्ना लहरा सकता है ? दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो महानुभाव आज किसान के बडे भारी हमदर्द बनते हैं और मगरमच्छ के आंसू उनके लिए बहा रहे हैं, उनके अपना जमाना भूल गया जब किसान को केवल 13 रूपये क्विंटल का भाव मिलता था। किसान का गन्ना भी इस भाव पर कोई खरीदता नहीं था ओर किसानों को अपना गन्ना जलाना पडा था ? ये उस

सरकार को इस तरह कहें जिसने किसाने के गन्ने का भाव 20 रूपये फिक्स किया है। जब इनके नेता चौधरी देवी लाल जी चीफ मिनिस्टर होते थे और चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री होते थे, उस समय यह किसान के हितों की रक्षा न कर सके आज यह क्या बात करते हैं ? (व्यवधान व भाोर)

एक आवाजः स्पीकर साहब, गन्ने के भाव के बारे में जो मो ान दिया गया है, पहले उसका जवाब आना चाहिए।

Mr. Speaker: Foir my information, what is the price of sugargane these days ?

चौधरी भजन लालः अब तो हमने 20 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया है लेकिन पहले यह 135 रूपये था। यानी लास्ट ईयर गन्ने की कीमत 13.5 रूपये प्रति क्विंटल थी जबकि चौधरी देवी लाल की और चौधरी चरण सिंह जो इनके लीडरर्ज हैं, की सरकारें थीं। उस समय उत्तर प्रदे ा और हमारे हरियाणा में भी लोगौं ने गन्ना रेमुनरेटिव प्राईस न मिलने के कारण जलाया था। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, आपने जो काल अटैं ान मो ान इस बारे में एडमिट किया है, उसका हम डिटेल्ड जवाब तो देंगे ही लेकिन हाउस का माहौल ठीक होना चाहिए। जब आपने एक मो ान एडमिट कर लिया है तो उसका हम बाकायदा जवाब देंगे और अगर उस वक्त भी किसी की तसल्ली नहीं होगी और अगर कोई सवाल बनेगा तो उसका भी जवाब दिया जायेगा। (विघ्न व भाोर)

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, ये लोग मेरे खेते के गन्ने का मुकाबला अपने गन्ने से कर लें, किसका बढिया है। एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त यहां पर जमींदारों का क्वै चन उठा रहे हैं। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी संत कंवर: अगर सरकार गन्ने का भाव नहीं बढाती तो फिर हम वाक आउट करते हैं।

(इस समय चौधरी संत कंवर और श्री भले राम सदन से वाक आउट कर गये)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, देखिये गन्ने का मसला ऐसा है जिस पर सारा हरियाणा प्रान्त एजिटेटिड है। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: देखिए, गन्ने के बारे में आप बहुत एजिटेटिड लग रहे हैं। मैं आप की फीलिंग्ज को एप्रीि ायेट करता हूं। मैंने आपको यह बता दिया कि मैंने एक काल अटैं ान मो ान एडमिट कर लिया है। जब उसका जवाब आयेगा, उस समय आप जो कुछ कहना चाहें, आपको कहने का मौका मिलेगा और मुख्य मंत्री जी या मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: आप इसको आज ही ले लो।

Mr. Speaker: No, please, Please sit down. I have admitted a Call Attention Notice on this subject and it will be

taken up on tis turn. पिछली दफा डाक्अर मंगल सैन ने यह कहा था कि जब कोई मो ान आये, उसी आर्डर से उसे डील विद किया जायें मैंने उसी हिसाब से इसे डील विद किया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः आन एक प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि सारे सदन के सदस्य इस मामले में बडे एजिटेटिड फील कर रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि गन्ने के मामले में आज ही विचार कर लिया जाये तो कोइ गलत बात नहीं होगी क्योंकि इसमें तमाम किसानों का भविश्य जुडा हुआ हैं (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः तभी तो मैंने एडमिट किया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः इस पर डिस्क ान के लिये कोई डेट फिक्स कर ली जाये चाहि 18 दिसम्बर ही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर डिस्क ान अव य होनी चाहिये।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, स्टुडैंटस अनरैस्ट के बारे में मेरा एक एडजर्नमैंअ मो ान था, उसके बारे मे आपने फरमाया है कि वह आपने रिजैक्ट कर दिया हैं रूल 84 के बारे में भी मेरा एक मो ान था। इसके अलावा दूसरे और भी कई मो ान्ज हैं, मैं उनके बारे में आपसे यह जानना चाहता हूं कि उन पर निर्णय आप अभी बतायेंगे या बाद में देंगे।

श्री अध्यक्षः देखिये, वे मेरे पास नहीं हैं, आफिस में हैं, आपको बाद में बता दिया जाएगा। I will let you know about

them.

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, भूगर केन के बारे में आप अभी कह रहे थे कि चूंकि सारा हाउस बडा एजिटेटिड है इसलिये आप टाईम देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि काल अटैं ान मो ान जो एडमिट हुआ है, उसे आज तो मैम्बर साहब पढ दें और फिर गवर्नमैंट जवाब दे दें, but there will be not time for any other member to ask any question. (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः जिन मैम्बर साहेबान का मो ान आया हुआ है, (ाोर व व्यवधान)

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): आप हमें क्या पढाओगे, हम तुम्हें अच्छी तरह से पढा देंगे।

श्री अध्यक्षः मैं मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि ऐसे पसर्नल रिमार्क्स किसी के बारे में कहना, किसी को भी भाोभा नहीं देता।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, जो आपने रूल कोट करने के लिये कहा है कि रूल कोट कीजिये, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्षः देखिये, आपने तो मेरी रूलिंग को ही चैलेन्ज करना भुरू कर दिया है। (व्यवधान व भाोर)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह बडा ही सीरियस

और अरजैन्ट मामला है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप मेरी रूलिंग पर रूल्ज बता रहे हैं ? I will not listen anything against my ruling. (व्यवधान व भाोर)

ध्यानाकर्शण सूचना (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Sh. Ram Lal Wadhwa may please read out his Call Attention Motion.

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I draw the attention of this House towards a matter of urgent public importance regarding the change in agreement of Nathpa Jhakri Hydel project. According to original agreement the Haryana State was entitled to electricity to the share of 42% but now it will get only 37%. The ratio of Haryana Himachal N.H.P.C. was 42:32:26 but it has been altered to 37:22:16. Remaining 20% will now be given to Uttar Pardesh State. However, no change has been made in the expendigure to be borne by the Haryana Himachal and N.H.P.C.. Haryana will pay 50% share of cost of the Project. 20% share of electricity has been given to U.P. because of threatening by the Deputy Chairman of the Planning Commission who belongs to Uttar Pradesh. It is an important matter relating to the general public of the State and there is great resentment amongst the people of Haryana. I call the attention of the Chief Minister and the State Govt. of Haryana to this important matter and call upon the Govt. to give statement in this regard on the floor of the House.

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल इसका जवाब दे दूंगा।

डा0 मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा भर से टीचर्ज आए हुए हैं वे किसी अधिकारी से मिले भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज को उनकी समस्याओं के बारे में 11.5.1980 को कोई आ वासन दिया था और वह आ वासन यह था कि मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज को भी सरकारी स्कूलों के बराबर टीचर्ज के वेतनमान दिए जाएंगे लेकिन वह आ वासन पूरा नहीं किया गया। आज वे हजारों की संख्या में यहां आए हुए हैं और उनका कहना है कि उनकी इस मांग को माना जाना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के ब्लाइंड (अंधे) पिछले 48 दिन से धरना दिए बैठे हैं। .....

चौधरी भजन लालः आन ए प्वाएंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कौन सी बात पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) कौन सा इ I है, जिस पर ये बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किस बात पर बोल रहा हूं, इन्हें क्या पता है कि इ I क्या होता है ? (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान बहुत ही जरूरी मामले की ओर आकर्शित करना चाहता हूं। आज बहुत ही एक्सप्लोसिव

सिचुऐ ान है। गवर्नमैंट को उन लोगों को बुला कर समस्या को कोई समाधान निकालना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः आप लिखकर दे दें।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker: I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

"The Committee met at 11.00 a.m. on Monday, the 15th December, 1980, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee, after some discussion, recommended that the business on 15th, 16th, 17th and 18th December, 1980, shall be transacted by the Sabha as under :-

Monday, the 15th December, 1980 (at 2.00 P.M.)

1. Obituary References.

2. Questions Hour.

3. Presentation and adopition of the First Report of the Business Advisory Committee.

4. Presentation of Preliminary Report of the Committee of Privileges in regard to the question of alleged breach of Privilege against Dr. Mangal Sein, M.L.A. for using offensive and derogatory language for the Hon'ble Members of this August House on the 10th July, 1980, and seeking extension of time for presentation of final Report thereof.

5. Papers to be laid/re laid on the Table of the House.

6. Presentation of Supplementary Estimates (Second Instalment) 1980-81 and the Report of the Committee on Estimates thereon.

7. **Legislative Business**

(a) Bills to be introduced

(1) The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) fifth Amendment Bill, 1980.

(2) The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Third Amendment and Validation) Bill, 1980.

(3) The East Punjab Tractor Cultivation (Revovery of Charges) Haryana Repealing Bill, 1980.

(4) The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1980.

(b) Bills to be introduced, considered and passed

5. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1980, (Alongwith notice of Resolution for disapproval of the Ordinance No. 5 of 1980, by Sh. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

6. The Kurukshetra University (Second Amendment) Bill, 1980, (Alongwith notice of Resolution for disapproval of the Ordiance No. 4 of 1980, by Sh. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

7.The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1980, (Alongwith notive of Resolution for disapproval of the

Ordinance No. 8 of 1980 by Sh. Ram Lal Wadhwa, and Sh. Mangal Sein, M.L.As.).

Tuesday, the 16th December, 1980 (At 9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Papers to be laid on the Table of the House.

(1) Finance Accounts 1978-79, Appropriation Accounts 1978-79 and Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1978-79 (Civil) and (Revenue Receipts) of the Government of Haryana.

(2) Report by Justice S.S. Dulat, Commission of Inquiry relating to alleged acts of omission and commission by Sh. Hardwari Lal, Vice-Chancellor of Maharishi Dayanand University, Rohtak, in his official position.

3. Official Resolution

Official Resolution regarding extension of period for holding Municipal Elections from the 31st day of December, 1980 upto 30th day of June, 1981.

4. Discussion and voting on Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1980-81.

Wesdensday, the 17th December, 1980 (At 9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Motion under rule 30 regarding transaction of Government business on Thursday, the 18th December, 1980.

3. Legislaltive Business

1. The Haryana Appropriation No. 5 Bill, 1980 (in respect of the Supplementary Estimates).

2. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Fifth Amendment Bill, 1980, (alongwith the notice of resolution for disapproval of the Haryana Ordinance No. 3 of 1980, by Sh. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

3. The East Punjaba Tractor Cultivation (Revovery of Charges) Haryana Repealing Bill, 1980.

4. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1980.

Thursday, the 18th December, 1980 (At 9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sinedie.

3. Legislative Business

The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Third Amendment and Validation) Bill, 1980 (alongwith notices for disapproval of Haryana Ordinance No. 6 of 1980, by Sh. Ram Lal Wadhwa, M.L.A. and notices of Resolution for disapproval of Ordinance 7 of 1980, by Sarvshri Ram Lal Wadhwa and Mangal Sein, M.L.As.)

4. Motion under Rule 84-

"That the policy of the State Government and situation arisen therefrom in regard to the condition of the private colleges in the State of Haryana, grants sanctioned and nationalisation, be taken into consideration and be discussed." (to be moved by Sh. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)"

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारि ों स्वीकार करता है।

श्री उपाध्यक्ष– प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारि ों स्वीकार करता है।

श्री सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट सदन के अन्दर रखी है और तफसीलात में बताया गया है कि यह अधिवे ान तीन दिन का है और उन तफसीलात से सदन को सूचित किया है। मैं इस रिपोर्ट का विरोध करने के लिए खडी हुई हूं और मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं और दूसरे माननीय सदस्य जो इस सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट को नामन्जूर करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में यह पुरानी प्रथा पड गई है, यह परम्परा पड गई है कि विधान सभा का अधिवे ान केवल मात्र संवैधानिक

औपचारिकता को निभाने के लिए बुला लिया जाता है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि छः महीने के अंदर असैम्बली का सै ान बुलाना है वरना असैम्बली लैप्स हो जाएगी। अगर यह प्रावधान कांस्टीट्यू ान में न होता तो मैं समझती हूं कि हरियाणा में छः महीने में भी अधिवे ान न बुलाया जाता। यह सरकार तो अधिवे ान तभी बुलाती जब सदस्यों को ओथ लेनी होती। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारी विधान सभा का जब पिछला अधिवे ान समाप्त हुआ और आज जब यह अधिवे ान हो रहा है, इस बीच इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पैदा हुए हैं ... . (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, रूलिंग पार्टी के सदस्य और मिनिस्ट जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और हूटिंग कर रहे हैं यह कोई अच्छी बात नहीं है। ये एक लेडी मैम्बर को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी मारफत कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर और दूसरे सीनियर मैम्बर्ज अपनी पार्टी के मैम्बर्ज को रोकें और एक मैम्बर को बोलने दें। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रही थी कि इस विधान सभा का पिछला अधिवे ान समाप्त हुआ और आज जब यह अधिवे ान चल रहा है इस बीच ऐसे जरूरी मुद्दे पैदा हो गए हैं जिन पर बहस होनी बहुत जरूरी है। यह मामले हैं जैसे कालांवाली कांड, डबवाली कांड की रिपोर्ट पर चर्चा, छात्रों

के ऊपर लाठी चार्ज, गन्ने के कार में अभी आपने देखा है कि सदस्य कितने ऐजीटेटिड हैं। भूगर मिल्ज खास तौर पर रोहतक और सोनीपत की मिल्ज बन्द हो रही हैं। नेत्र विहीन संघ के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और धरना दिए बैठे हैं, नाथपा झाकडी जैसे महत्वपूर्ण प्रौजेक्ट में से हरियाणा का हिस्सा समाप्त किया जाना और प्राईवेट स्कूलों के अध्यापकों का मामला। डिप्टी स्पीकर साहब, इतने सारे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर, सदस्यगण जो इस सदन में लाखों लोगौं की रहनुमाई कर रहे हैं, बहस करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज इन्होंने चार दिन का अधिवे ान कर दिया फिर आप कहते हैं कि इस तरह की बहस क्यों चल करती हैं। जो प्रद र्न हमारे इस हाउस में होते हैं, वे महज इसलिये होते हैं कि हम लोगों को यहां पर बहस के लिये बोलने का पूरा पूरा समय नहीं दिया जाता। मैं आपको कहना चाहती हूं कि यह संवैधानिक औपचारिकता का विधान नहीं होगा जिस तरीके से हरियाणा में विधान सभा सै ान बुलाया जाता है। आज लोग इस बात को सोचने के लिये मजबूर हो गये हैं कि इस असैम्बली जैसी संस्थाओं के कोई रूल्ज भी होते हैं कि नहीं। पूरी की पूरी असैम्बली की मान मर्यादा स्टेक पर लगी हुई है। संविधान की प्राथमिकता समाप्त हो रही है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः सुशमा जी, आप जरा मेरी बात सुनिये। (ाोर)

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या

कहना चाहते हैं ? (ाोर) मेरी इस हाउस के सारे सदस्यों से यह गुजारि ा है कि इस सलाहकार समिति की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से नामंजूर किया जाए। हम सै ान चार दिन नहीं चलने देंगे। यह सै ान तब तक चलेगा जब कि अपोजी ान के सभी मैम्बरों को अपने विचार प्रकट करने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा। जब तक अपोजी ान के मैम्बर चाहेंगे, सै ान तब तक चलेगा। यह सै ान 15 दिनों से पहले समाप्त नहीं होगा। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः सुशमा जी, आप जरा बैठिये।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, हमको 50–50 हजार लोगों ने चुनकर यहां पर भेजा है, आप देखिये कितनी अ लीलता की हद तक ये लोग इसको लिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के ऊपर पूरी बहस होगी और विधान सभा का सै ान कम से कम 15 दिनों तक चलेगा ताकि हम लोगों को यहां पर बहस करने का पूरा मौका मिल सके।

श्री उपाध्यक्षः सुशमा जी, आज जरा बैठिये। जिस वक्त बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो उस समय आपकी पार्टी के लीडर श्री बलदेव तायल भी वहां मौजूद थे, उनके सामने यह सारा फैसला हुआ था। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी इसको अपोज करता हूं मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि

बहन सुशमा जी ने जो बात कही है, मैं उसकी सेन्ट परसैंट ताईद करता हूं। आज बडे गम्भीर मामले हमारे सामने हैं और आज यह जो सरकार बैठी है, यह लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। (ाोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सुबह जब बिजनैस एडवाइजरी, कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें सभी पार्टियों के लीडर मौजूद थें उसमें डा0 मंगल सैन जी, जो कि उठकर बाहर जा रहे हैं, उस मीटिंग में मौजूद थे, लोकदल के नेता बाबू मूल चन्द जैन जी भी उस मीटिंग में थे और जनता विधायक दल के लीडर श्री बलदेव तायल भी उस मीटिंग में स्पै ाल इंवाइटी के रूप में आये थे। इन सबके सामने सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया था। यह फैसला किसी एक मैम्बर साहेबान का नहीं था और इस फैसले के खिलाफ वहां पर किसी ने कोई एतराज भी नहीं किया था। अब ये लोग खडे हो होकर बोल रहे हैं। अगर तो ये इनको अपना लीडर मानते हैं तो इनकी बात मानें या फिर अपनी पार्टी के लीडर को लीडर न मानें। इन लोगों को अपनी पार्टी के लीडरों की बात का मानना चाहिये। (ाोर)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

श्री बलदेव तायल द्वारा

Sh. Baldev Tayal: Mr. Deputy Speaker, Sir, I want

to speak on personal expalanation. Mr. Deputy Speaker, Sir, there is no doubt that I was present in that meeting of the Business Advisory Committee as a special invitee. It was only on my insistence that the worthy Speaker extended the House only by one day. We all were of the view that the time allotted to the discussion on the Bills is very short. Sir, it was pressed and stressed by the Treasury Benches and especially by the Leader of the House that there was not enough work for the House to continue (Interruptions) So, Sir, my humble submission before you is this that .....

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, आज तक इस हाउस की यह कंवैन ान रही है कि जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में युनानी मसली कोई फैसला हो जाता है, तो उसके बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का कोई मैम्बर या स्पै ाल डिस्क ान नहीं करता लेकिन मेरे साथी तायल साहब फिर भी बोल रहे हैं। (ाोर)

Sh. Baldev Tayal: Sir, the Minister for Parliamentary Affairs is interfering unnecessarily. I have not said anything against the motion. I have only explained that .....

Ch. Khurshid Ahmed: He has not business to criticise the Report of the Business Advisory Committee.

Sh. Baldev Tayal: I am not criticising the Report of the Business Advisory Committee. I have only said that the sitting of the House was extended by one day at my insistence. (Interruptions)

श्री जय नारायण वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी संसदीय मामलों के मंत्री महोदय ने फरमाया कि अगर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी युनानी मसली कोई मामला तय कर लेती है तो उस पर हाउस में डिस्क ान नहीं हो सकती। (ाोर)

चौधरी खुर ाीद अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे मिस कोट कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का मैम्बर या स्पै ाल इंवाइटी उस पर हाउस में डिस्क ान नहीं करता, ऐसी कंवेन ान रही है।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भ)

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय अभी फरमा रहे थे कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सभी पार्टी लीडर्ज मौजूद थे। हमें तायल साहब ने यह बताया कि वहां क्या कुछ हुआ। हो सकता है कि बहुत से ऐसे मामले हों जो उस वक्त नजर में न आये हों और आज हम उन को हाउस के सामने आपके नोटिस में ला रहे हैं। (ाोर) आप बाहर देखिये, टैन्टों के टैन्ट लगे पडे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आयुर्वेदिक के विद्यार्थी बैइै हैं और इधर सारे प्रदे ा से लोग हमें यहां पर सुनने के लिये आये हुए हैं बडी गम्भीर समस्याएं इस वक्त हमारे सामने हैं, इसलिये आपको बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर फिर

से विचार करना चाहिये। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः वधवा साहब, आप जरा बैठिये। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, आप हमें सुनते ही नहीं, कम से कम हमें बोलने का अवसर तो मिलना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारि ों स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाक–आउट

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें बोलने का हक भी नहीं है तो फिर हम किसलिये यहां पर बैठे हैं ? मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय चौधरी राम लाल वधवा सदन से वाक आउट कर गए)

चौधरी गंगा रामः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। .....

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी गंगा रामः हम भी इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय चौधरी गंगा राम तथा सर्व श्री रण सिंह मान और अजीत सिंह सदन से वाक आउट कर गए)

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं आपसे पहले स्पीकर साहब ने एक एडजर्न मो ान को काल अटैन्- ान मो ान में तबदील करके 18 तारीख के लिए मंजूर किया था।

श्री उपाध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठ जाएं।

Ch. Sant Kanwar: You are not my headmaster. You are Deputy Speaker of the House.

श्री उपाध्यक्षः संत कंवर जी जो कुछ आपने कहा है, आप अपने लफज वापिस लीजिए। (ाोर)

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी रिक्वैस्ट यह है कि बहुत दफा हाउस में गैर जरूरी तौर पर मैंबर साहेबान एजीटेटिड हो जाते हैं। उस बारे में मेरी रिकवैस्ट है कि जो चेयर पर हों उनकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे अभी मेरे नौजवान साथी संत कंवर जी एक बात कह रहे थे लेकिन आपने उनको रोक दिया। मेरा निवेदन यह है कि आप उनको अपनी बात कहने तो दें और बाद में अपनी रूलिंग दे दें। बीच में रोकने से

हाउस का समय और लग जाता है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः उस प्वायंट पर स्पीकर साहब की रूलिंग आ चुकी है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। (ाोर)

चौधरी संत कंवरः मैं स्पीकर साहब की रूलिंग पर कुछ नहीं कहना चाहता और अपने भाब्द वापिस लेता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 18 तारीख के लिये जो काल अटैं ान मो ान मंजूर किया गया है उसको मैम्बर साहब पढ दें़गे लेकिन तमाम अपोजी ान को तथा हरियाणा की तमाम जनता को यह भाक है कि मुख्य मंत्री जी उस दिन उस काल अटैं ान मो ान का जवाब नहीं दें़गे और समय मांग लें़गे। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) मैं सदन के माननीय सदस्यों को वि वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी काल अटैं ान मो ान एडमिट किए गए हैं, उन सब को हाउस में जवाब दें़गे।

प्रिविलेज कमेटी की प्रारम्भिक रिपोर्ट पे ा करना तथा उस पर अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिये समय बढाने संबंधी

Shri Lachhman Singh (Chairaman, Committee of Privileges): Sir, I present the preliminary report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the qeustion of alleged breach of Privilege against Dr. Mangal Sein, M.L.A. for using offensive and derogatory language for the Hon'ble Members of this august

House on the 10th July, 1980.

Sir, I beg to move-

That the time for the presentation of the final report be extended before the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final report be extended before the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final report be extended before the first sitting of the next session.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will lay the papers on the Table of the House.

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I lay on the Table -

1. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Fifth Amendment Ordinacne, 1980 (Haryana Ordinance No. 3 of 1980)

2. The Kurukshetra University (Second Amendment) Ordinance 1980 (Haryana Ordinance No. 4 of 1980)

3. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 5 of 1980)

4. The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Third Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 6 of 1980)

5. The Punjab Agricultural Produces Markets (Haryana Third Amendment) Ordinance 1980 (Haryana Ordinance No. 7 of 1980)

6. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 8 of 1980)

7. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 113/P.A. 16/55 S. 20/Amd. (1) 80, dated the 12th November, 1980 regarding the Punjab Entertainment Duty (Haryana First amendment) rules, 1980, as required under Section 20(3) of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955.

8. The Education Department No. G.S.R. 18/H.A. 26/78/S. 10/80, dated the 21st February, 1980, regarding the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Rules, 1980 as required under Section 10(2) of the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Act, 1978.

सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज पत्र

Locall Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I relya on the Table-

1. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 32/H.A. 20/73 S. 64/Amd. (3) 80, dated the 18th March, 1980 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1980,a s required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

8. The Education Department No. G.S.R. /H.A. 15-79/S. 16/80, dated the 24th April, 1980, regarding the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 1980, as required under Section 16(3) of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1979.

वर्श 1980–81 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) पे ा करना

Finance Minister (Lala Balwant Rai Tayal): Sir, I present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1980-81.

चौधरी संत कंवरः उपाध्यक्ष महोदय, ...

Sh. Baldev Tayal: Sir, a serious allegation has been made against a Minister on the floor of the House ..... (Noise & Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: Without my permission, he is speaking, I do not take notice of it. (Interruptions) I have not allowed him. that is off the record.

Sh. Baldev Tayal: This is a very serious allegation against a Minister. He should either deny it, otherwise he has no right to remain in the Minister .... (Noise & Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: That is off the record.

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, इस आगस्ट हाउस में एक माननीय सदस्य ने एक बहुत सीरियस बात कही है

और तायल साहब ने जो बात कही है, मैं उसके समर्थन के लिए खडा हुआ हूं। पब्लिक लाइफ में प्यौरटी लाने के लिए किसी मैम्बर ने एक मिनिस्टर के खिलाफ इतना सीरियस, क्रप ान का एलीगे ान लगाया हो और मैम्बर यह भी औफर करे कि मैं उस एलीगे ान को साबित करने के लिए तैयार हूं। (ाोर एवं विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान है कि इतना सीरियस एलीगे ान लगाने के बाद पब्लिक लाईफ में प्यौरटी लाने का यह तकाजा है कि एक मैम्बर किसी मिनिस्टर पर एलीगे ान लगाए और हाउस उस मामले का कोई नोटिस न ले। अगर हाउस उसका नोटिस नहीं लेता तो सारे का सारा हरियाणा और हरियाणा से बाहर सारे दे ा की जनता क्या कहेगी ? एक मिनिस्टर के खिलाफ इतना सीरियस एलीगे ान लगा हो और एक मैम्बर उसको साबित करने के लिए तैयार हो, फिर भी यह हाउस उसका नोटिस न ले। मैं तो तायल साहब का भाुक्रियाअदा करता हूं कि उन्होंने इस प्वायंट को उठाया। मैं इसका समर्थन करता हूं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, जो बात बाबू मूल चन्द जैन और तायल साहब ने कही है मैं उस बात से पूरा सहमत हूं जिस किसी माननीय सदस्य ने वह बात कही है वह अपना एफिडेविट दें। उसकी हम पूरी इनक्वायरी करवाएंगें (ाोर)

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: डिप्टी स्पीकर साहब, इस बात की इनक्वायरी करवाने की क्या आव यकता है ? हाउस

सुप्रीम है इसलिए उसका फैसला हाउस में ही हो जाना चाहिए। (ाोर एवं विघ्न) ऐसे मिनिस्टर से अस्तीफा मांग लेना चाहिए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने एक एलीगे ान ..... दो माननीय सदस्य जिन्होंने ये एलीगे ान लगाए हैं वे इन बातों को एफिडेविट दें। हम आज ही हाउस की एक कमेटी बना देंगे। वह कमेटी इस मामले की पूरी जांच करेगी। अगर माननीय सदस्यों की बात सच सिद्ध हो गई तो दोनों मंत्री अस्तीफा दे देंगे वरना उनको अस्तीफा देना पडेगा। (ाोर एवं विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर)

श्री बलदेव तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे तो इतनी बात कहनी है कि ..... (ाोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः जो मेरी परमि ान के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (ाोर एवं विघ्न)

श्री सुरेन्द्र सिंहः ..... (ाोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः ..... (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः ..... (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी संत कंवरः ..... (ाोर एवं विघ्न)

Sh. Baldev Tayal: Deputy Speaker, Sir, the worthy Chief Minister has very well said he wanted to say but only one point remains that a staement made on the floor of the House carries much more weight and sanctity than any other document or affidavit.

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होने यह कहा है कि हम एफिडैविट देने के लिए तैयार हैं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एफेडेविट देने के लिए कहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

Sh. Baldev Tayal: Deputy Speaker Sahib, there is one more point. Several members from the treasury benches have stood in the defence of the Minister, even the Chief Minister has stood in the defence of the Minsiter but the Minister concerned has not stood up to deny the allegations levelled against him. (Interruptions)

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, आपसे मेरा निवेदन है कि पिछले आधे घंटे से सदन में कुछ ऐसी अप्रिय बात चल रही है और आप अध्यक्षता कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुझे माफ करेंगे यह अ ाोभनीय बात कहते हुए कि सदन के एक माननीय सदस्य ने किसी मंत्री पर एक आक्षेप लगाया है और

मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि माननीय सदस्य एफिडैविट दें। डिप्टी स्पीकर साहब, एफिडेविट तक जाने की क्या आव यकता है ? (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा सुझाव है कि इस मामले की जांच करने के लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी के जांच करने के बाचद अगर माननीय सदस्यों की बात सच साबित न हो तो उन्हें अपनी मैम्बरि ाप से अस्तीफा देना होगा वरना मंत्रियों को अस्तीफा देना होगा। (ाोर)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह) द्वारा

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): माननीय सदस्या चौधरी संत कंवर जी ने कहा कि ..... (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि इन्होंने चौधरी संत कंवर जी को माननीय सदस्या कहा है। (ाोर) ये तो पहले ही उलझ गए हैं (ाोर)

चौधरी भोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तो मैंने एक भाब्द भी नहीं बोला है। यह प्वायंट आफ आर्डर कहां से आ गया। मैंने इनको सदस्या कहां कह दिया। (ाोर) मैं इनको आनरेबल मैम्बर तो कह सकता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जब फाइनैंस मिनिस्टर खडे होकर सदन के सामने सप्लीमैंटरी डिमांडज पे ा कर रहे थे तो चौधरी संत कंवर जी ने पीछे से खडे होकर पता नहीं क्या कुछ कह दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता

है और सारा हाउस जानता है कि चौधरी संत कंवर जी बिना बात के हर वक्त बोलते रहते हैं। ऐसे ..... आदमी की हर बात का जवाब देना क्या हर आदमी के लिए वाजिब है ? (ाोर एवं विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, आप चौधरी संत कंवर जी का आज तक का रिकार्ड निकलवा कर देखें कि इन्होंने क्या कभी कोई बात रेलेवेन्ट कही है ? चौधरी संत कंवर इस हाउस का ऐसा मैम्बर है जो न कि यहां पर इररेलेवेन्ट बोलता है बल्कि लाबी में भी गलत ढंग से बोलता है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने सुना होगा कि जब श्री गंगा राम जी हाउस से बाहर जा रहे थे तो वे अपनी सीट से न बोल कर, यहां खडे होकर बोले। उन्होंने जाते जाते यह भी कहा कि मुख्य मंत्री को हथकडी लगनी चाहिए। क्या इनकी हर बात का जवाब दिया जा सकता है ? अगर चेयर इस बात को मानती है तो मेरे ऊपर माननीय सदस्य ने जो एलीगे ान लगाया है मैं उसको चैलेंज करता हूं। यह क्या बात हुई कि ये जहां से मर्जी खडे होकर अपनी बात कह देते हैं। जब से विधान सभा बनी है तब से इनका यही रूटीन है। चौधरी संत कंवर का यह रिकार्ड है कि इन्होंने कभी भी अपनी सीट से कोई बात नहीं कही। वे अपनी सीट से बात भाुरू कर देते हैं और चलते हुए तब तक बोलते रहते हैं जब तक सदन में रहते हैं। क्या इनकी हर बात का जवाब दिया जाएगा ? हर आदमी अपनी इज्जत रखता है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, मैं इनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं, यदि माननीय सदस्य इस बात को साबित करें। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने ..... अभी इन्होंने यह खुद माना हैं (ाोर)

चौधरी भजन लालः इन्होंने चैलैन्ज को स्वीकर किया है।

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नहीं जातना कि माननीय सदस्य के आरोप का जवाब मंत्री महोदन ये क्या दिया क्योंकि यहां भाोर बहुत था लेकिन उनके एक भाब्द पर मुझे सख्त आपत्ति है। उनको कहा जाए कि वे उसे वापिस लें। एक सदस्य अगर इस सदन में किसी मंत्री के विरूद्ध कोई आरोप लगाता है तो वह हिम्मत की बात है। (विघ्न) आरोप गलत है या सही है यह तो सबूत पर निर्भर करता है लेकिन उस सदस्य को यदि ..... कहा जाए यह बहुत गलत बात है। (ाोर)

चौधरी खुर ाीद अहमदः उन्होंने कहा कि यह बेहूदा इल्जाम है।

चौधरी भोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि इनके हर बेहूदे इल्जाम का यहां पर जवाब दिया जाए ? (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, इन्हौंने कहा था कि चौधरी संत कंवर ..... आदमी है। यह भाब्द रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए और मिनिस्टर साहब से इस बारे में माफी मंगवाई जाए। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः इसमें माफी मंगवाने की कोई बात नहीं है।

डा0 मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। क्या इस सदन में कोई मैम्बर या मंत्री किसी दूसरे सम्मानित सदस्य को ..... कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्षः मेरा ख्याल है कि बेहूदा उन्होंने नहीं कहा था।

चौधरी संत कंवरः यह ..... वजीर है। (ाोर) हम हाउस की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर साहब, टेप रिकार्ड बजवा कर देख लो।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, एक तरफ तो हाउस के एक मैम्बर ने आरोप लगाया है और दूसरी तरफ मंत्री महोदय ने चैलेंज ऐक्सैप्ट किया है। बेहतर होगा यदि आप हाउस की एक कमेटी मुकर्रर कर दें जो इस बात का फैसला कर सके। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: Ch. Sahib, I would request you to please read Rule 65 of the Rules of Procedure and Conduct of Business inthe Haryana Legislative Assembly, and then discuss with me.

एस्टीमेटस कमेटी की वर्श 1980–81 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस

(दूसरी कि त) पर रिपोर्ट पे ा करना

Chairman, Committee on Estimates (Sh. Rajinder Singh): Sir, I present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1980-81.

Sh. Jai Narain Verma: What has happened to that incident ?

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Please sit down.

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, एक आनरेबल मिनिस्टर ने एक आनरेबल मैम्बर को ..... कहा है। (ाोर)

चौधरी संत कंवरः अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम ऐसे वजीर को ..... वजीर कह देते हैं। ..... (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: Please sit down. आप बहुत बोल चुके हैं। अब आप कृपया हाउस की कार्यवाही चलने दीजिए।

चौधरी गंगा रामः मेरा प्वायंट आफ आर्डर हे।

Mr. Deputy Speaker: I am not allowing you to speak. Please sit down. You first Read Rule 65 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly and then discuss with me.

चौधरी गंगा रामः जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

Ch. Khurshid Ahmed: If he continues to behave like this, we will be compelleda to bring a motion against him.

Ch. Ganga Ram: Deputy Speaker Sahib .....

Mr. Deputy Speaker: I will have to name you. Please sit down.

बिल्ज (इन्ट्रोड्यूसड–सदन की अनुमति से)

(1) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) फिफथ अमैंडमैंट बिल, 1980

Ch. Khurshid Ahmed: Deputy Speaker, Sir .....

श्री अपाध्यक्षः आप बिल इंट्रोड्यूस करें।

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and pension of Members) Fifth Amendment Bill.

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैं ान) पांचवां सं ाोधन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। एक माननीय सदस्य ने एक माननीय मंत्री जी के खिलाफ आरोप लगाया है।

Mr. Deputy Speaker: I have already disallowed that an I also disallow your point of order.

श्री हीरा नन्द आर्य: यह बहुत गलत परम्परा है। इस परम्परा को हमें नहीं चलने देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैं ान) पांचवां सं ाोधन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

वाक आउट

Sh. Verender Singh: Sir, you asked me to read Rule 65 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. I have read that rule. That rulel pertains to "No Confidence Motion in a particular Minister'. The hon'ble Member has levelled certain allegations of curru9ption against a Minister. So, this ru9le is not relevant in this case.

Mr. Deputy Speaker: You should have raised this point at the appropriate time. Now please take your seat.

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि आप कमेटी अप्वायंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

Mr. Deputy Speaker: I am not going to appoint any Committee.

Sh. Verender Sing: Then we walk out.

(इस समय विरोधी दल के उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी सबमि ान सुन लीजिए। यह सभी के इन्ट्रैस्ट में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी अर्से से हाउस का सदस्य रहा हूं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि एक मैम्बर अगर कोई बात कहे तो उस पर कोई ऐक ान न लिया जाए। आज आप न तो उस बात को ऐक्सपंज करवाते हैं और न ही उस पर कोई ऐक ान लेते हैं। इसका हम क्या मतलब लगाएं ? सारे प्रदे ा और दे ा की जनता हमें क्या कहेगी ?

श्री उपाध्यक्षः चौधरी संत कंवर जी मेरी परमि ान के बगैर बोल रहे थे और मैंने कहा था कि जो कुछ वे कह रहे हैं, वह रिकार्ड का पार्ट नहीं बनेगा।

डा0 मंगल सैनः मेरी आपसे बडी छोटी से प्रार्थना है।

मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं। क्लीन पब्लिक लाईफ का यह तकाजा है कि ऐफिडैविट के चक्कर में न पड कर हाउस की एक कमेटी इस सारी बात की जाचं पडताल के लिए मुकर्रर कर दी जाए।

17.00 बजे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा है और फिर चैलेन्ज करता हूं कि यह बेसलेस ऐलीगे ान लगाये गये हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। ये एफिडैविट दें, हम उस माननीय सदस्य के आरोप की पूरी जांच करवायेंगे, अगर वह कसूरवार पाया गया तो उसको माफ नहीं किया जायेगा। मैं हाउस को यकीन दिलाता हूं कि दोशी को माफ नहीं किया जायेगा लेकिन इस तरह से सदन में खडेम हो कर कह देना कोई माने नहीं रखता है।

बिल्ज (इन्ट्रोडयूसड–पुनरारम्भ)

(2) दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1980

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति

दी जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि –

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(3) दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल, 1980

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि –

दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(4) दि पंजाब विलेज कामल लैंड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1980

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब विलेज कामन लैंड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब विलेज कामन लैंड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि –

दि पंजाब विलेज कामन लैंड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

बिल्ज़

(1) दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1980

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः मुझे चौधरी राम लाल वधवा द्वारा महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) आर्डिनैंस, 1980 (हरियाणा आर्डिनैंस नम्बर 5 आफ 1980) की डिसएप्रूवल यानी नामंजूरी का नोटिस मिला है। यदि हाउस सहमत हो तो हाउस को समय बचाने के लिए इस प्रस्ताव तथा बिल की कंसिड्रे ान मो ान पर इकट्ठा विचार कर लिया जाये और बाद में उनको अलग अलग पुट किया

जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Maharshi Dayanand University (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 5 of 1980).

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That this House disapproves the Maharshi Dayanand University (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 5 of 1980).

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move-

That the Maharashi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Maharashi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहब, इससे पहले कि मैं इस बिल के आर्डिनैंस पर बोलूं, मैं हाउस का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यह जो आर्डिनैंस जारी किया गया यह गलत प्रथा है। आप बिल के स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्नज को देखें उनको पढने से

पता चलेगा कि यह ठीक है या गलत है। क्या सरकार यह बतायेगी कि आर्डिनैंस किन हालात में लागू होता है। मैं प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजन आफ पार्लियामैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर जब कोई आर्डिनैंस आता है तो वह किन हालात में आता है। लोक सभा के स्पीकर आर्डिनैंस के बारे में जो आबजर्वे ान देते रहे हैं, उनको यहां पढ कर सुनाना चाहता हूं।

Sir, I would draw your attention to page 522 of the authoritatvie book "Practice and Procedure of Parliament (Vol. II) by Kaul & Shakdher" wherein it is stated-

'On November, 15, 1971 when the Deputy Minister of Parliamentary Affairs sought to lay on the Table copies of the thirteen Ordinance issued byt the President during the proceeding inter-session period, an objection was raised that nver before in the histroy of Parliament, so many Ordianance were issued during any particular inter-session period. Thereupon, the Speaker observed;

" I agree with you that so many Ordinances shoul not have been issued. I personally think it is not a light matter to be ignored. Certian observations have been made by my predecessor Shri Mavalankar based on very sound judgement. I would invite the attention of the Government to see that there is real emergency or urgency justifying the issue of an ordinance."

When some members again raised the matter on November 22, 1971, particularly in regard to the Ordinances which had imposed certain levies, the Speaker observed:

If you thing that there should be some distinction between financial and non financial, tax and non tax Ordiances, there is nothing in my knowledge on which I can base my ruling. All I can say is that I do not approve of an Ordinance just at the time when the House is about to meet.

Again on November 13, 1973, the Speaker observed:

Ordiances by themselves are not very welcome specially so when the date (for session of the House) is very clear. It is not only clear but is also near. In such cases, unless there are very speacial reasons, Ordinances should be avoided. This is the ruling which I gave on 22nd, November, 1971 and the same was given by my predecessors.'

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से आर्डिनैंस नहीं आने चाहिएं। आज जो बिल पहले भी इन्ट्रोड्यूस हुए हैं उनके भी आर्डिनैंस जारी हुए हैं। आप आर्डिनैंस की डेट देखें। पहली नवम्बर को आर्डिनैंस जारी किया गया। जब मंत्री महोदय को यह पता था कि छः महीने के अंदर ही सै ान बुलाया जाना है और वह सै ान बुलाया जाना भी काफी नजदीक ही था, जो आज हो रहा है, तो आर्डीनैंस जारी नहीं करना चाहिए था। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, श्री कन्हैया लाल पोसवाल, पदासनी हुए) सभापति जी, मैं इसके स्टेटमैंअ आफ आब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज को पढ कर सुनाना चाहता हूं–

"The Act and Statutes of Maharshi Dayanand University, Rohtak did not provide any retirement age fore the Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor. The Education

Commission (1964-66) appointed by the Government of India and the Committee on the Goverance of Unviversities and Colleges (1971) appointed by University Grants Commission had recommended that the retirement age of the Vice Chancellor should be prescribed at 65 years. Keeping in view the expediency of the circumstances the Governor of Haryana promulgated the Maharshi Dayanand University (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 5 of 1980) to amend the Maharshi Dayanand University Act, 1975 by way of insertion of following section in the Haryana Act, 25 of 1975:-

"9A. Maximum age of Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor-

Notwithstanding anything to the contrary contained in any lwa, contract or the Statutes, no person shall be appointed to, or continue in the office of the Vice Chancellor or Pro Vice Chancellor, as the case may be, if he has attained the age of sixty five years."

इस स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज में यज बताया गया है कि एक कमेटी बना दी गई थी जिसने यह रिकमैन्डे ान की है। यह 1971 में किया जाना चाहिए था आज 1980 हो गया हैं 9 साल के बाद सरकार को यानी एक नवम्बर को क्या एमरजेंसी हो गई कि इस आर्डिनैंस को इ ू करे। मैं समझता हूं कि यह अध्यादे ा लीगल नहीं है। सरकार को यह पता था कि हाउस आ रहा है और अभी पीछे जुलाई मास में भी सै ान हुआ था तो फिर इस अध्यादे ा को लाने की क्या आव यकता थी ? सरकार इस पर बहस कराना नहीं चाहती ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, हाउस को पूरी बहस करने के लिए चैलेंज कर रखा है।

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, इस बिल के बारे में स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज में यह भी साफ नहीं किया कि यह बिल क्यों ला रहे हैं ? तो इस अध्यादे ा को लागू करके इस बिल को लाने की क्या आव यकता अचानक हुई ? मैं हाउस के तमाम मैम्बरों से रिकवैस्ट करता हूं कि इस अध्यादे ा को जो बिल के रूप में लाया गया है डिसएप्रूव किया जाये।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली): चेयरमैन साहब, 9 साल के बाद यह बिल लाया गया है। यह बिल बहुत देर से लाया गया है क्योंकि पिछले एक साल से रोहतक यूनिवर्सिटी एक बदमा ाी का अखाडा बनी हुई थी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर अनेक कारणों से रोजाना झगडै हो रहे थे। यहां पर कभी स्टुडेंटस, कभी प्रोफेसर के कारण या किन्हीं और झगडों के कारण एक प्रकार से जंग बना हुआ था, एक प्रकार से कुरूक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। अगर इस तरह से स्टुडैंटस, प्रोफेसर या वाईस चांसलर के कारण किसी यूनिवर्सिटी के अंदर झगडा होता है तो यह ि ाक्षा के क्षेत्र में अच्छी बात नहीं है। अब इस समय जो बिल सरकार लाई है, यह बहुत अच्छा काम किया है। इससे अब पढे लिखे लोगों को और प्रौफेसरों को अच्छा काम करने के लिए अधिक मौका मिलेगा। चेयरमैन साहब, मैं तो यहां तक भी कहूंगा

कि जितनी देर सरकार ने इस विधेयक को लाने में की है उतना ही हरियाणा का बहुत बडा नुक्सान हुआ हैं चूंकि सरकार इस बिल को ले आई इसलिए अब मैं इस बिल की ताईद करता हूं। मैं फिर कहता हूं कि सरकार ने इस बिल को लाकर एक बहुत अच्छा काम किया है। चेयरमैन साहब, अब स्टुडैंटस और प्रोफेसर आपस में इज्जत से रह सकेंगे। इस बिल को समय पर न लाने के कारण ही यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में पार्टी बाजी बनी और झगड़े होते रहे। आज हरियाणा के अंदर जगह जगह पर स्टुडैंटस पिट रहे हैं। यह इसी रोहतक यूनिवर्सिटी का परिणाम है। अगर सरकार ने समय रहते हुए इस कार्य को कर दिया होता तो आज यह हालात पैदा न होते जो इस समय स्टुडैंटस के साथ हो रहे हैं। चेयरमैन साहब, इस केस को लडने में हरियाणा के एडवोकेट जनरल को भी निकाल दे तो सरकार एक बहुत अच्छा काम कर सकती है। अतः ज्यादा न कहते हुए मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि जो बिल सरकार ने आज सदन के सामने रखा है, यह बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं सरकार का दोबारा धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी रिज़क राम (राई): चेयरमैन साहब, यह जो अध्यादे ा आज सदन के सामने पे ा किया गया है। इसके एक दो पहलुओं पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं अब सरकार जो यह बिल लाई है इसकी तो मैं तारीफ करता हूं। लेकिन ठीक समय पर एक ान न लिए जाने के लिए मैं सरकार को कहना

चाहूंगा कि सरकार को इस बिल को बहुत पहले लाना चाहिए था। चेयरमैन साहब, यह बात मैं अव य कहना चाहूंगा कि रोहतक यूनिवर्सिटी का माहौल वहां के वाईस चांसलर की वजह से ही बिगड़ा है। सरकार सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी कोई एक ान न ले, यह अच्छी बात नहीं है। समय पर एक ान न लेने का यह भी कारण हो सकता है कि भाायद वाईस चांसलर का सरकार पर कोई एहसान हो जिसके कारण वह एक ान लेने में हिचकिचा रही हो या और दूसरे भी कारण हो सकते हैं। आज हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के अंदर पोलिटिक्स का भी काफी दखल रहता है। यूनिवर्सिटीज एक प्रकार से पोलिटिकल अखाडा बनी हुई हैं। अब सरकार ने इस प्रकार का बिल लाकर काफी अच्छा कार्य किया है। अब तक यूनिवर्सिटी के अंदर पोलिटक्स का इतना अधिक दखल रहा था जिसके कारण यूनिवर्सिटी का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा था। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से बडी नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि भविश्य में किसी भी यूनिवर्सिटी को राजनीति के अखाडे से बिल्कुल अलग रखा जाये। अगर किसी एक व्यक्ति के कारण कोई काम खराब होता है और वह अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक ान लिया जाये और केस रजिस्टर किया जाये ताकि वह भविश्य में कोई गलत काम न कर सके।

चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर वाईस चांसलर के पद के लिए

एक यह भार्त लगाई गई है कि भविश्य में कोई भी व्यक्ति वाईस चांसलर के पद पर 65 साल की उम्र के बाद नहीं रह सकता। यह कोई अच्छी बात नहीं है। ऐजुके ान का एक अच्छा महकमा होता है। यदि कोई ि ाक्षा भाास्त्री इस क्षेत्र में अच्छा काय्र करता है तो उसको काम करने के लिए अधिक अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति इस क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दे सके। जब कोई कुलपति 80 वर्श तक रह सकता है, आज दे ा का प्रधानमंत्री 80–85 वर्श तक रह सकता है या प्रदे ा का मुख्यमंत्री 85 साल तक हो सकता है तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई वाईस चांसलर 65 वर्श की उम्र से अधिक का न हो। जो इस बिल के जरिए 65 वर्श की भार्त लगाई गई है यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि कोई वाईस चांसलर अच्छा काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक ान लेने के लिए फौरन कोई कमेटी बनायी जानी चाहिए ताकि उसके खिलाफ एक ान लिया जा सके। चेयरमैन साहब, कुछ ऐसे रूल्ज बना देने चाहिएं जिससे कि वाईस चांसलर के पद पर काम करने वाला व्यक्ति कोई गलत काम कर ही न सके और अपनी मनमानी न कर सके। यह भार्त लगा देना कि 65 साल की आयु से ज्यादा वाला कोई व्यक्ति वाईस चांसलर के पद पर नहीं रह सकता, यह अच्छी बात नहीं है। मैं बडी नम्रता के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भार्त न लगाई जाये क्योंकि ि ाक्षा के क्षेत्र में पहले ही हमारा प्रदे ा काफी पिछडा हुआ है। मेरी इस बात से हाउस के सारे मैम्बरान सहमत होंगे कि मुख्य मंत्री जी की तरफ

से और सरकार की तरफ से जो यह इस प्रकार का बिल आया है इसमें यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि यह ..... को वाईस चांसलर के पद से हटाने के लिए लाए हैं। चेयरमैन साहब, यह भी अच्छी बात है कि मुख्य मंत्री जी और वे आवस में टकराते रहें और दूसरे वजीर साहेबान सुख भाान्ति से अपना कार्य करते रहें। मुख्यमंत्री जी भी तगडे हैं और वे भी चुप बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इन भाब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः यह रिकवैस्ट करता हूं कि 65 साल की उम्र की जो भार्त इस बिल के द्वारा लगाने जा रहे हैं यह किसी भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ होगा। वाईस चांसलर को उसके पद से हटाने के लिए और भी बहुत से दूसरे तरीके हो सकते हैं। चेयरमैन साहब, इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): सभापति महोदय, महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (सं ाोध्न) विधेयक, 1980 सदन में आज पे ा किया गया है और फिर इसके बाद दूसरा कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय के लिये भी एक बिल आयेगा। दोनों बिलों का आपरेटिव पार्ट एक सा ही है। मैं इन दोनों बिलों के आपरेटिव पार्ट और इन बिलों को लाने के ढंग का विरोध करती हूं। जिस तरह से यानी आर्डिनैंसिज के जरिये से ये बिल लागू किये गये हैं। यह बहुत ही गलत ढंग है। आर्डिनैंसिज के जरिए यह बिल लाने के बारे में जो कुछ यहां पर कहा गया है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरे माननीय साथी चौधरी राम लाल वधवा

जी ने यह ठीक ही कहा है कि आर्डिनैंस के थ्रू बिल लाने का तरीका तो पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में है, लेकिन उसके लिये यह दिया हुआ है कि कोई एक्सट्रीम एमरजैंसी हो जाये और सै ान बुलाना बिल्कुल असम्भव हो तभी ऐसी हालत में आर्डिनैंस लागू किया जा सकता है। पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में यह हथियार ऐसी स्थिति में सरकार के हाथ में दिया था ताकि अगर कहीं पर एक्सट्रीम एमरजैंसी हो जाये तो सरकार का काम न रूके। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार की तो यह एक परम्परा ही हो गयी है। हम हमे ाा यह देखते हैं कि जब सै ान होना होता है तो उससे कुछ दिनों पहले भी यह आर्डिनैंस लागू करके बिल को सदन में ले आते हैं। आर्डिनैंस तो फिर भी एक महीने पहले इ ाु हुआ है लेकिन पिछले सै ान में तो कुछ बिल ऐसे आये थे जो कुछ दिन पहले ही आर्डिनैंस के रूप में इ ाु हुए थे। यह परम्परा एक बहुत ही गलत परम्परा है। इस तरीके से यह जो बिल लाया गया है, मैं इसका विरोध करती हूं। इस बिल को जो आपरेटिव पार्ट है वह महज इतना है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को महर्शि दयानन्द वि ववि्यालय या कुरूक्षेत्र वि ववि्यालय का वाइस चांसलर रहने का अधिकार नहीं होगा। जिस बात की तरफ मैं इ ाारा करना चाहती थी, उसके बारे में चौधरी रिजक राम जी ने स्पश्ट नाम लेकर मेरी मु कल हल कर दी है। मैं इसके लिये चौधरी साहब का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने यह कहा कि सरकार किसी एक खास व्यक्ति को हटाना चाहती है, इसलिये यह बिल लाया गया है। उस खास व्यक्ति से हममें से, मेरा ख्याल यह

है कि किसी को भी कोई प्रेम नहीं है। उसके कारनामों से कोई भी खु ा नहीं है। उसके कारनामें प्र ांसा के काबिल नहीं हैं। रोहतक वि ववविद्यालय मैं जिस तरह के कारनामे हुए हैं, उनसे सरकार की प्रतिश्ठा को धक्का लगा है। इसलिये उस व्यक्ति की जितनी निन्दा की जाये, कम है। लेकिन मैं उस व्यक्ति को हटान के लिये एक ऐसा कानून लाने के पक्ष में नही हूं कि जिससे 65 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी ि ाक्षा भाास्त्री या ि ाक्षा विद उपकुलपति न लग सके। इस तरह से हम अच्छे ि ाक्षा भाास्त्रियों की सेवाओं से वंचित कर जायेंगे, यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। जब आज सदन की बैठक प्रारम्भ हुई, उस वक्त सबसे पहले मुख्य मंत्री महोदय ने भाोक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में लाला सूरज भान जी का नाम भी था जो कि पंजाब वि ववविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं। बडी बढ चढ कर सराहना हुई। मुख्य मंत्री जी ने भी उनकी तारीफ की तथा मैंने तो खुद कहा कि मैं जब पंजाब वि ववविद्यालय में लाकर रही थी तो वे मेरे कुलपति रहे हैं। यह मैं इसलिये आपको बताना चाहती हूं कि उनहोंने कितनी उम्र तक इस पद पर दे ा सेवा कीं सन 1904 में तो उनका जन्म हुआ और 1965 से लेकर जून 1974 तक वे पंजाब वि ववविद्यालय के कुलपति रहे। यानी 70 वर्श की आये में वे पंजाब वि ववविद्यालय के कुलपति रहे। आज जब यहां पर यह मौका आया है तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकती कि जिस तरह का बिल यहां पर लाया गया है उससे तो ऐसा लगता है कि लाला जी ने 70 वर्श तक की आयु तक जो काम किया उसमें से 5 साल तक वे कोंई काम नहीं

कर सके। एक तरफ तो हम उनकी प्र ांसा कर रहे हैं कि उन्होंने 70 वर्श की आयु तक भी दे ा की सेवा की और दूसरी तरफ हम इस प्रकार के बिल ला रहे हैं कि 65 साल से अधिक की आयु का व्यक्ति कुलपति नहीं लग सकेगा। एक तरफ तो आप यह कहते हो कि अगर वे जिन्दा रहते तो इम उनकी सेवाओं का और लाभ उठाते और दूसरी तरफ आप एज लिमिट लगा रहे हो ?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): उनकी बात दूसरी हो सकती है। वे एक्सैप ान हो सकते हैं। Exceptions are everywhere.

श्रीमती सुशमा स्वराजः ठाकुर बीर सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि exceptions are everywhere. लेकिन आप इस बिल को लाकर ऐसी एक्सैप ानों को भी खत्म कर रहे हो। आप किसी व्यक्ति वि ोश को हटाना चाहते हो, उसे किसी दूसरे तरीके से या दूसरे माध्यम से हटा दीजिए लेकिन ऐसा न कीजिए कि एक आदमी को हटाने के लिये हरेक व्यक्ति के लिए आयु सीमा 65 वर्श नि चित कर दें। फिर तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति जो 65 वर्श से बडा होगा और ि ाक्षा भाास्त्री होगा, की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिये मैं यह कह रही हूं कि आप यदि किसी व्यक्ति वि ोश को हटाना चाहते हैं तो किसी दूसरे माध्यम से हटायें। यह नहीं कि ऐसा बिल लाकर उसे हटायें। जैसे मैंने पहले इ ाारा किया कि कुलपति का पद कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर कोई नौजवान आदमी आकर काम कर सके, यहां पर तो कोई

अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जायेंगे और यह एक गलत बात होगी। अगर सरकार किसी व्यक्ति को निकालना चाहती है तो किसी दूसरे माध्यम से हटाये। हम उनके इस काम के लिए उठाये गये हर कदम की ताईद करेंगे। लेकिन इस तरह से बिल लाकर ि ाक्षा भाास्त्रियों की सेवाओं से वंचित रह जाना अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं अन्त में सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह अगर किसी को हटाना चाहती है तो किसी दूसरे तरीके से हटाये, इस तरह से बिल लाकर नहीं। अगर सरकार इस बिल को ही पास कराना चाहती है तो मैं हाउस से यह अपील करूंगी कि इस बिल को पास न किया जाये।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): चेयरमैन साहब, जिस बिल की यहां पर चर्चा चल रही है, यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल किसी भी प्रान्त या दे ा के लिये है। इस प्रकार के विशयों में हमारे प्रान्त में जो यह बिल लाया जा रहा है इसके पीछे मैं समझता हूं कि ि ाक्षा के स्तर को ठीक करना और ि ाक्षा के वातावरण को ठीक करना सरकार का उद्दे य रहा होगा। इससे अगर किसी एक व्यक्ति वि ोश पर असर पडता हो तो उसमें भी मैं कोई बुराई नहीं मानता। सभापति जी, इस बारे में कोई संदेह की बात नहीं है कि पिछले कुछ अर्से से यानी पिछले 2–3 सालों से रोहतक यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार का हाल रहा है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं हैं दुलत कमी ान को जल्दी से जल्दी सदन में पे ा करनी चाहिए। इसी प्रकार से पहले भी

महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के बारे में एक गुरनाम सिंह कमी ान अप्वायंट किया गया था। किस प्रकार से कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बुरा हाल हुआ, किस प्रकार से वहां पर हडताल चली, हिसार में जो बर्बतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया, वह बडा भार्मनाक था। (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापतिः आर्य जी, आप बिल पर ही बोलिये।

श्री हीरा नन्द आर्यः सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि ि ाक्षा के वातावरण को ठीक करने के लिए जिस प्रकार से प्रान्त में सरकार द्वारा जुल्म किये जा रहे हैं, वे नहीं होने चाहिएं। जिस प्रकार से विक्टेमाईजे ान की जा रही है, वह नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान व भाोर) सभापति जी, मुझे यह कहते हुए बडी भार्म महसूस हो रही है कि आज हमारी सरकार लडकों के साथ बडा जुल्म कर रही है। मैं हरियाणा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह प्रान्त में इस तरह से लडकों पर जुल्म न करें। (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापतिः आप कृपया रैलेवैन्ट बोलें।

श्री मूल चन्द जैनः सभापति महोदय, अगर बिल को स्पोर्ट करते हुए एक दो बातें इधर उधर की कह दें तो आपको तो इतना ब्रौड माइन्ड होना चाहिए कि उन्हें कुछ न कहें।

श्री हीरा नन्द आरर्यः सभापति महोदय, मैं यह सारी बातें इसलिये कहना चाहता हूं ताकि ि ाक्षा के वातावरण को ठीक

करने के लिये कुछ किया जा सके। जिस प्रकार से महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी में एम्पलाईज के साथ काफी विक्टेमाईजे ान किया गया था, इस वक्त जो वाइस चांसलर लगाये गये हैं, मैं समण्ता हूं कि वे उस विक्टेमाईजे ान को बहाल करेंगे और इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय भी निजी रूचि लेंगे। ि ाक्षा के वातावरण को ठीक करने के लिये यह जरूरी है कि चाहे वह कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो या हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या रोहतक यूनिवर्सिटी हो, वहां से दफा 144 हटा लेनी चाहिए। विद्यार्थियों और अध्यापकों की जो जायज मांगें हैं, उनको मान लेना चाहिए और जहां तक लडकों का ताल्लुक है, उन्हें रिहा करके बातचीत भ्ाुरू की जाये। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय इन सारी बातों को टेक अप करेंगे और जो गलत काम हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिये दिलचस्पी लेंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय सभापति जी, इस बिल पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और कुछ सदस्यों को इस पर आपत्ति जाहिर की है। सभापति जी इस बिल का मं ाा किसी एक आदमी को हटाने का बिल्कुल नहीं है, इस बिल का मं ाा यह है कि ि ाक्षा प्रणाली का स्तर ऊंचा किया जाए। सभापति जी, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की आयफ 65 साल निर्धारित है। हमने इसी बात को सामने रखकर कि अगर ि ाक्षा के स्तर को ऊंचा करना है और यूनिवर्सिटी में अनु ाासन रखना है तो इस एज तक का आदमी

होना चाहिए ताकि वह यूनिवर्सिटी को ठीक तरह से चला सके। हम किसी पर्टिकुलर आदमी को हटाने के लिये बिल लाते तो इसके रोहतक यूनिवर्सिटी का जिक्र करते। कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया किया कि फलां युनिवर्सिटी में यह हुआ वह हुआ। चौधरी उदय सिंह दलाल ने और श्री आर्य ने जिक्र किया कि रोहतक यूनिवर्सिटी में बडे झगडे पैदा हुए हैं। सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जिस वी0सी0 की यह बात कर रहे हैं, उनको चौधरी देवीलाल ने ही उस यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर लगाया था।

चौधरी संत कंवरः चौधरी देवीलाल ने तो आपको वजीर भी बनाया था।

चौधरी भजन लालः अगर उन्हौंने मुझे वजीर बनाया था तो वे एक साल चीफ मिनिस्ट भी रह गए। (व्यवधान) वरना पहले ही हटा देते।

चौधरी राम लाल वधवाः आप अस्तीफा देकर इलैक ान लडकर देख लो। (व्यवधान) पता लग जायेगा। (व्यवधान)

श्री दीप चन्द भाटियाः सभापति महोदय, आन ए प्वायंट आफ आड्र। ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब अस्तीफा देकर इलैक ान लड लें। मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी राम लाल वधवा इलैक ान लड कर देख लें अगर इनकी जमानत जब्त न हो जाए तो मुझे कहना (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः सभापति महोदय, दूसरी बात चौधरी रिजक राम ने यह कही कि यूनिवर्सिटी में पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। यह बिल्कुल ठीक बात है। हमारी पूरी कोि ा ा होगी कि यूनिवर्सिटी में हम पोलिटीक्स नहीं घुसने देंगें। मेरी तो यही राय है कि यूनिवर्सिटी का जो भी वाइस चांसलर हो वह ऐजुके ान साइड का हो, सियासी आदमी वहां पर बिल्कुल न हो। मैं सदन को वि वास दिलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर लगेगा वह ठीक आदमी लगेगा और वहां पर सियासी आदमी न लगे, यह हमारी पूरी कोि ा ा होगी और सरकार का भी उसमें कोई दखली नहीं होगा। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह एक अच्छा बिल है और ि ाक्षा में सुधार लाने के लिये इस बिल को हम लाए हैं इसलिये इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। श्री आर्य ने यूनिवर्सिटी के दूसरे मामलों का जिक्र किया कि वहां पर टीचर्ज के साथ ज्यादती हुई और विद्यार्थियों के साथ ज्यादती हुई। मैं सदन को बताना चाहता कि जहां कहीं भी ज्यादती हुई होगी वहां पर टीचर्ज को और विद्यार्थियों को पूरा मौका दिया जाएगा और देखा जाएगा कि उनके साथ कोई ज्यादती न रह गई हो। अन्त मे मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि यह जनरल बिल है और जनता की भलाई का बिल है, इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि यह सदन महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट)

आर्डिनैंस, 1980 (हरियाणा आर्डीनैंस नं0 5 आफ 1980) का निरनुमोदन करता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः प्र न है कि –

दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री सभापतिः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री सभापतिः प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

चौधरी गंगा राम (गोहाना): सभापति महोदय, यह जो महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1980 सदन के सामने आया है, मैं इस पर केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस किस्म का कोई बिल लाना चाहती थी और अगर सरकार की नीयत साफ थी तो इस सरकार को इस तरह का बिल यह सरकार बनते ही लाना चाहिये थे। इस सरकार को बने हुए काफी अर्सा हो चुका है और अब यह सरकार इस बिल को लाई है। मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत में कुछ खराबी आ गई थी और सरकार चाहती थी कि ..... जो रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कैसे हटाया जाए, ... को कैसे न रहने दिया जाए। सभापति जी, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि .... जैसा पढा लिखा आदमी और इंटैलीजेन्ट आदमी भाायद एक दो ही मिल पाए। मैं कहता हूं कि ..... न यूनिवर्सिटी को चलाने में .....

चौधरी भजन लालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चौधरी गंगा राम ने कहा कि ..... को हटाने के लिये यह बिल लाया गया है। इन्होंने खास तौर से एक आदमी का नाम लेकर यह बात कही है। सभापति जी, बिल में कहीं भी ..... के नाम का जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये भाब्द ऐक्सपंज होने चाहिएं।

श्री सभापतिः वह नाम ऐक्सपंज कर दिया जाए।

चौधरी गंगा रामः सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करने के लिये खडा हुआ हूं कि यह जो 65 वर्श की एज रखी गयी है, इस किस्म का बैन किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह का बैन लगाकर किसी एक पर्टिकुलर आदमी को डिबार नहीं किया जाना चाहिए और वह भी वह उस हालत में उस वक्त में जब कि यह मामला हाई कोर्ट के सामने हैं। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि यह मामला तब तक हाउस में नहीं आना चाहिए जब तक इस का हाई कोर्ट से फैसला न हो जाए (ाोर एवं व्यवधान) इस तरह का बिल इस समय यहां पर नहीं आना चाहिए था। (ाोर)

श्री सभापतिः गंगा राम जी, आप बैठिये..... (ाोर) आपको अपना प्वायंट रखना चाहिए, दूसरी बातों में आपको नहीं जाना चाहिए। आपने अपनी बात रख ली है (ाोर)

चौधरी गंगा रामः सभापति महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात रखनी है। (ाोर)

श्री सभापतिः गंगा राम जी, आप कृपया बैठिये।

चौधरी गंगा रामः ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापतिः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (सैकिंण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1980

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to introduce the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill.

Mr. Chairman: There is an amendment by Shri Ram Lal Wadhwa regarding disapproval of the Kurukshetra University (Second Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 4 of 1980). In order to save time, if the House agrees, this motion as also the motion for the consideration of the Bill be discussed together but voted upon separately.

Voices: Yes.

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir I beg to move-

That this House disapproves the Kurukshetra University (Second Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 4 of 1980).

Mr. Chairman: Motion moved-

That this House disapproves the Kurukshetra University (Second Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 4 of 1980).

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Kurukshetra

University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman: Motion moved-

That this House disapproves the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): सभापति महोदय, पहले अध्यादे ा पर बोलते हुए मैंने इसलिये इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि 65 वर्श की जो उम्र निर्धारित की जा रही है, उसके पीछे इनकी भावना क्या है। क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पैंडिंग है इसलिये मैंने उस समय यह कहा कि सरकार इस बात को स्पश्ट करे कि 65 वर्श की आयु इस आर्डिनैंस के जरिये करने की क्या आव यकता थी ? उसका उत्तर मुख्य मंत्री महोदय ने नहीं दिया, उनका यह कहना कि किसी ऐसी भावना को सामने रखकर यह नहीं किया गया, यह गलत है। अगर उनकी यह भावना नहीं थी तो पहली नवम्बर 1980 को यह अध्यादे ा जारी करने की क्या आव यकता थी ? मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रोहतक यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर को चौधरी देवी लाल ने लगाया था। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमने तो उस समय भी उसका विरोध किया था और मुख्य मंत्री को कहा था कि इसको गले में न डालो। उस जैसे आदमी को किसी भी स्थान पर लगाना, मैं समझता हूं कि हरियाणा के हितों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ बडा भारी अन्याय होगा इसलिये हमने डट कर उसका विरोध

भी किया था। अब क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट में पैंडिंग है और न ही मैं यह चाहता हूं कि हमारी यहां पर कही हुई बात का वह लाभ उठाये। इसलिये मैंने उसका जिक्र नहीं किया था लेकिन हमारे एक माननीय साथी चौधरी रिजक राम जी ने जिक्र कर दिया। मैं एक बात यहां पर कह देना चाहता हूं कि जहां तक ि ाक्षा प्रणाली का ताल्लुक है, अगर किसी भी वी0सी0 को हटाया जाना है, तो उसके बारे में कोई रूल्ज के मुताबिक चला जाए लेकिन 65 वर्श की आयु किसी एजुके ानिस्ट के लिये फिक्स कर देना यह सरासर अन्याय है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों के लिये भी 65 वर्श की आयु है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार मुलाजिमों कर आयु भी 55 और 58 रखी हुई है, उनको 55 और 58 की एज में रिटायर कर दिया जाता है। सवाल तो केवल यह है कि हरेक बात का अलग अलग स्थान होता हैं जहां तक ि ाक्षा का संबंध है और एक एजुके ानिस्ट 58 साल की आयु में रिटायर होता है तो उसको ि ाक्षा के क्षेत्र का बहुत ही अनुभव होता है इसलिये उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन मुख्य मुख्य मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि काम को चलाने के लिये 65 वर्श के बाद किसी और आदमी को लगाना चाहिए। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि कम से कम एजुके ानिस्ट के मामले में एज को न लिया जाए। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने अभी हाउस में यह वि वास भी दिलाया है कि ि ाक्षा के मामले में आगे से किसी भी राजनीति को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है,

इससे ि ाक्षा का स्तर तो कम से कम ऊंचा होगा। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री राम कि ान पदासीन हुए) दूसरी बात सभापति महोदय, मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि 65 वर्श की आयु का निर्धारित किया जाना, ि ाक्षा के साथ बडा भारी अन्याय होगा। क्योंकि एक एजुके ानिस्ट 58 वर्श की आयु में रिटायर होता है और इतना उसको अनुभव होता है कि वह इस क्षेत्र में बहुत उन्नति करवा सकता है। क्योंकि उसको इसका पूरा अनुभव होता है कि ये संस्थाएं किस प्रकार से सही ढंग से उन्नति के ि ाखर पर पहुंच सकती हैं। इसलिए एक योग्य आदमी की सर्विसिज को 65 वर्श की आयु में खत्म कर देना ि ाक्षा प्रणाली में बडा अन्याय होगा। इसलिये मैंने डिसएप्रूवल का नोटिस दिया था और मैं इसका विरोध करने के लियें खडा हुआ हूं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने तो यह कह दिया कि हमारी यह भावना नहीं है कि हम एक आदमी को हटाने के लिये बिल ला रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि आज इस काम के लिये यह समय उपयुक्त नहीं है कि इस बिल के द्वारा 65 वर्श की आयु फिक्स कर दी जाए। मैं फिर इसका एक बार विरोध करता हूं और सारे सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस बिल को अस्वीकार करे और मेरी डिस एप्रूवल को स्वीकार करें। धन्यवाद।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): सभापति जी, मैं इस बिल के विशय में मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डेढ दो साल पहले यूनिवर्सिटी एक्ट में अमैंडमैंट के सिलसिले में एक

कमेटी बनी थी। उस कमेटी में विभिन्न यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर तथा दूसरे एजुके ानिस्ट भी भाामिल किए गए थे। इस कमेटी को बनाने का मुद्दा यह था कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को जितने अधिकार हैं, उतने अधिकार हिन्दुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नहीं हैं। यानी वह कमेटी पावर को डि सैन्टरलाइज करने के उपाय सुझाने के लिये बनाई गई थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस कमेटी का क्या बना और उस कमेटी ने अगर कोई रिपोर्ट दी है तो उस पर अमल करने में क्या दिक्कत है ? मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में सैनेट को अधिकार अधिकार यह है कि आज कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी बन्द है। उस वक्त जो वाइस चांसलर उस कमेटी का मैम्बर था उनकी यह नीयत थी कि एक्ट में अमैंडमैंट न लाई जाए क्योंकि वह अपने अधिकार खत्म नहीं करना चाहता होगा। लेकिन ि ाक्षा में सुधार लोने के लिये वह कमेटी बहुत जरूरी थी। मुझे आ ाा है कि मुख्य मंत्री जी आ वासन देंगे कि अगले सै ान में वे ऐसा बिल पे ा करेंगे ताकि ि ाक्षा का कार्य ठीक ढंग से चल सके।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): सभापति जी, चौधरी राम लाल जी ने एक आपत्ति उठाई। इन्होंने कहा कि इस बारे में आर्डिनैंस जारी नहीं करना चाहिए था। सभापति जी, आप जानते हैं कि सरकार को काम चलाने के लिये कितने आर्डिनैंस जारी करने पडते हैं। अगर हाउस आर्डिनैंस जारी करने के बाद 5–7

दिन बाद बाद मीट होने वाला हो तब तो आर्डिनैंस जारी करना गलत बात है लेकिन यह आर्डिनैंस तो पहले का जारी किया हुआ है। भारत सरकार ने एक ि ाक्षा आयोग नियुक्त किया था और उसने अपनी सिफारि ाों में यह कहा था कि 65 साल की आयु से ऊपर का कोई भी आदमी यूनिवर्सिटी में वाईस चांसलर नहीं होना चाहिए। हमने तो उस रिपोर्ट को लागू किया है। अगर पहले वाली सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया तो वह पहले वाली सरकार का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। उसके बाद एक बहुत अच्छा सुझाव श्री हीरा नन्द आर्य जी ने दिया। मैं उनकी बात की ताईद करता हूं कि यूनिवर्सिटी के पास भी अधिकार होने चाहिएं। इस बात पर हम गहराई से विचार करेंगे और जो ठीक बात होगी उस पर सरकार अमल करेगी। इसी तरह के बिल पर मैं पहले भी कह चुका हूं। इसलिये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्र न है–

कि यह सदन कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय (द्वितीय सं ाोधन) अध्यादे ा, (1980 का हरियाणा आर्डीनैंस सं0 4) का निरनुमोदन करता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः प्र न है कि –

दि कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय (द्वितीय सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री सभापतिः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री सभापतिः प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1980

Finance Minister (Lala Balwant Rail Tayal): Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill.

Mr. Chairman: There is an amendment by Shri Ram Lal Wadhwa regarding disapproval of the Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 8 of 1980). In order to save time, if the House agrees, this motion as also the motion for the consideration of the Bill be discussed together but voted upon separately.

Voices: Yes.

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move-

That the House disapproval Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 8 of 1980).

Mr. Chairman: Motion moved-

That the House disapproval Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 8 of 1980).

Finance Minister (Lala Balwant Rai Tayal): Sir, I beg go move-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी उदय सिंह दलालः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ऐसा है कि जो कालांवाली में घटना हुई है, वह ऐसा गम्भीर मामला है, ऐसी स्याही लगी हुई है कि वित्त मंत्री जी को यह बिल पढना ही नहीं चहिए। इनके वजीर होते हुए स्टेट में ऐसे गलत काम हों। मैं इखलाकी तौर पर यह बात कहता हूं। (ाोर एवं विघ्न) चेयरमैन साहब, आप जरा इधर तो देख लो मेरी कितनी दर्दभरी कहानी है (ाोर) आप भाुक्र करो कि जब वह घटना घटी उस समय भटिण्डा तक ला ें पडीं थी, यदि सारे का सारा हरियाणा वहां टूर पर चला जाता तो क्या बनता ? इसलिए चेयरमैन साहब, यह बिल किसी और वजीर से पढवा लो। यह मामला बडा गम्भीर है। (ाोर एवं विघ्न)

डा0 मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि आप जैसे व्यक्ति इस हाउस के आनरेबल मैम्बर हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। हम बोलने के लिए बार बार खडे हों, और आप अपनी निगाह भी इधर न करें। आप इस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं कुछ गुस्ताखी नहीं कर सकता। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि ....

श्री सभापतिः डा0 साहब, आपको बोलने के लिए पूरा समय दिया है।

डा0 मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मैं आपसे बार बार

कहता रहा है कि चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, लेकिन आपने एक बार भी अधर आंख उठा कर नहीं देखा। खैर, मेरी आपसे सबमि ान है कि आप कम से कमत इधर देख लें। (ाोर) आपको यहां फेयरनैस दिखाने की जरूरत हैं (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी गंगा रामः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सामने जो विधेयक रखा है, मैं उसके बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। सभापति जी, वित्त मंत्री महोदय संयोग से अपने आपको गांधीवादी कहते हैं और हमारे वित्त मंत्री भी हैं। जब इन्होंने गांधीवाद, समाजवाद कहा। (ाोर एवं विघ्न)

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): गांधीवाद, समाजवाद के मायने क्या हैं ? (ाोर एवं विघ्न)

डा0 मंगल सैनः खुर ाीद साहब, आप इतने अधिक खु ा न होइए। वक्त आने पर आपको भी पता लगा जाएगा कि इसके क्या मायने हैं। पूज्य महात्मा गांधी ने इस दे ा के लिए आद र्ा प्रस्थापित किया, इसलिए वे राश्ट्रपिता कहलाए। चेयरमैन साहब, अपने आपको उनके अनुयायी कहने का दम भरने वाले हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जनरल सैल्ज टैक्स के बारे में आर्डिनैंस रखा और अब ये उसमें सं ाोधन ला रहे हैं। फाइनैंस डिपार्टमैंट के साथ साथ इनके पास एक्साईज एण्ड टैक्से ान

डिपार्टमैंट भी है जो न ीली वस्तुएं बेचने का लाईसैंस वगैरह देता है। पूज्य महात्मा गांधी जी अपने सारे जीवन में भाराब पर पाबंदी लगाने की बात कहते–2 इस दुनिया से चले गए लेकिन बडे दुख की बात है कि ये महानुभाव ऐसे हैं कि कालांवाली में लोग जहरीली भाराब पीकर मर गए, इनके दिमाग में वह बात बिल्कुल नहीं आई। जो मौतें वहां पर हुई हैं उनको देखकर इन्हें मंत्रिमंडल छोड कर बाहर आना चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जिस दिन इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना है क्योंकि इनका पहले भी मंत्रिमंडल में दम घुटा करता था और अब भी घुट रहा है। मुझे पता है कि यह डिपार्टमैंट महा इनिएफि ाएंट और क्रप्ट डिपार्टमैंट है। यदि इनमें थोडा भी ईमान होता तो त्याग पत्र देकर अपने घर चले जाते लेकिन मुझे लगता है कि उस दल में जाने के बाद इनका मन नहीं लगता है।

श्री सभापतिः डा0 साहब, जो मामला हाउस में अंडर डिस्क ान है उसी पर बोलें।

डा0 मंगल सैनः सभापति जी, मैं उसी पर ही बोल रहा हूं। आप कभी कभी अपनी निगाह इधर करते हैं और अगर निगाह इधर की है तो मुझे बोलनें दीजिए। इन्होंने पहले एक सं ाोधन किया था और व्यापारियों को एक नोटिस दे दिया कि असैसमैंट का फैसला 5 साल में होगा। उस समय की जो जनता पार्टी की सरकार थी, जो जनता की अपनी सरकार थी, अब तो दल

बदलुओं की सरकार है। (ाोर)

श्री सभापतिः डा0 साहब, इस बात का इस बिल से क्या संबंध है ? फिर आप कहेंगे कि मुझे बोलने के लिए समय नहीं मिलता। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इसी बिल के संबंध में बोलें जो अंडर डिस्क ान है। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः सभापति महोदय, यह बात हकीकत है कि इनके तीन आदमी चुनकर असैम्बली में आए थे और बाकी तो होलसेल में मेरे भाई ले गए। (ाोर एवं विघ्न) अब थोडे ही दिन बाकी है, जनता देख लेगी। (ाोर) चेयरमैन साहब, इन्होंने यह सं ाोधन कर दिया था कि 5 साल तक व्यापारियों की गर्दन पर तलवार लटकती रहे। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल से घटा कर 3 साल की अवधि कर दी थी। अब फिर इनको यह ख्याल आ गया 5 साल की अवधि बढाने का। जो मुकद्दमा कुछ पैंडिंग पडा हुआ था, वह क्यों नहीं सुलटा लिया ? किस बात का इंतजार था ? किसने फरियाद नहीं की ? आखिर मामला क्या है जो फिर यह अवधि बढा कर 5 साल के लिए अडंगा डाल रहे हो ? मेरे भाई, व्यापारियों के नेता जब दल बदल कर जनता पार्टी में आए थे तब बहुत भाोर मचाया करते थे। (ाोर)

उप श्रम मंत्री (चौधरी लाल सिंह): सभापति जी, मुझे दल बदलू की बात से बहुत परे ाानी है। डा0 साहब, अपने दिल से सोचें कि दल बदल किसको कहते हैं ? अगर एक आदमी, दो

आदमी या चार आदमी दल बदल कर चले जाएं उसको तो दल बदल कह सकते हैं लेकिन हम तो 40 आदमी गए थे और इस पार्टी में मर्ज हैं। (ाोर) हमारे चीफ मिनिस्टर इतने पापुलर हैं कि वे अपने साथ 40 आदमियों को लेकर गए थे। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः सभापति महोदय, ये इस समय फरमा रहे हैं कि साहब हमें फिर से अवधि बढाने का अधिकार दे दो। आखिर क्या कारण है अवधि बढाने का ? चेयरमैन साहब, दूसरी बात यह है कि इन्होंने पिछले दिनों कालांवाली के बारे में जो वक्तव्य दिया था उस पर रो ानी डालते तो बहुत अच्छा होता।

चौधरी गंगा रामः चेयरमैन साहब, मैं भाुरू से खडा हो रहा हूं। मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): सभापति महोदय, बिल को पढने के बाद मुझे यह समझ नहीं आय कि इसके पीछे भावना क्या है ? आप बिल की क्लाज 1 की सब क्लाज 2 पढिए। इसमें लिखा है–

"Section 2 of this Act shall be deemed to have come into force from the 9th day of April, 1979 and section 3 thereof shall be deemed to have come into force from the 1st day of April, 1965.

लेकिन स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज को अगर आप पढें तो उसमें ये कहते हैं–

"Prior to 9th April, 1979, law provided that after issuing a notice under Section 28(2) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973 within five years, the assessment could be framed at any time thereafter. The said section was, however, amended w.e.f. 9th April, 1979 and it was provided that the entire assessment proceedings should be completed within a period of 3 years. It is proposed to amend the Haryana General Salex Tax Act, by adding a new Section 5A, after Section 5 of the Said Act, so as to provide specifically that in respect of assessment for the period prior to 1st April, 1979, un amended provisions of sub section (4) and (5) of Section 28 shall continue to apply so that cases which had become more than 3 years old on 1st April, 1979 withoud issue of a notice u/s 28(2) do not become time barred for assessment.....

अब स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज में यह बात कह दी कि तीन साल से ऊपर जिन केसिज को हो गए हैं उनको बगैर नोटिस के समझ लिया जाएगा कि उनके तीन साल पूरे नहीं हुए। इसको और ज्यादा क्लीयर करने के लिए इन्होंने सैक ान 3 में यह अमैंडमैंट कर दी कि–

"After section 28 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

28A. Dispenmsing with the second notice Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law or judtgement or order of any Court or any other authority, no second notice, in respect of cases relating to the assessment for the period prior to the 1st day of April, 1979, shall be required to be issued-

(a) under sub section (4) or sub seciton (5) of section 29; and

(b) under sub section (4) or sub seciton (5) of section 11 of the Punjab General Sales Tax Act, 1948."

अपने आपको व्यापारियों का नुमांयदा, व्यापारियों का हितकारी और व्यापारियों से हमदर्दी रखने वाला कहने वाला हमारे वित्त मंत्री इस किस्म का बिल अगर हाउस में ला सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उनहें अपनी पोस्ट से रिजाईन दे देना चाहिए। सभापति महोदय, आप बिल की सारी बातों को पढ कर और विचार करक स्वयं यह महसूस करेंगे कि 9 अप्रैल 1979 की अमैंडमैंट के बाद जो केसिज खत्म हो चुके हैं। आज वित्त मंत्री जी किसी कारण से उन केसिज से सम्बंधित व्यापारियों के गले में रस्सी डालना चाहते हैं। इसका साफ मकसद यह है कि सारे व्यापारी इनके दरबार में हाजिर हों। उसके पीछे भावना क्या होगी ये जानें। (विघ्न)

सभापति महोदय, इसका परिणाम क्या होगा ? यह तो इन्होंने दूसरे नोटिस की प्रोविजन भी खत्म कर दी। कोर्ट या हाई कोर्ट भी फैसला कर चुकी है कि अगर किसी केस में अन्याय हुआ है तो उसको दोबारा नोटिस देकर सुना जाए लेकिन आज ये इस किस्म की जो सुविधा दी गई थी उसको भी समाप्त करने जा रहे हैं। यह अमैंडिंग बिल कहां तक हाई कोर्ट में जाकर ठहरेगा। वैसे तो यह पास नहीं होना चाहिये लेकिन अगर गलती से पास हो ही

जाए जब चैलेंज होगा तब पता चलेगा। आज यह हमारे सोचने की बात है। मैं तो समझ सकता हूं कि छोटे छोटे काम करने वाले दुकानदारों को सिवाए तंग करने के इसमें कोई बात नहीं है। सभापति महोदय, जब जनता पार्टी की सरकार बनी और ये हमारी साथी थे, हामरे साथ चुनाव जीत कर आए थे, ये कहा करते थे कि डिपार्टमैंअ के जरिए यह काम नहीं होना चाहिए, वह काम नहीं होना चाहिए। ये यह भी कहा करते थे कि डिपार्टमैंट के जरिए चन्दा इकट्ठा नहीं होना चाहिए लेकिन आज जब स्वयं कुर्सी पर आए हैं तो उसी तरह से डिपार्टमैंट के जरिए चन्दा इकट्ठा होना भाुरू हो गया है। इसके पीछे कारण क्या हैं ? यह वित्त मंत्री जी जरा हमें समझाने की कोि ा ा करें। मैं तो समझता हूं कि बहुत फाईनैं ान लौस सरकार की हो जाएगा। सभापति महोदय, मुझे यह भी समझ नहीं आया कि सैक ान 3 के प्रोविजन को सन 1965 से इफैक्ट देने की क्या आव यकता थी ? भाायद वित्त मंत्री जी भी इस बात को न इस समझे हों। अगर उन्होंने इसे समझा है और मुझे इसकी समझ नहीं आई है तो वित्त मंत्री जी बताएं कि इसके पीछे भावना क्या है ? दूसरी बात देखने की यह है कि कानूनी तौर पर जो केसिज एक बार समाप्त हो गए हैं उन्हें लोगों को तंग करने के लिए रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देकर फिर भाुरू करना कहां तक न्यायपूर्ण है ? (विघ्न) सभापति महोदय, कोर्ट या हाई कोर्ट ने जिन केसिज में फैसला दिया है कि दूसरा नोटिस देकर उन्हें सुना जाए, उन केसिज में अब ये ऐसा नहीं करेंगे। यह बहुत अन्याय की बात है। (विघ्न) स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज

में लिखा हुआ है कि–

"For the same reason, it is also contemplated to amend the Act so as to provide therein that no second notice shall be required to be issued under sub sections (4) and (5) of Section 28 of the Act ibid if a valid notice has already been issued under sub section (2) of Section 28 of the Act."

स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज मैं तो कह रहे हैं कि आव यकता नहीं है लेकिन जो बिल पास करने जा रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि आव यकता है। ऐसा लगता है कि ये स्वयं नहीं समझ सके कि इसके पीछे भावना क्या है ? इसके अलावा सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर यह बिल पास ही किया जाना था तो हमारी समझ में यह नहीं आया कि आर्डिनैंस जारी करने की क्या आव यकता थी ? मैंने पहले भी एक और केस में कौल एंड भाकधर द्वारा लिखित "प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आफ पार्लियामैंट" में से पढ कर सुनाया था। उसमें साफ भाब्दों में कहा गया है कि यदि कोई बडी अरजैंसी हो तो ही अध्यादे ा जारी होना चाहिए। इसमें पता नहीं कि अरजैन्सी थी ? भाायद सरकार यह चाहती है कि सारी पावर्ज ऐग्जैक्टिव के हाथ में ही होनी चाहिए और इसका एक उदाहरण इस बिल के द्वारा यह सदन में पे ा कर रही है। इसलिए सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को वापस ले लें और छोटे छोटे लोगों पर अत्याचार न करें। अगर ये चाहते हैं कि छोटे छोटे व्यापारी इनके पास आएं तो ये हमें कह दें, हम लोगों को इनके

पास भेज देंगे। मैं हाउस से भी यह प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को स्वीकृति न दी जाए बल्कि इसको अस्वीकृत करने का जो प्रस्ताव मैंने दिया है उसको स्वीकर किया जाए।

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): सभापति महोदय, यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है और जिस पर चौधरी राम लाल वधवा और डा0 मंगल सैन ने कुछ बातें कहीं, यह बहुत मामूली विधेयक है। 9 अप्रैल 1979 को यह तरमीम की गई थी कि जितने असैसमैंट के केसिज हैं उनकी असैसमैंट तीन साल के अंदर की जाएगी। पहले डिपार्टमैंट को इतनी पावर्ज थीं कि एक नोटिस देने के बाद अगर वह पांच साल तक असैसमैंट न करे तो वह दोबारा भी कर सकते थे। जिस वक्त यह अमैंडमैंट लाई गई उस वक्त एल0आर0 से इस बारे में पूछा गया था और उन्होंने यह राय दी थी कि पिछले केसिज को यह अफैक्ट नहीं करेगा। पिछले बहुत से केसिज बकाया थे। प्रैक्टिकली जब महकमे के सामने डिफिकल्टी आई तो एल0आर0 की राय फिर ली गई और उसके बाद यह आर्डिनैंस जारी किया गया। इसमें छोटे छोटे दुकानदारों की बात नहीं है। बहुत बडी बडी इंडस्ट्रीज हैं जिनके खिलाफ केसिज पैंडिंग हैं और जिसकी वजह से सरकार का करोडों रूपये का टैक्स उनकी तरफ बकाया है। सभापति महोदय, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि इसकी तह में कुछ बात है। उन्होने यह भी कहा कि भाायद लोग नहीं आते होंगे। उनके सोचने का तरीका कुछ और है और मेरे सोचने का तरीका कुछ और है। मैं

तो इतना ही कह सकता हूं कि मेरे दोस्त जब वजारत में थे तो एक टैक्स स्ट्रक्चार कमेटी बनी थी। दो साल तक वह कमेटी बनी रही लेकिन एक भी सं ाोधन सजैस्ट करके ये व्यापारियों को कोई रियायत नहीं दे सके। आज ये उनकी हमदर्दी की बात करते हैं। सभापति महोदय, मेरे द्वारा महकमे का चार्ज लिए जाने के बाद पिछले अठारह महीनों में व्यापारियों का बहुत सी रियायतें दी गई हैं। आज व्यापारी इस महकमे से खु ा हैं। पहले व्यापारियेां से जो तब्रदस्ती होती थी, वह आज नहीं होती। इसलिए इस हाउस के मैम्बर चौधरी राम लाल वधवा ने कहा है कि इसको पास न किया जाये। मैं समझता हूं कि यह तो मामूली सा विधेयक है, अगर लीडर आफ दी अपोजी ान बोलते तो वे यही कहते कि यह ठीक ही बिल है। सब के इन्ट्रैस्ट की बात है। लेकिन इन लोगों का सोचने का तरीका और है और मेरा और है। इनका तरीका जो दूसरों पर इल्जाम लगाना हैं इनका यहां हाउस में यह कहना कि मैं व्यापारियों को भेज दूंगा, इनको दलाली करने की जरूरत नहीं है। व्यापारी सीधा भी मेरे पास आ सकता है। मुझे सारे व्यापारी अच्छी तरह से जानते हैं मुझे इनकी दलाली की आव यकता नहीं है।

मैं ज्यादा न कहते हुए इस हाउस से यही प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को पास किया जाये ताकि जो कमी रह गई थी वह दूर कर सकें।

श्री सभापतिः अगर हाउस की सैंस हो तो 15 मिनट के

लिए टाईम और बढा दिया जायें

आवाजें: नहीं, नहीं।

Mr. Chairman: Motion moved-

That the House disapproval Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 8 of 1980).

The motion was lost.

श्री सभापतिः प्र न है–

कि दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 1 की सब क्लाज (2)

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 1 की सब क्लाज (2) बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1 की सब क्लाज (1)

श्री सभापतिः प्र न है–

कि क्लाज 1 की सब क्लाज (1) बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री सभापतिः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री सभापतिः प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब सदन कल मंगलवार, दिनांक 16.12.1980 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

18.29 बजे।

(तत्प चात सदन मंगलवार, दिनांक 16.12.1980 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)